

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

2025 - 26



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम



मिशन

लघु जमाकर्ताओं का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए
निक्षेप बीमा के माध्यम से
बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास अर्जित करके
वित्तीय स्थिरता में सहयोग देना।



विज़न

एक सक्षम और प्रभावी निक्षेप बीमा प्रदाता के रूप
में पहचान बनाना जो पणधारकों की आवश्यकताओं
के प्रति संवेदनशील हो।

विषय सूची

विवरण	पृष्ठ सं.
भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रेषित पत्र	i
भारत सरकार को प्रेषित पत्र	ii
निदेशक मंडल	iii
संगठन की संरचना.....	iv
निगम की संपर्क सूचना	v
निगम के प्रमुख अधिकारी	vi
संक्षेपाक्षर	vii
2025-26 एक नज़र में	ix
मुख्य बिंदु: अब तक की यात्रा	x
अध्याय 1 : मूल्यांकन और संभावनाएं	1
1.1 परिचय.....	1
1.2 2025-26 का मूल्यांकन	1
अभिशासन	1
बीमाकृत बैंक	2
कवरेज	2
निर्धारणीय और बीमाकृत जमा राशि.....	2
कवरेज अनुपात.....	2
डीआईसीजीसी का वित्तपोषण.....	2
जोखिम आधारित प्रीमियम (आरबीपी) फ्रेमवर्क	2
दावा निपटान / प्रतिपूर्ति	3
वसूली.....	3
डिजिटलीकरण और प्रक्रिया रूपांतरण	3
जन जागरूकता और संचार	3
अभिशासन और जोखिम प्रबंधन	4
आईएडीआई और अन्य जमा बीमाकर्ताओं के साथ जुड़ाव	4
1.3 2026-27 के लिए संभावनाएं.....	4
अध्याय 2 : प्रबंधकीय चर्चा और विश्लेषण	5
2.1 परिचय	5
2.2 अभिशासन से संबंधित प्रमुख गतिविधियां	5
तैयार की गई विस्तृत कॉर्पोरेट अभिशासन नीति	5
निर्धारणीय जमा राशि संबंधी मार्गदर्शन नोट और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)	5
जोखिम - आधारित प्रीमियम (आरबीपी) फ्रेमवर्क की शुरुआत.....	5
प्रीमियम भुगतान में चूक करने वाले बैंकों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया	7
डीआईसीजीसी के पोर्टफोलियो के दबाव परीक्षण पर कार्य दल.....	7

विषय सूची

निगम की कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी).....	7
नाबार्ड को शामिल करते हुए आरबीआई-डीआईसीजीसी समन्वय समिति का पुनर्गठन	8
अधिनिर्णयन समिति का गठन	8
भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों और विवेकपूर्ण सिद्धांतों के आधार पर पुराने बकाया शेष के लिए	8
समायोजन प्रविष्टियाँ	
डीआईसीजीसी के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए किए गए उपाय	9
2.3 मध्यावधि कार्य योजना (उन्नति).....	9
2.4 वसूली प्रबंधन.....	9
2.5 जन जागरूकता	9
2.6 डिजिटलीकरण और एनालिटिक्स	10
2.7 आगे की राह	10
अध्याय 3: जमा बीमा में वैश्विक गतिविधियाँ	13
3.1 परिचय	13
3.2 अधिदेश	13
3.3 रेज़ोल्यूशन शक्तियाँ	14
3.4 जमा बीमा का कवरेज	15
बाय-अकाउंट/डिपॉज़िटर कवरेज अनुपात.....	15
मूल्य के आधार पर कवरेज अनुपात	16
3.5 वित्तपोषण	17
प्रीमियम	17
आरक्षित निधि अनुपात	17
बैकस्टॉप फंडिंग/चलनिधि समर्थन	18
3.6 प्रतिपूर्ति	18
3.7 निष्कर्ष और आगे की राह	19
अध्याय 4: निदेशक मंडल की रिपोर्ट	21
4.1 परिचय	21
भाग क: परिचालन और कार्यपद्धति	21
4.2 बैंक पंजीकरण/विपंजीकरण	21
4.3 कवरेज.....	22
बैंक समूह-वार कवरेज अनुपात	22
4.4 निगम का वित्तपोषण: जमा बीमा प्रीमियम और निक्षेप बीमा निधि	23
चूककर्ता बैंकों द्वारा देय ब्याज दर	23
चूककर्ता बैंकों को औपचारिक नोटिस जारी करने की मानक प्रक्रिया	23
डीआईसीजीसी (बीमाकृत बैंकों द्वारा जमा बीमा प्रीमियम का भुगतान और रिटर्न जमा करना)	
मास्टर निदेश, 2025	23

विषय सूची

जोखिम-आधारित प्रीमियम फ्रेमवर्क की शुरुआत	23
4.5 जमा बीमा दावों का निपटान	24
बैंक समूह वार निपटाए गए दावे	24
निपटाए गए संचयी दावे	24
4.6 चुकौतियां	24
4.7 वसूली प्रबंधन से संबंधित उपाय	25
4.8 अधिनिर्णयन समिति का गठन	25
4.9 कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) की स्थापना	26
4.10 जन जागरूकता	26
कॉमिक बुक, न्यूज़लेटर और आउटरीच सत्र	26
वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रबंधन	26
4.11 वित्तीय सुरक्षा कवच सहयोग, समन्वय और सूचना साझाकरण	26
4.12 अंतरराष्ट्रीय संबंध	26
अंतरराष्ट्रीय डीआई संगठनों के साथ समन्वय	26
4.13 जनसंपर्क	26
शिकायत निवारण कक्ष	26
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	27
कोर्ट - मामले	27
4.14 ऋण गारंटी योजनाएं	27
भाग ख: अन्य महत्वपूर्ण पहलें/प्रगति	27
4.15 जोखिम प्रबंधन	27
4.16 जोखिम डैशबोर्ड	27
4.17 डीआईसीजीसी की डिजिटलीकरण पहल	28
4.18 “उन्नति”: डीआईसीजीसी की मध्यावधि कार्य योजना	28
भाग ग: ट्रेजरी परिचालन	28
4.19 डीआईसीजीसी पोर्टफोलियो की समीक्षा	28
4.20 निवेश और जोखिम प्रबंधन समिति (आईआरएमसी)	28
4.21 जोखिम मानदंड	28
भाग घ: लेखा विवरण	29
4.22 बीमा देयताएं	29
4.23 वर्ष के दौरान राजस्व	29
4.24 संचित अधिशेष	29
4.25 निवेश	30
4.26 कराधान	30
आयकर	30

माल और सेवा कर	30
भाग डः मानव संसाधन प्रबंधन और राजभाषा	30
4.27 मानव संसाधन	30
प्रशिक्षण और कौशल विकास	30
4.28 हिंदी का प्रयोग	30
भाग चः अभिशासन और लेखा परीक्षा	31
4.29 अभिशासन	31
निदेशक मंडल	31
निदेशकों का नामांकन/सेवानिवृत्ति	31
बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति	31
बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति	31
4.30 आंतरिक नियंत्रण	31
4.31 निगम की लेखापरीक्षा	31
समवर्ती लेखापरीक्षा	31
स्व-नियंत्रण मूल्यांकन लेखापरीक्षा	32
सांविधिक लेखापरीक्षा	32
परिशिष्ट सारिणी	
1 निक्षेप बीमा योजना के तहत शामिल बैंक	33
2ए बीमाकृत बैंक – बैंक समूहवार	34
2बी बीमाकृत सहकारी बैंक - राज्य-वार	34
3 वर्ष 2025-26 के दौरान पंजीकृत / विपंजीकृत बैंक	35
4 जमाराशि सुरक्षा कवरेज	37
5 बैंक समूह-वार बीमाकृत जमाराशियाँ	38
6 2025-26 के दौरान निपटाए गए परिसमाप्त/विलय किए गए बैंकों के जमा बीमा दावे	40
6ए 2025-26 के दौरान निपटाए गए जमा बीमा दावे (सर्व समावेशी निदेश (एआईडी) के तहत बैंक)	42
7 आकस्मिक देयता के अंतर्गत किया गया प्रावधान	44
7ए आकस्मिक देयता के अंतर्गत किया गया प्रावधान –एआईडी के तहत बैंक	44
8 निपटाए गए बीमा दावे तथा प्राप्त चुकौतियाँ - 31 मार्च 2026 तक परिसमाप्त / समामेलित / पुनर्निर्मित सभी बैंक	45
8एः बीमा दावों का निपटारा और प्राप्त चुकौती - सर्व-समावेशी निदेशों (एआईडी) के तहत रखे गए बैंक, 31 मार्च 2026 तक	63
8बी त्वरित निपटान योजना के तहत निपटाए गए बीमा दावे - 31 मार्च 2026 तक	66
5. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	67
6. तुलन पत्र और लेखे	70



केंका.डीआईसीजी.सवि.सं.S427/01.01.016/2026-27

30 जून 2026

**प्रेषण पत्र
(भारतीय रिज़र्व बैंक को)**

मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
सचिव विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय
केंद्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग
मुंबई – 400 001

महोदय,

**31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए निगम का तुलन-पत्र, लेखे
तथा निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट**

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में, निदेशक मंडल द्वारा मुझे निदेशित हुआ है कि मैं निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि अग्रेषित करूँ:

- 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम का तुलन-पत्र तथा लेखे, और
- 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट।

2. उपर्युक्त i. और ii. में उल्लिखित दस्तावेज निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के अंतर्गत यथा अपेक्षित भारत सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं।

3. निगम की वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियां यथासमय आपको भेजी जाएंगी।

भवदीय,

(अरुण विष्णु कुमार)
निदेशक

अनु.: यथोक्त



केंका.डीआईसीजी.सवि.सं.S427/01.01.016/2026-27

30 जून 2026

**प्रेषण पत्र
(भारत सरकार को)**

सचिव, भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएँ विभाग
जीवनदीप भवन
संसद मार्ग
नई दिल्ली - 110 001

महोदय,

**31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए निगम का तुलन-पत्र, लेखे
तथा निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट**

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में, निदेशक मंडल द्वारा मुझे निदेशित हुआ है कि मैं निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि अग्रेषित करूँ:

- 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम का तुलन-पत्र तथा लेखे, और
- 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट।

इसकी पांच प्रतियां संलग्न हैं।

2. उपर्युक्त i. और ii. में उल्लिखित सामग्री की प्रतियां (अर्थात्, तुलन-पत्र, लेखे और निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट) भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गई हैं।

3. हमें कृपया यह सूचित किया जाए कि उपरोक्त दस्तावेज पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 32(2) के अधीन संसद के प्रत्येक सदन (अर्थात् लोक सभा और राज्य सभा) के समक्ष किस तिथि/तिथियों को रखे गए हैं। निगम की वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियां आपको यथासमय प्रेषित की जाएंगी।

भवदीय,

(अरुण विष्णु कुमार)

निदेशक

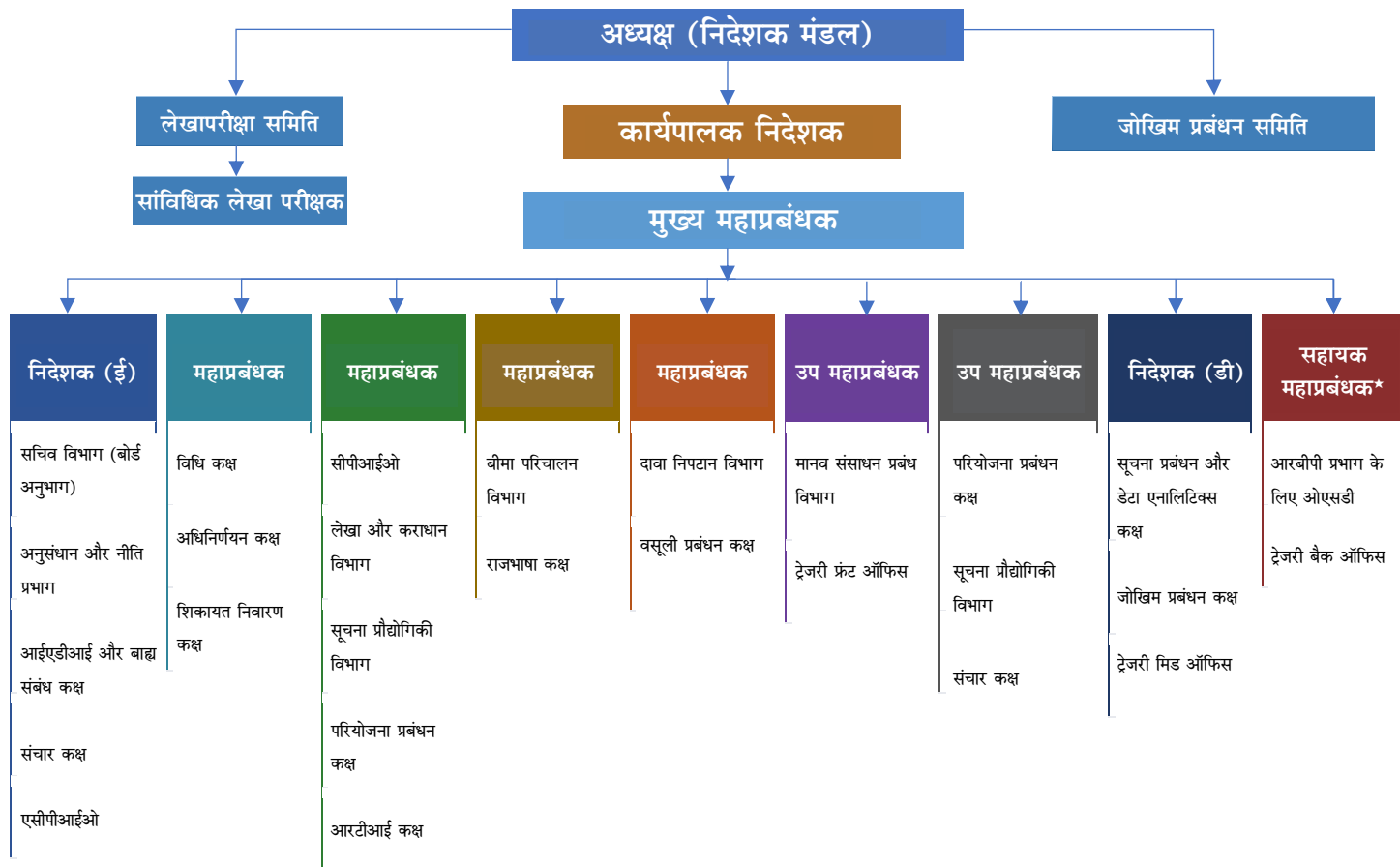
अनु.: यथोक्त

निदेशक मंडल*

अध्यक्ष श्री स्वामीनाथन जे. उप गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(ए) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (15 जनवरी 2025 से)
निदेशक श्री अर्णब कुमार चौधरी कार्यपालक निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (1 जुलाई 2024 से 08 अक्टूबर 2025 तक)
श्री नीरज निगम कार्यपालक निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (09 अक्टूबर 2025 से)
श्री पंकज शर्मा संयुक्त सचिव वित्तीय सेवाएं विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(सी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (1 अप्रैल 2022 से 21 अक्टूबर 2025 तक)
डॉ. अभिजीत फुकन आर्थिक सलाहकार वित्तीय सेवाएं विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(सी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (22 अक्टूबर 2025 से)
श्री शाजी के. वी. अध्यक्ष राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (15 फरवरी 2023 से 14 फरवरी 2026 तक)
डॉ. तरुण अग्रवाल	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (10 जुलाई 2024 से)
प्रो. पार्थ रे निदेशक राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(ई) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (10 जुलाई 2024 से)

*30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार

संगठन की संरचना



संक्षिप्त रूप: एसीपीआईओ - वैकल्पिक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी। सीपीआईओ - केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी। आईएडीआई - इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ़ डिपॉजिट इंश्योरर्स। ओएसडी - विशेष ड्यूटी पर अधिकारी। आरबीपी-जोखिम आधारित प्रीमियम। आरटीआई - सूचना का अधिकार

* उप महाप्रबंधक पद के लिए सूचीबद्ध

निगम की संपर्क सूचना *

टेलीफोन नंबर

+91-22-2302-8236	दावा निपटान विभाग
+91-22-2302-8237	बीमा परिचालन विभाग
+91-22-2302-8221	वसूली प्रबंधन कक्ष
+91-22-2302-8260	आरटीआई कक्ष

प्रधान कार्यालय

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

भारतीय रिज़र्व बैंक भवन, दूसरा तल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने,
भायखला, मुंबई - 400 008, भारत

मुख्य महाप्रबंधक

cgmdicgc@rbi.org.in +91-22-2302-8200



निदेशक (ई)

dicgcsd@rbi.org.in +91-22-2302-8207



महाप्रबंधक

rkraj कुमार@rbi.org.in +91-22-2302-8209



महाप्रबंधक

mysorte@rbi.org.in +91-22-2302-8201



महाप्रबंधक

pawanjeetkaur@rbi.org.in +91-22-2302-8206



उप महाप्रबंधक

sunurajan@rbi.org.in +91-22-2302-8226



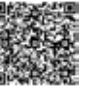
उप महाप्रबंधक

amitkumargupta@rbi.org.in +91-22-2302-8205



उप महाप्रबंधक

krithika@rbi.org.in +91-22-2302-8273



निदेशक (डी)

bsbirajdar@rbi.org.in +91-22-2302-8280



सहायक महाप्रबंधक

ksningwal@rbi.org.in +91-22-2302-8242



ईमेल: dicgc@rbi.org.in

वेबसाइट: www.dicgc.org.in

*30 जून 2026 के अनुसार

कार्यपालक निदेशक

श्री नीरज निगम

मुख्य महाप्रबंधक

श्री अनूप कुमार

अन्य वरिष्ठ अधिकारी

श्री एन. अरुण विष्णु कुमार, निदेशक 'ई', सचिव (बोर्ड)

श्री राज कुमार, महाप्रबंधक

श्री मंगेश वाई. सोरते, महाप्रबंधक, सीपीआईओ

श्रीमती पवनजीत कौर ऋषि, महाप्रबंधक

श्री सुनु राजन, उप महाप्रबंधक

श्री अमित कुमार गुप्ता, उप महाप्रबंधक

श्रीमती क्रिथीका विस्वनाथ, उप महाप्रबंधक

श्री भास्कर एस. बिराजदार, निदेशक 'डी'

श्री कीर्तन सिंह निंगवाल, सहायक महाप्रबंधक

बैंकर्स

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

लेखापरीक्षक

मैसर्स जैन चौधरी एंड कं.

चार्टर्ड एकाउंटेंट

104, मॉडल रेजीडेंसी,

बी. जे. मार्ग, जैकब सर्कल, महालक्ष्मी

मुंबई-400 011, भारत

* 30 जून 2026 के अनुसार

संक्षेपाक्षर

एएफएस	: बिक्री के लिए उपलब्ध
एएलएम	: आस्ति देयता प्रबंधन
बीसीबीएस	: बैंकिंग पर्यवेक्षण बासेल समिति
सीएसबीआई	: सीसीआईएल अखिल-भारतीय सॉवरेन बॉन्ड इंडेक्स
सीईएसटीएटी	: सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण
सीजीएफ	: ऋण गारंटी निधि
सीआईसी	: मुख्य सूचना आयोग
सीपी	: मूल सिद्धांत
सीएसएए	: स्व-नियंत्रण मूल्यांकन लेखापरीक्षा
डीआईसी	: जमा बीमा निगम
डीआईएफ	: निक्षेप बीमा निधि
ईएडी	: डिफॉल्ट के समय एक्सपोज़र
ईएमई	: उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाएँ
फिम्डा	: भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ/ फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन
जीएपी	: सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांत
जीएनपीए	: सकल अनर्जक आस्तियां
जीएस/जी-सेक	: सरकारी प्रतिभूतियां
आईएडीआई	: इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इश्योरर्स
आईडीएल	: अंतर्दिवसीय चलनिधि
आईएफआरएस	: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक
आईआरए	: निवेश आरक्षित खाता
एलएबी	: स्थानीय क्षेत्र बैंक
एलसीआर	: चलनिधि कवरेज अनुपात
एमआईएस	: प्रबंध सूचना प्रणाली
एमटीएम	: मार्क टू मार्केट/बाज़ार भाव पर दर्शाना
एमवीई	: समापन पर बाज़ार मूल्य
एनएसीएच	: राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह
एनएनपीए	: निवल अनर्जक आस्तियां
ओईसीडी	: आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
पीएमसीबीएल	: पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
आरबीआई	: भारतीय रिज़र्व बैंक
आरसीएस	: सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार
आरआरबी	: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
एसएफबी	: लघु वित्त बैंक
एसओपी	: मानक परिचालन प्रक्रिया
टीएमओ	: ट्रेज़री मिड ऑफिस
यूडीआईएन	: विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या
वीएआर	: जोखिम पर मूल्य

संक्षेपाक्षर

एआईडी	: सर्व समावेशी निदेश
एपीआरसी	: एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति
सीएपी	: कंप्यूटर समर्थित ऑडिट प्रोग्राम
सीसीआईएल	: क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीजीसीआई	: क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीजीएस	: ऋण गारंटी योजना
सीआईएसओ	: मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी
सीआरसीएस	: सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार
डीआईए	: जमा बीमा एजेंसी
डीआईसीजीसी	: निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
डीआईएस	: जमा बीमा प्रणाली
ईकेपी	: एंटरप्राइज़ नॉलेज पोर्टल
ईआरएम	: उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन
एफआरएन	: फर्म पंजीकरण संख्या
जीडीपी	: सकल देशी उत्पाद
जीओआई	: भारत सरकार
जीएसटी	: माल और सेवा कर
आईसीएआई	: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
आईएफआर	: निवेश उच्चावचन रिज़र्व
आईएमएफ	: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
केवाईसी	: अपने ग्राहक को जानो
एलएआर	: चलनिधि पर्याप्तता अनुपात
एलजीडी	: चूक पर हानि
एमपीसी	: मौद्रिक नीति समिति
एमवीबी	: आरंभिक बाज़ार मूल्य
नाबार्ड	: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनडीएस-ओएम	: तयशुदा लेनदेन प्रणाली-आईडर मिलान प्रणाली
एनएसओ	: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
ओटीसी	: काउंटर पर
क्यूसीसीपी	: अर्हता प्राप्त केंद्रीय प्रतिपक्षकार
आरबीआईए	: जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा
आरआर	: आरक्षित निधि अनुपात
आरटीआई	: सूचना का अधिकार
एसएलजीएस	: लघु ऋण गारंटी योजना
टैफकब	: शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्यबल
टीडब्ल्यूआर	: कुल भारित प्रतिफल
यूएसए/यूएस	: संयुक्त राज्य अमेरिका



2025-26

एक नज़र में

जमा बीमा प्रदान करने और बैंकिंग प्रणाली में
सामान्य जन का विश्वास बनाए रखने के

64 वर्ष



बैंकों का पंजीकरण

- वर्ष के प्रारंभ में पंजीकृत बीमाकृत बैंक **1982**
- वर्ष के दौरान पंजीकृत बैंक (आरआरबी) **11**
- वर्ष के दौरान विपंजीकृत बैंक (26 आरआरबी और 17 यूसीबी) **43**

वर्ष के अंत में पंजीकृत बीमाकृत बैंक **1950**



कवरेज सीमा

₹5,00,000¹
(यूएसडी 5,282)²



खातों के आधार पर कवरेज अनुपात (मार्च 2026 के अंत तक)

पात्र खातों की कुल संख्या **301** करोड़

पूर्णतः संरक्षित खातों की संख्या **294** करोड़

पूर्णतः संरक्षित जमा खाता अनुपात **97.4%**



मूल्य के आधार पर कवरेज अनुपात (मार्च 2026 के अंत तक)

कुल निर्धारणीय जमा राशि **₹275**
लाख करोड़
(यूएसडी 2,910 बिलियन)

कुल बीमाकृत जमा राशि **₹109**
लाख करोड़
(यूएसडी 1,155 बिलियन)

बीमाकृत जमा अनुपात **39.7%**

वर्ष के दौरान एकत्रित प्रीमियम

₹29,947
करोड़
(यूएसडी 3 बिलियन)

वर्ष के दौरान निपटाए गए दावे

- ₹1,988**
करोड़
(यूएसडी 210 मिलियन)
- एआईडी के तहत बैंकों के लिए **₹1,460 करोड़**
(यूएसडी 154 मिलियन)
 - विलय किए गए बैंकों के लिए **₹343 करोड़**
(यूएसडी 36 मिलियन)
 - परिसमाप्त बैंकों के लिए **₹185 करोड़**
(यूएसडी 20 मिलियन)

निपटाए गए दावों से वसूली

₹1,109
करोड़
(यूएसडी 117 मिलियन)



निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) (31 मार्च 2026)

₹2.62
लाख करोड़
(यूएसडी 28 बिलियन)



आरक्षित निधि अनुपात (31 मार्च 2026)

2.39%



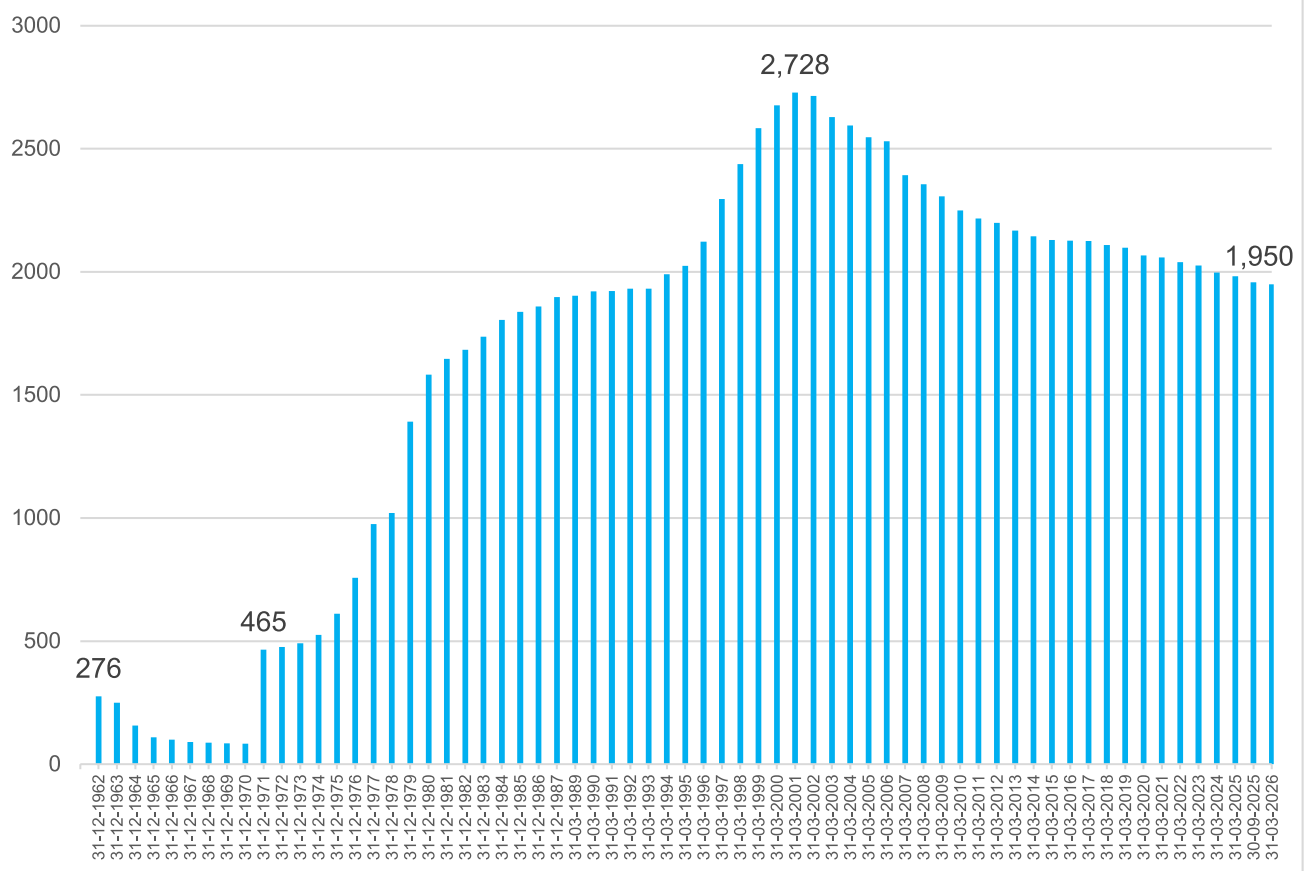
¹ प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक; समान अधिकार और समान क्षमता में रखी गई; और मूलधन तथा उपचित ब्याज सहित।

² फाइनेंशियल बेचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) के अनुसार, 30 मार्च 2026 को लागू विनिमय दर 1 यूएसडी = 94.6543 आईएनआर है।

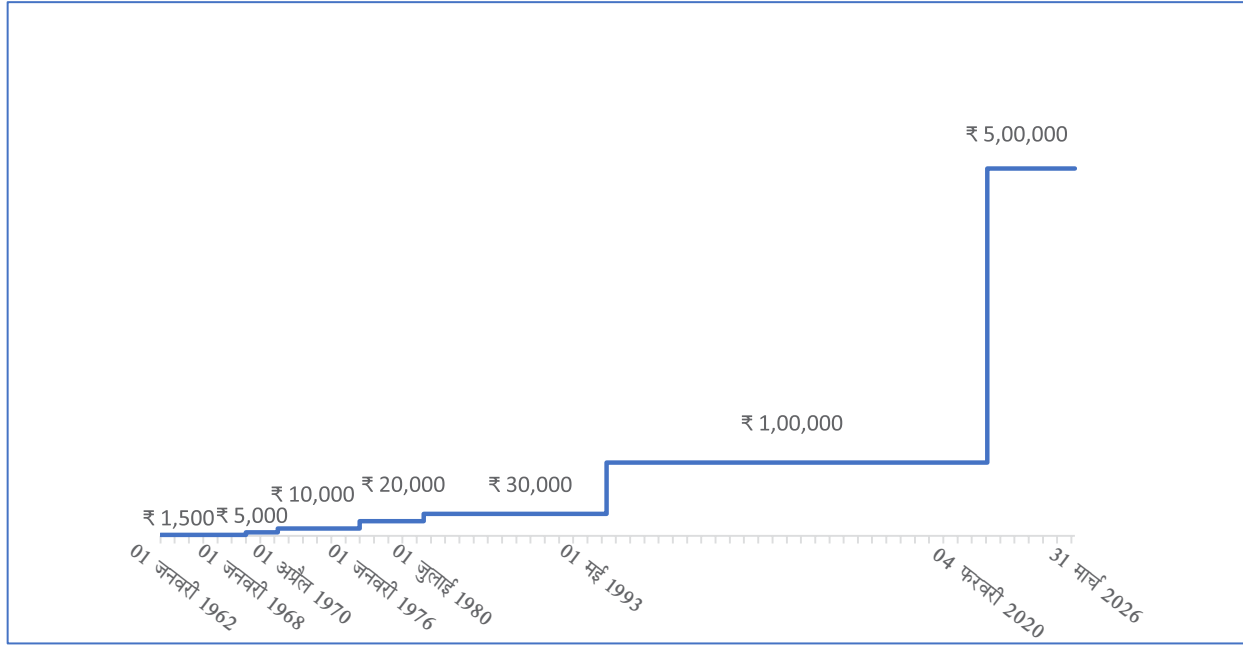
³ 1 लाख = 100,000; और 1 करोड़ = 10,000,000

मुख्य बिंदु: अब तक की यात्रा

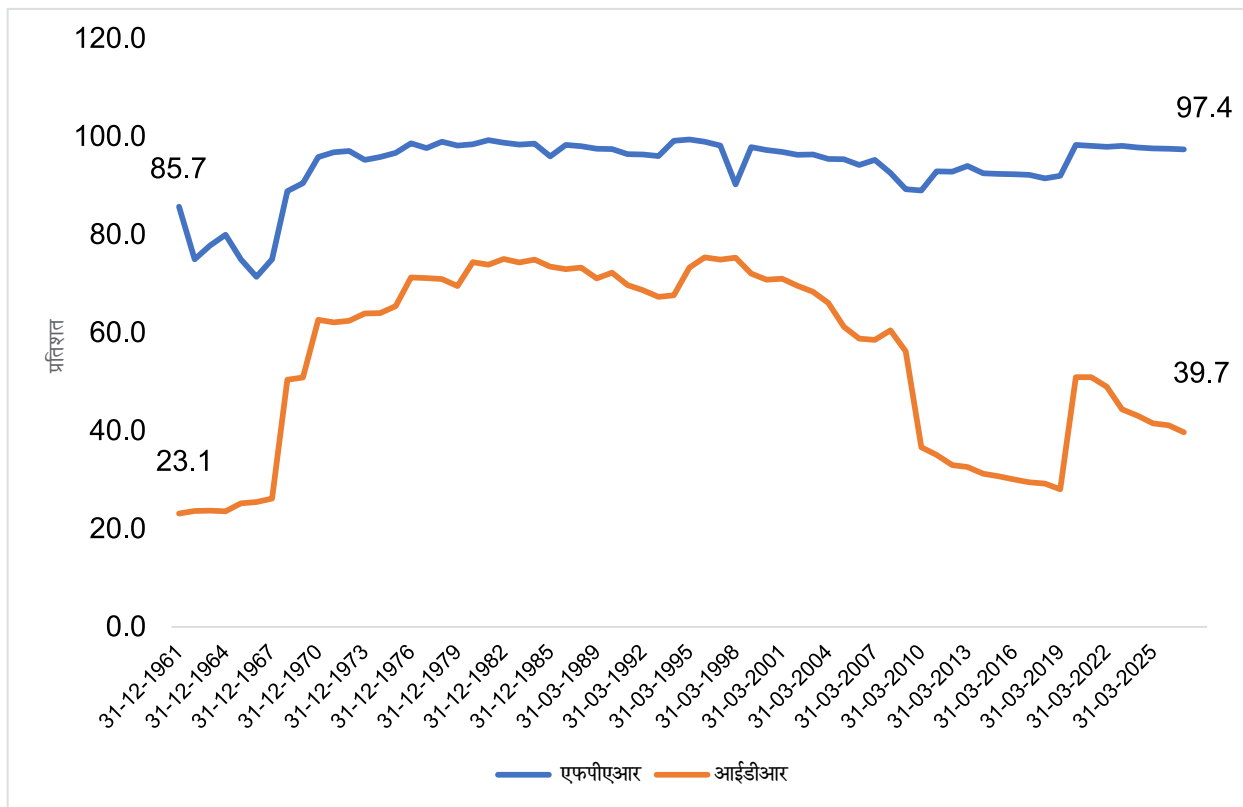
पैनल 1 : पंजीकृत बैंकों की संख्या



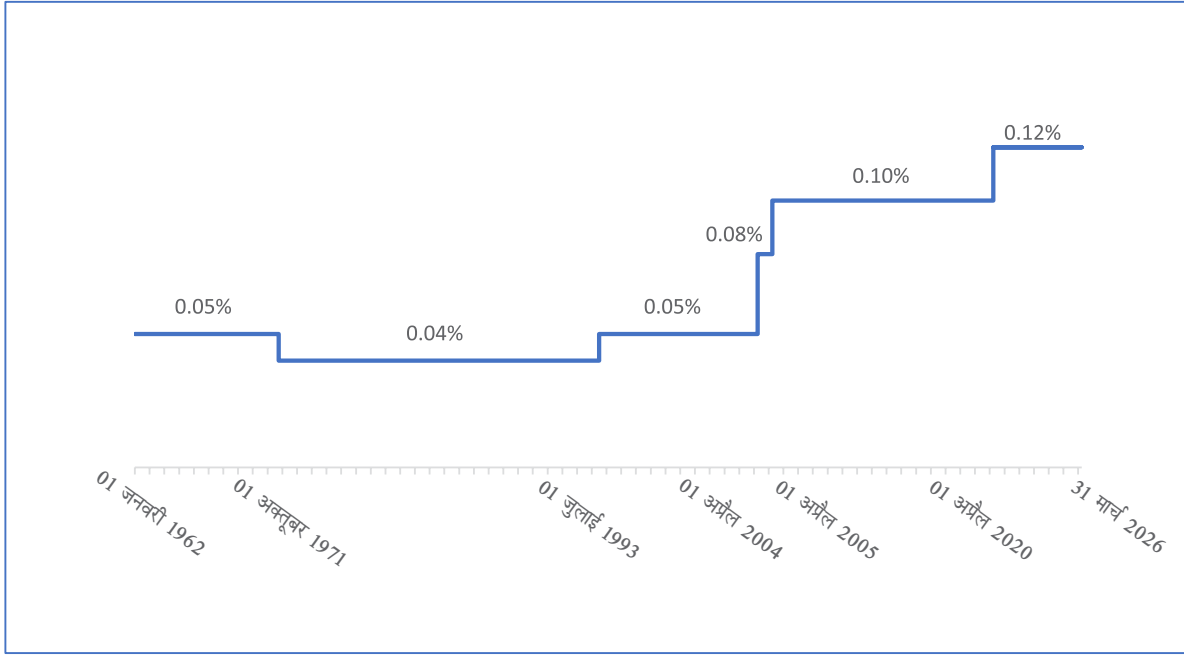
पैनल 2: कवरेज सीमा



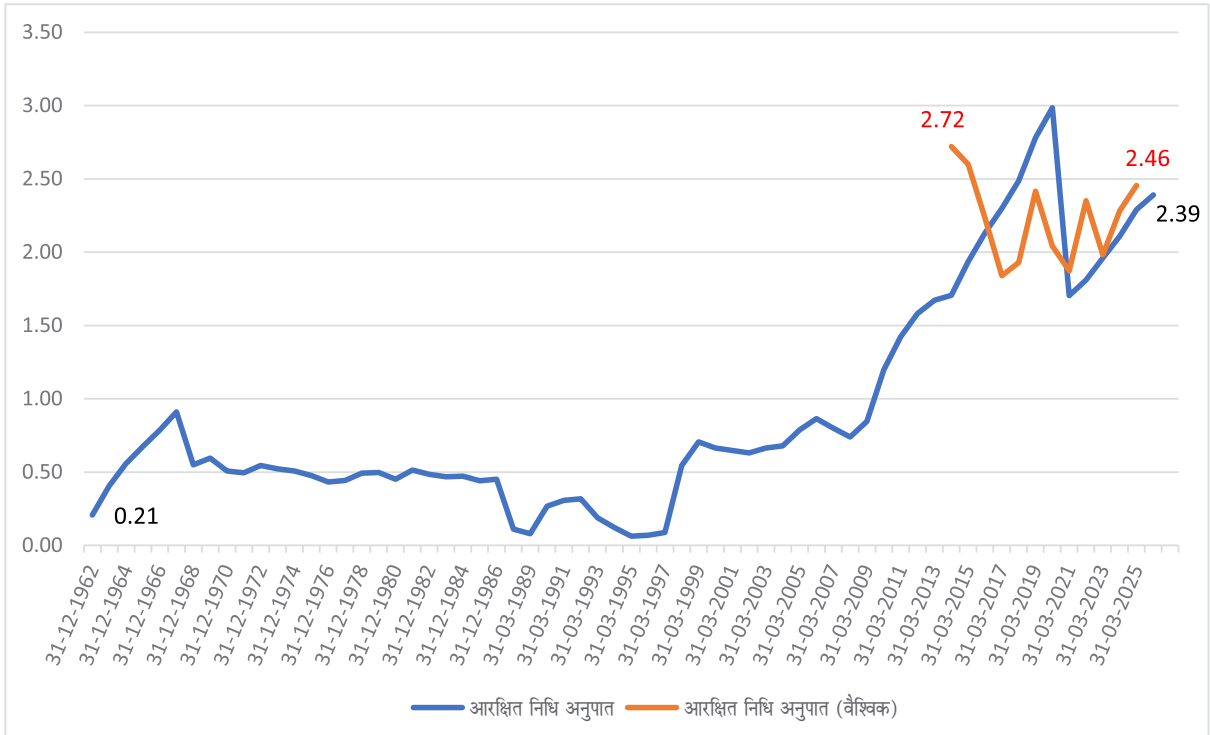
पैनल 3: पूर्णतः संरक्षित खाता अनुपात (एफपीएआर) और बीमाकृत जमा अनुपात (आईडीआर)



पैनल 4 : प्रीमियम दर



पैनल 5 : आरक्षित निधि अनुपात



1.

मूल्यांकन और संभावनाएं

1.1 परिचय

विवेकपूर्ण विनियमन, पर्यवेक्षण, अंतिम ऋणदाता (एलओएलआर)/आपातकालीन चलनिधि सहायता (ईएलए) कार्य और रेज़ोल्यूशन के साथ-साथ जमा बीमा भी 'वित्तीय सुरक्षा कवच' का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में निक्षेप बीमा योजना का संचालन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी या 'निगम') द्वारा किया जाता है, जो डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 तथा डीआईसीजीसी सामान्य विनियमावली, 1961 के तहत स्थापित भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी संस्था है। यह निगम जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा और बैंकिंग प्रणाली में भरोसे को बढ़ावा देने में रिज़र्व बैंक के विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे का पूरक है।

वित्तीय क्षेत्र की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार निक्षेप बीमा प्रणाली विकसित हुई है। पिछले कुछ वर्षों में, निगम ने अंतरराष्ट्रीय मानकों और समय के साथ विकसित हो रहे सर्वोत्तम तौर-तरीकों के अनुरूप अपनी वित्तीय मजबूती, परिचालन क्षमताओं और संस्थागत ढांचे को लगातार बेहतर बनाया है। वर्ष 2025-26 के दौरान, यह यात्रा प्रौद्योगिकी-संचालित रूपान्तरण, परिचालन दक्षता और जमाकर्ता-केंद्रित पहलों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करते हुए जारी रही। वर्ष की तीन प्रमुख उपलब्धियां रहीं: जोखिम-आधारित प्रीमियम फ्रेमवर्क की स्वीकृति, जो एक समान दर से जोखिम-संवेदनशील मूल्य निर्धारण की ओर बदलाव को चिह्नित करती है; प्रीमियम संग्रह का एक संपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म (*सम्यक* नाम से) पर अंतरण; और जमाकर्ता जागरूकता तथा संचार का पर्याप्त विस्तार।

इस अध्याय में 2025-26 के दौरान निक्षेप बीमा योजना का आकलन किया गया है और अंत में 2026-27 की संभावनाओं पर चर्चा की गई है।

1.2 2025-26 का मूल्यांकन

व्यापार और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद, प्रौद्योगिकी में निवेश, राजकोषीय और मौद्रिक सहायता तथा अनुकूल वित्तीय स्थितियों के कारण 2025 में वैश्विक आर्थिक संवृद्धि 3.4 प्रतिशत पर बनी रही; और स्थिर निजी उपभोग तथा मजबूत निवेश के बल पर मांग पक्ष में, और बेहतर होती औद्योगिक गतिविधियों और जीवंत सेवाओं के बल पर आपूर्ति पक्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही और 2025-26 में

इसकी वृद्धि एक वर्ष पहले के 7.1 प्रतिशत से बढ़कर 7.6 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2025-26 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की जमा राशि और ऋण में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई और जमा वृद्धि का स्तर मोटे तौर पर ऋण वृद्धि से कम रहा।¹

हालिया झटकों की एक श्रृंखला के बावजूद, वैश्विक वित्तीय प्रणाली ने मजबूती दिखाई है। हालांकि, वैश्विक वित्तीय स्थिरता जोखिम अभी भी उच्च स्तर पर बना हुआ है। घरेलू मोर्चे पर, सुदृढ़ समष्टि आर्थिक बुनियादी ढांचे और एक स्वस्थ वित्तीय प्रणाली ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पश्चिम एशिया संकट के दुष्प्रभावों से बचाने में मदद की। वित्तीय प्रणाली दबाव संकेतक (एफएसएसआई) में वृद्धि के बावजूद, पिछले संकट के दौर की तुलना में घरेलू वित्तीय प्रणाली में दबाव अपेक्षाकृत कम है।²

इस परिदृश्य में, निगम ने सुदृढ़ वित्तीय क्षमता और परिचालन तत्परता को बनाए रखते हुए जमा बीमा प्रणाली को मजबूत करना जारी रखा।

अभिशासन

वर्ष के दौरान, निगम के निदेशक मंडल ने कॉर्पोरेट अभिशासन नीति, 2026 को मंजूरी दी, जिसमें, *अन्य बातों के साथ-साथ*, बोर्ड की संरचना, बोर्ड कार्यप्रणालियों, बोर्ड की समितियों, बाह्य लेखा परीक्षक की भूमिका और सार्वजनिक सूचना प्रकटीकरण सहित डीआईसीजीसी अधिनियम, विनियमावली और अन्य बोर्ड निर्णयों में निहित कॉर्पोरेट अभिशासन पहलुओं को एक साथ लाया गया है। निगम ने “उन्नति” (2025-2027) नामक मध्यावधि कार्य योजना तैयार की जिसे बोर्ड द्वारा 15 मई 2025 को आयोजित इसकी 275वीं बैठक में मंजूरी दी गई। निगम ने निर्धारणीय जमा राशि और उस पर भुगतान किए गए प्रीमियम की सटीक रिपोर्टिंग हेतु इस निगरानी ढांचे को औपचारिक रूप देने के लिए एक मास्टर निदेश जारी किया।

प्रौद्योगिकी-संचालित परिचालनों पर बढ़ती निर्भरता और निर्बाध सेवा सुपुर्दगी की महत्वपूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने एक व्यापक और परिचालन रूप से मजबूत कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) फ्रेमवर्क, 2026 को मंजूरी दी। बोर्ड द्वारा आरबीआई-डीआईसीजीसी समन्वय समिति के पुनर्गठन पर विचार किया गया, जिसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) को भी समिति में शामिल

¹ भारतीय रिज़र्व बैंक (2026), वार्षिक रिपोर्ट, 2025-26, मुंबई, पृष्ठ 13-14

² भारतीय रिज़र्व बैंक (2026), वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जून 2026, पृष्ठ 3 - 5

किया गया है। इसके साथ ही, एक अधिनिर्णयन समिति के गठन पर भी विचार किया गया, जो बीमाकृत बैंकों द्वारा जमा बीमा रिटर्न प्रस्तुत करने में देरी या गैर-प्रस्तुतिकरण तथा जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के बाद निगम को पुनर्भुगतान में देरी के मामलों को देखेगी।

बीमाकृत बैंक

वर्ष के दौरान, 11 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) ने डीआईसीजीसी में पंजीकरण कराया और 43 बैंकों को विपंजीकृत किया गया, जिसमें 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 17 शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) शामिल थे। यह मुख्य रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन और शहरी सहकारी बैंकों के विलय के जरिए बैंकिंग क्षेत्र में आए समेकन को दर्शाता है। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार, निगम ने देश भर के वाणिज्यिक बैंकों और पात्र सहकारी बैंकों सहित 1,950 बैंकों को जमा बीमा कवरेज प्रदान किया।

कवरेज

वर्ष के दौरान बीमा कवरेज का दायरा और सीमा अपरिवर्तित रही। वर्तमान कवरेज सीमा ₹5,00,000 (लगभग यूएस\$5,282)³ प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक है, जो 4 फरवरी 2020 से प्रभावी है।

निर्धारणीय और बीमाकृत जमा राशि

वर्ष के दौरान बैंकिंग प्रणाली में वृद्धि, जमा बीमा आधार के निरंतर विस्तार में परिलक्षित हुई। कुल खातों की संख्या और पूर्णतः संरक्षित खातों की संख्या⁴ क्रमशः 2.6% और 2.4% बढ़कर 301 करोड़ और 294 करोड़ हो गई। मार्च 2026 के अंत तक कुल निर्धारणीय जमा राशि (एडी) 14.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर ₹275 लाख करोड़ हो गई, जबकि बीमाकृत जमा राशि 9.2 प्रतिशत बढ़कर ₹109 लाख करोड़ हो गई।

कवरेज अनुपात

चूँकि निर्धारणीय जमा राशि, बीमाकृत जमा राशि की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही है, इसलिए बीमाकृत जमा अनुपात (आईडीआर), जिसे निर्धारणीय जमा के अनुपात के रूप में मापा जाता है, पिछले वर्ष के 41.5 प्रतिशत से मार्च 2026 के अंत तक घटकर 39.7 प्रतिशत रह गया। आईडीआर में सभी बैंक समूहों में कमी आई, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में सबसे तीव्र गिरावट दर्ज की गई, उसके बाद यूसीबी और स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी) का स्थान रहा। पूर्णतः संरक्षित

खातों का अनुपात 97.4 प्रतिशत पर उच्च बना रहा, जो यह दर्शाता है कि लगभग सभी पात्र जमा खाते मौजूदा कवरेज सीमा के तहत पूरी तरह सुरक्षित रहे।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ़ डिपॉजिट इंश्योरर्स (आईएडीआई)⁵ द्वारा रिपोर्ट किए गए पूर्णतः संरक्षित खातों का औसत अनुपात लगभग 96 प्रतिशत है, जबकि बीमाकृत जमा का औसत अनुपात 40 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है, जिससे भारत में जमाकर्ताओं का कवरेज मोटे तौर पर मौजूदा अंतरराष्ट्रीय रुझानों के अनुरूप है।⁶

डीआईसीजीसी का वित्तपोषण

निगम जमा बीमा योजना के परिचालन के लिए एक निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) का निर्माण और प्रबंधन करता है। डीआईएफ को तीन मुख्य स्रोतों से वित्तपोषित किया जाता है: बैंकों पर लगाया जाने वाला जमा बीमा प्रीमियम, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से प्राप्त ब्याज आय और निपटाए गए जमा बीमा दावों की वसूली।

वर्ष के दौरान निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ रही। इस अवधि में इसका कुल राजस्व 13.3 प्रतिशत बढ़कर ₹49,723 करोड़ हो गया। इनमें से प्रीमियम राजस्व 11.9 प्रतिशत बढ़कर ₹29,947 करोड़ हो गया, जो मोटे तौर पर निर्धारणीय जमा आधार में वृद्धि को दर्शाता है; प्रीमियम प्राप्तियों में वाणिज्यिक बैंकों का योगदान 95.0 प्रतिशत रहा, जबकि सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी शेष 5.0 प्रतिशत रही। 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी वर्तमान एकसमान प्रीमियम दर निर्धारणीय जमा राशि का 0.12 प्रतिशत प्रति वर्ष है। निवेश आय 18.0 प्रतिशत बढ़कर ₹18,667 करोड़ हो गई।

डीआईएफ, जो जमा बीमा प्रणाली के लिए वित्तीय सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, मार्च 2026 के अंत तक 14.4 प्रतिशत बढ़कर ₹2,61,823 करोड़ हो गया, जिससे निगम की वित्तीय सुदृढ़ता और अधिक बढ़ गई। आरक्षित अनुपात 2.39 प्रतिशत था, जो 2.5 प्रतिशत के वैश्विक औसत के करीब है।

जोखिम आधारित प्रीमियम (आरबीपी) फ्रेमवर्क

डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 15(1) के तहत, डीआईसीजीसी ने रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से 1 अप्रैल 2026 से जोखिम आधारित प्रीमियम (आरबीपी) फ्रेमवर्क लागू करने का निर्णय लिया है, जो बैंकों की अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग-अलग प्रीमियम दरों का प्रावधान

3 एफबीआईएल वेबसाइट से 30 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार ₹94.6543 प्रति यूएस डॉलर की आरबीआई संदर्भ दर पर परिवर्तित।

4 ये वे जमा खाते हैं जिनका बकाया बैलेंस ₹5,00,000 से कम है।

5 वर्ष 2002 में स्थापित और बेसल, स्विट्जरलैंड में स्थित, आईएडीआई जमा बीमाकर्ताओं का एक वैश्विक मंच है और जमा बीमा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मानक-निर्धारण निकाय है, अर्थात् प्रभावी जमा बीमा प्रणाली के लिए मुख्य सिद्धांत, 2025। डीआईसीजीसी 2004-05 से आईएडीआई का सदस्य है।

6 आईएडीआई (2026), 2026 में जमा बीमा: वैश्विक रुझान रिपोर्ट, मार्च 2026।

करता है। आरबीपी फ्रेमवर्क बैंकों द्वारा उचित जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा देता है और बेहतर प्रबंधित बैंकों को प्रति वर्ष निर्धारणीय जमाराशि (एडी) के प्रति ₹100 पर 12 पैसे के कार्ड रेट से कम प्रीमियम का भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है।

दावा निपटान/प्रतिपूर्ति

वर्ष के दौरान, निगम ने परिसमाप्त, विलय किए गए और सर्व समावेशी निदेशों (एआईडी) के तहत सहकारी बैंकों से संबंधित ₹1,988 करोड़ की राशि के दावों का निपटान किया। इसमें से ₹1,460 करोड़ डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 18ए के अधीन जमाकर्ताओं को अंतरिम भुगतान के रूप में एआईडी के तहत आने वाले बैंकों से संबंधित थे, और ₹528 करोड़ परिसमाप्त और विलय किए गए बैंकों के दावों से संबंधित थे। स्थापना (1962) से अब तक कुल ₹18,931 करोड़ के दावों का निपटान किया जा चुका है।

परिसमापक से दावा प्राप्त होने की तारीख से उसे स्वीकृत करने में निगम ने औसतन सात दिन का समय लिया (पिछले वर्ष भी सात दिन थे), जिससे बीमाकृत जमाकर्ताओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित हुआ।

वसूली

जमाकर्ताओं को की गई भुगतान राशि की वसूली करने के लिए डीआईसीजीसी को कानून द्वारा आदेश दिया गया है। परिसमापकों और अंतरिती बैंकों से वर्ष के दौरान ₹1,109 करोड़ की वसूली प्राप्त हुई, जो आस्ति वसूली की दिशा में निरंतर प्रयासों को दर्शाती है।

डिजिटलीकरण और प्रक्रिया रूपांतरण

अपनी मध्यावधि कार्यनीति 'उन्नति' के हिस्से के रूप में, निगम ने एक व्यापक डिजिटलीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। इसमें डेटा प्रबंधन, प्रक्रिया अनुकूलन, व्यावसायिक विश्लेषण, जन जागरूकता और साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।

वर्ष के दौरान, निगम ने प्रीमियम संग्रह के लिए 'सम्यक' नामक एक संपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो रिटर्न जमा करने, प्रीमियम की गणना, भुगतान, वैधानिक लेखा परीक्षक प्रमाणन और आधार-सक्षम ई-हस्ताक्षर को एक ही कार्यप्रवाह में एकीकृत करता है। इस प्लेटफॉर्म पर माइग्रेसन ने बीमाकृत बैंकों के लिए अनुपालन को सरल बनाया, मानवीय हस्तक्षेप को कम किया और स्ट्रेट-थ्रू प्रोसेसिंग तथा स्वचालित मिलान के माध्यम से परिचालन दक्षता में सुधार किया।

इस पहल के पूरक के रूप में, निगम दावों के निपटान और वसूली

प्रबंधन सहित मुख्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और सीधे प्रसंस्करण में तेजी लाया, जिसके लिए स्वचालित वर्कफ्लो, बैंकों और लेखा परीक्षकों द्वारा ऑनलाइन प्रमाणीकरण, डैशबोर्डों और भुगतान गेटवे एकीकरण प्रदान करने वाले मॉड्यूल का उपयोग किया गया। ये संरचित निगरानी, हितधारकों के साथ घनिष्ठ जुड़ाव, दावों के समय पर निपटान और परिसमाप्त बैंकों तथा एआईडी के तहत बैंकों से बेहतर वसूली को सक्षम बनाते हैं।

इसके अतिरिक्त, निगम ने एक सिंगल कस्टमर व्यू (एससीवी) एप्लीकेशन डेवलप किया है - यह बीमाकृत बैंकों को उपलब्ध कराया जाने वाला एक स्टैंडअलोन एप्लीकेशन है जो 'समान अधिकार और समान क्षमता' के तहत रखे गए खातों को समूहीकृत करते हुए और बीमाकृत राशि के आकलन के लिए, ऋण राशि को, जहां लागू हो, समायोजित करते हुए, खाता-स्तरीय डेटा को जमाकर्ता-स्तरीय डेटा में समेकित करता है। इसके शुरु होने से बीमाकृत बैंकों में जमाकर्ता डेटा की गुणवत्ता और एकरूपता बेहतर होने की संभावना है, जिससे बैंक के विफल होने की स्थिति में दावों का निपटान जल्दी हो सकेगा। एससीवी एप्लीकेशन का कार्यान्वयन जमाकर्ता डेटा की तैयारी को मजबूत करने और दावा निपटान की समयबद्धता पर आईएडीआई द्वारा समर्थित सिद्धांतों के प्रगामी अनुपालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जन-जागरूकता और संचार

जमाकर्ता जागरूकता इस बात को निर्धारित करती है कि क्या जमा बीमा जमाकर्ताओं के विश्वास में बदलता है, विशेष रूप से तनाव के दौर में। यह समझते हुए कि जमाकर्ता का विश्वास केवल वित्तीय सुरक्षा पर ही नहीं, बल्कि जन जागरूकता पर भी निर्भर करता है, निगम ने वर्ष के दौरान अपने संचार प्रयासों को काफी बढ़ाया है।

पुनर्निर्मित वेबसाइट, एआई-सक्षम चैटबॉट, दावा स्थिति ट्रैकर, शैक्षणिक वीडियो और आधिकारिक इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनलों के लॉन्च सहित विस्तारित सोशल मीडिया पहुंच के माध्यम से निगम ने अपनी डिजिटल उपस्थिति को मजबूत किया, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के लिए जमा बीमा संबंधी जानकारी अधिक सुलभ और समझने में आसान हो गई।

संचार कक्ष ने स्वतंत्र रूप से तथा रिजर्व बैंक और नाबार्ड के सहयोग से वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इसके साथ ही निगम की पहली शैक्षिक कॉमिक बुक 'डीआईसीजीसी: द सेफ्टी नेट' का प्रकाशन किया गया, जो सरल चित्रों और सहज कहानियों के माध्यम से जमा बीमा की मुख्य अवधारणाओं को प्रस्तुत करती है। रिजर्व बैंक के सहयोग से छात्रों के लिए परिचयात्मक सत्र आयोजित किए गए थे, और 'ट्रेन द ट्रेनर' मॉडल के अंतर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों

को अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में डीआईसीजीसी अधिदेश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। रिज़र्व बैंक और नाबार्ड के साथ उनके वित्तीय साक्षरता अभियानों के माध्यम से वितरित करने के लिए सूचना सामग्री साझा की गई।

अभिशासन और जोखिम प्रबंधन

वर्ष के दौरान, निगम ने अपने कार्यों के बढ़ते पैमाने और जटिलता को स्वीकार करते हुए अपने अभिशासन और जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करना जारी रखा। चलनिधि, निवेश, परिचालन, कानूनी और साइबर जोखिमों को कवर करते हुए उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के उपाय किए गए। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) ने इस रूपरेखा के कार्यान्वयन की निगरानी जारी रखी, जबकि निवेश प्रबंधन दिशानिर्देशों और जोखिम प्रबंधन रूपरेखा ने निक्षेप बीमा निधि के विवेकपूर्ण प्रबंधन में सहायता की।

आईएडीआई और अन्य जमा बीमाकर्ताओं के साथ जुड़ाव

2025-26 में, निगम ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरर्स (आईएडीआई) और अन्य जमा बीमाकर्ताओं के साथ एसोसिएशन द्वारा आयोजित बैठकों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं के माध्यम से सक्रिय रूप से सहभागिता की। डीआईसीजीसी ने आईएडीआई वार्षिक सर्वेक्षण 2025 सहित विभिन्न सर्वेक्षणों में भाग लिया। इस प्रकार की सहभागिता निगम को प्रभावी जमा बीमा प्रणालियों के लिए आईएडीआई के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध अपनी कार्यप्रणालियों का मूल्यांकन करने में सहायता करती है।

1.3 2026-27 के लिए संभावनाएं

निगम अपनी मध्यावधि कार्यनीति रूपरेखा (उन्नति) के तहत कार्यनीतिक प्राथमिकताओं को लागू करना जारी रखेगा, जिसमें प्रौद्योगिकी-सक्षम परिचालन और डेटा व एनालिटिक्स के अधिक उपयोग, जमाकर्ता सुरक्षा

को बढ़ाने के लिए मजबूत वसूली तंत्र; कानूनी, शासन और संस्थागत ढांचे के आधुनिकीकरण; और बेहतर जागरूकता पहलों पर जोर दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से आरबीपी फ्रेमवर्क लागू होने के बाद, निगम पूरी तरह से स्वचालित डेटा संग्रह पर ध्यान केंद्रित करेगा और आगे चलकर प्रीमियम राजस्व और आरक्षित निधि अनुपात पर इसके प्रभाव का आकलन करना जारी रखेगा। यह समय-समय पर जमा बीमा ढांचे की समीक्षा भी करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कवरेज सीमा उपयुक्त बनी रहे। एससीवी के रोल-आउट से दावों के प्रसंस्करण में लगने वाला समय कम होने की आशा है, जबकि सम्यक और अन्य डिजिटल पहलों से दावों की निगरानी, ग्राहक शिकायत निवारण, आस्ति प्रबंधन और बेहतर डीआईसीजीसी वेब अनुभव में सुधार होगा।

निगम ऐसे आसानी से पढ़े जा सकने वाले और स्थानीय भाषा में जागरूकता संबंधी सामग्री तैयार करेगा जिससे अधिक से अधिक सामान्य जन तक पहुंच बनाई जा सके और इस जानकारी के प्रसार में आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय तथा रिज़र्व बैंक और नाबार्ड के प्रशिक्षण संस्थान सक्रिय रूप से शामिल होंगे। निगम ज्ञान के आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की सुविधा प्रदान करते हुए प्रमुख जमा बीमाकर्ताओं के साथ समझौता ज्ञापनों के जरिए वैश्विक जमा बीमा समुदाय में अपनी भागीदारी को और भी मजबूत करेगा। डीआईसीजीसी वर्ष 2027 में आईएडीआई एशिया-प्रशांत और यूरोशिया क्षेत्रीय समिति बैठकों की मेज़बानी करने के लिए भी उत्सुक है।

छह दशक से अधिक के अनुभव और अपनी कार्यनीतिक दृष्टि से निर्देशित होकर, निगम परिचालन उत्कृष्टता, जनसंपर्क, सुशासन और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से जमा बीमा ढांचे को मजबूत करना जारी रखेगा, ताकि यह प्रणाली लचीली, उत्तरदायी और भविष्य के लिए तैयार बनी रहे।

2.

प्रबंधकीय चर्चा और विश्लेषण

2.1 परिचय

निगम और उसके परिचालन डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 और डीआईसीजीसी सामान्य विनियमावली, 1961 के प्रावधानों द्वारा शासित हैं। इस अधिनियम के तहत निगम के मामलों और कारोबार का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन निदेशक मंडल में निहित है। वर्ष के दौरान डीआईसीजीसी बोर्ड की चार बैठकें हुईं: 15 मई 2025 (275वीं बैठक), 3 सितंबर 2025 (276वीं बैठक), 6 नवंबर 2025 (277वीं विशेष बैठक) और 12 फरवरी 2026 (278वीं बैठक)।

वर्ष के दौरान की मुख्य उपलब्धि 1 अप्रैल 2026 से भारत में जोखिम-आधारित प्रीमियम (आरबीपी) फ्रेमवर्क की शुरुआत थी; इस तरह के फ्रेमवर्क को पेश करने का प्रस्ताव 1998 से विचाराधीन था।⁷ आरबीपी फ्रेमवर्क का मुख्य लक्ष्य बैंकों द्वारा उचित जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा देना है। इस अध्याय में इस पर और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निगम में अन्य नीतिगत गतिविधियों पर चर्चा की गई है। जहाँ अगला खंड अभिशासन संबंधी गतिविधियों पर प्रकाश डालता है, वहीं तीसरा खंड इस वर्ष पहली बार शुरू की गई मध्यावधि कार्य योजना (जिसे 'उन्नति' कहा गया है) के कार्यान्वयन की स्थिति प्रस्तुत करता है। अध्याय का अंत आगे की राह के साथ होता है।

2.2 अभिशासन से संबंधित प्रमुख गतिविधियाँ

तैयार की गई विस्तृत कॉर्पोरेट अभिशासन नीति

निगम के अधिकांश अभिशासन संबंधी पहलू डीआईसीजीसी अधिनियम और सामान्य विनियमावली, 1961 में निहित हैं, जबकि कुछ नित्य प्रयोग द्वारा विकसित हुए हैं।

इस प्रकार, स्थापना से वर्ष 2007 तक एक अलग व्यापक कॉर्पोरेट अभिशासन नीति दस्तावेज़ नहीं बनाया गया था, जब तक कि डीआईसीजीसी ने कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में देखी गई प्रणालियों के आधार पर इसे पेश नहीं किया। डीआईसीजीसी अधिनियम में 2021 में हुए संशोधन के उपरांत प्राप्त विस्तारित अधिदेश तथा वर्ष 2024 की कार्यनीति बैठक ("रोडमैप टू रेज़िलिएंस") में हुए विचार-विमर्श के

आलोक में, निगम के शासन और निष्पादन ढांचे की समीक्षा कर उसके स्थान पर एक विस्तृत नीति लागू करने की आवश्यकता महसूस की गई। बोर्ड ने 12 फरवरी 2026 को आयोजित अपनी 278वीं बैठक में कॉर्पोरेट अभिशासन नीति, 2026 को मंजूरी दी। यह नीति अधिनियम, नियमों और बोर्ड के अन्य निर्णयों में निहित कॉर्पोरेट अभिशासन पहलुओं का संदर्भ देते हुए बोर्ड, उसकी समितियों और वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका और उत्तरदायित्वों, सर्वोत्तम सचिवीय प्रथाओं, लेखा परीक्षकों की भूमिका, लोक सूचना प्रकटीकरण आदि पर बल देती है।

निर्धारणीय जमाराशि संबंधी मार्गदर्शन नोट और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

निगम ने बीमाकृत बैंकों द्वारा दाखिल की गई विवरणियों की संवीक्षा आरंभ की है, जिससे निर्धारणीय जमा राशि और उस पर दिए गए प्रीमियम की रिपोर्टिंग की शुद्धता की जांच की जा सके। निर्धारणीय जमा राशियों के वर्गीकरण में विसंगतियाँ पाए जाने पर, डीआईसीजीसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप दंडात्मक ब्याज वसूला जाता है। निगम ने इस निगरानी ढांचे को औपचारिक रूप देने के लिए एक मास्टर निदेश जारी किया है। निगम ने सीएबी पुणे और नाबार्ड प्रशिक्षण संस्थान में बैंकों के लिए क्षमता निर्माण सत्र आयोजित किए हैं। आगे चलकर, जमा वर्गीकरण में त्रुटियों से बचने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) जारी करने का प्रस्ताव है।

जोखिम-आधारित प्रीमियम (आरबीपी) फ्रेमवर्क की शुरुआत

डीआईसीजीसी ने आरबीआई बोर्ड के अनुमोदन से 1 अप्रैल 2026 से बीमाकृत बैंकों के लिए जोखिम-आधारित प्रीमियम (आरबीपी) फ्रेमवर्क की शुरुआत की है। आरबीपी फ्रेमवर्क बैंकों को उचित जोखिम प्रबंधन के लिए प्रेरित करता है और बेहतर ढंग से प्रबंधित बैंकों को कम प्रीमियम का भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है। इस फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताओं में द्वि-स्तरीय जोखिम-आधारित रेटिंग पद्धति, बैंकों का जोखिम वर्गीकरण और जोखिम-आधारित प्रीमियम, प्रभावी प्रीमियम दर, रेटिंग ओवरराइड नीति, प्रकटीकरण नीति और समीक्षा नीति शामिल हैं। आरबीपी फ्रेमवर्क का संक्षिप्त विवरण बॉक्स 2.1 में दिया गया है।

⁷भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और डीआईसीजीसी द्वारा गठित विभिन्न समितियों ने अतीत में इसकी सिफारिश की थी, जिसमें बैंकिंग क्षेत्र सुधारों पर नरसिम्ह समिति रिपोर्ट (1998), भारत में जमा बीमा में सुधार पर कपूर समिति (1999), क्रेडिट जोखिम मॉडल पर नाचणे समिति (2006), अरविंद मायाराम समिति (2014), जसबीर सिंह समिति (2015), आनंद सिन्हा समिति (2019) और चलपति समिति (2020) शामिल हैं।

बॉक्स 2.1: जोखिम-आधारित प्रीमियम (आरबीपी) फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन

अपनी स्थापना के समय से, डीआईसीजीसी ने प्रत्याशित निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) के माध्यम से जमा बीमा योजना को वित्तपोषित करने के लिए एक समान दर प्रीमियम लगाया है। यद्यपि एक समान दर वाला प्रीमियम समझना और संचालित करना आसान है, तथापि यह बैंकों में विफलता के उनके जोखिम के आधार पर और डीआईएफ को संभावित नुकसान के आधार पर भेद नहीं करता। आरबीपी के सापेक्ष लाभों को ध्यान में रखते हुए, 1993 में संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरुआत करते हुए, कई देशों ने फ्लैट प्रीमियम के स्थान पर इसे अपना लिया है। दिसंबर के अंत तक, लगभग 62 प्रतिशत जमा बीमाकर्ताओं ने आरबीपी फ्रेमवर्क को अपनाया है।

भारत में बैंकों के लिए आरबीपी की परिकल्पना सबसे पहले 1998 में बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति (नरसिम्हम समिति II) द्वारा की गई थी, और गत वर्षों में भारत सरकार, रिज़र्व बैंक और डीआईसीजीसी द्वारा गठित विभिन्न अन्य समितियों ने इसकी सिफारिश की है। परिचालन और डेटा संबंधी समस्याओं के कारण आरबीपी को पहले लागू नहीं किया जा सका था। विस्तृत समीक्षा के आधार पर, भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने 19 दिसंबर 2025 को आयोजित अपनी बैठक में डीआईसीजीसी बोर्ड की संस्तुति पर आरबीपी फ्रेमवर्क को स्वीकृति प्रदान की। डीआईसीजीसी ने तदनुसार 6 फरवरी 2026 और 1 अप्रैल 2026 के परिपत्रों के माध्यम से आवश्यक अनुदेश जारी किए हैं और यह फ्रेमवर्क 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया गया है।

द्वि-स्तरीय जोखिम रेटिंग मॉडल

इस फ्रेमवर्क में दो-स्तरीय जोखिम-आधारित रेटिंग पद्धति, बैंकों का जोखिम वर्गीकरण और एक प्रकटीकरण और समीक्षा नीति शामिल हैं। टियर 1 मॉडल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) पर लागू है। जोखिम रेटिंग में, रिज़र्व बैंक की 'जोखिम-आधारित' पर्यवेक्षी रेटिंग, मात्रात्मक मूल्यांकन और बीमाकृत बैंकों के विफल होने से डीआईएफ को होने वाले संभावित नुकसान के संयोजन का उपयोग किया जाता है। टियर 2 मॉडल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), ग्रामीण सहकारी बैंकों [राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) और शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर लागू होता है। रेटिंग के उद्देश्य से, टियर 2 मॉडल मात्रात्मक मूल्यांकन और ऐसे बैंकों के विफल होने से डीआईएफ को होने वाले संभावित नुकसान के संयोजन का प्रयोग करता है। टियर 1 और 2 मॉडल बैंकों के लिए मात्रात्मक मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठ वित्तीय मापदंडों अर्थात् शोधनक्षमता अनुपात (जैसे, पूंजी-पर्याप्तता और उसकी संरचना की गुणवत्ता), आस्ति गुणवत्ता अनुपात, चलनिधि, लाभप्रदता संकेतकों और अन्य मापदंडों पर आधारित है।

रेटिंग वर्गीकरण और जोखिम आधारित प्रीमियम

बैंकों को जोखिम प्रबंधन में सुधार के लिए प्रेरित करने हेतु, उनके मॉडल जोखिम श्रेणी के आधार पर बैंकों को क्रमिक छूट दी जाती है। रेटिंग पद्धति के अंतर्गत, प्रत्येक बैंक को तालिका 1 में दर्शाए गए अनुसार चार समूहों अर्थात् ए, बी, सी और डी में वर्गीकृत किया गया है; जिसमें श्रेणी ए के बैंकों के पास सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन कार्यप्रणाली हैं। प्रत्येक श्रेणी के लिए जोखिम-आधारित प्रीमियम कार्ड दर निर्धारणीय जमाराशि के प्रति ₹100 पर क्रमशः 8 पैसे, 10 पैसे, 11 पैसे और 12 पैसे हैं।

तालिका 1: रेटिंग वर्गीकरण और प्रीमियम दरें				
रेटिंग श्रेणी (मॉडल स्कोर)	ए (80 ≤ एमएस ≤ 100)	बी (70 ≤ एमएस < 80)	सी (60 ≤ एमएस < 70)	डी (0 ≤ एमएस < 60)
वर्तमान प्रीमियम कार्ड दर	12	12	12	12
नई प्रीमियम कार्ड दर	8	10	11	12
कार्ड दर पर औसत इंसेंटिव (%)	33.33%	16.67%	8.33%	0%

नोट: प्रीमियम दरें, निर्धारणीय जमाराशि के प्रति ₹100 पर पैसे में हैं।

विंटेज लाभ और प्रीमियम की प्रभावी दर

आरबीपी फ्रेमवर्क ने विंटेज का लाभ भी प्रदान किया है, जिसका अर्थ है कि मॉडल रेटिंग के आधार पर निकाली गई प्रीमियम दर पर अधिकतम 25% के अधीन, बिना किसी बड़े स्ट्रेस इवेंट या डीआईसीजीसी से दावा भुगतान के, डीआईएफ में लंबे समय तक योगदान देना। अतः प्रीमियम की प्रभावी दर, जोखिम रेटिंग मॉडल और विंटेज इंसेंटिव का प्रकार्य है। आरबीपी फ्रेमवर्क की समय-समय पर कम से कम तीन वर्षों में एक बार समीक्षा की जानी है। यह आशा की जाती है कि आगे चलकर इंसेंटिव आधारित आरबीपी फ्रेमवर्क बैंक स्तरीय अभिशासन और बैंकिंग प्रणाली की समग्र वित्तीय स्थिरता में उल्लेखनीय सुधार लाएगा।

प्रीमियम भुगतान में चूक करने वाले बैंकों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया

प्रीमियम प्राप्त होने में विलंब से बचने के लिए, चूककर्ता बैंकों को डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों का स्पष्ट रूप से हवाला देते हुए और उन्हें पंजीकरण रद्द होने तथा उसके परिणामस्वरूप जमा बीमा कवरेज के नुकसान की संभावना के प्रति सचेत करने के लिए औपचारिक नोटिस जारी करने की मानकीकृत प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया गया है। इसके अतिरिक्त, यदि मामला अनसुलझा रहता है, तो इसे संबंधित पर्यवेक्षी प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।

डीआईसीजीसी के पोर्टफोलियो के दबाव परीक्षण पर कार्य दल

डीआईसीजीसी ट्रेजरी की जोखिम प्रबंधन समिति (अक्टूबर 2023) ने निगम के ट्रेजरी पोर्टफोलियो के लिए नियमित अंतराल पर संरचित परिदृश्य विश्लेषण और संवेदनशीलता परीक्षण शुरू करने की सिफारिश की थी। इस उद्देश्य के लिए गठित कार्यदल ने वर्ष के दौरान अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसकी सिफारिशों का परीक्षण किया जा रहा है। प्रमुख

सिफारिशों का सारांश बॉक्स 2.2 में दिया गया है।

वर्ष के दौरान परिचालन जोखिम रिज़र्व संबंधी कार्यदल का भी गठन किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट विचारार्थ प्रस्तुत कर दी है।

निगम की कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी)

बोर्ड ने 12 फरवरी 2026 को आयोजित अपनी 278वीं बैठक में कारोबार निरंतरता योजना फ्रेमवर्क को मंजूरी दी। प्रौद्योगिकी-संचालित परिचालनों पर बढ़ती निर्भरता और निर्बाध सेवा सुपुर्दगी की महत्वपूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, एक व्यापक और परिचालन की दृष्टि से मजबूत बीसीपी फ्रेमवर्क स्थापित करना अनिवार्य हो गया था। बीसीपी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डीआईसीजीसी, परिचालन संबंधी बाधाओं का प्रभावी ढंग से सामना कर सके और प्रीमियम संग्रहण, दावा प्रसंस्करण, पुनर्भुगतान, ट्रेजरी परिचालन और लेखों को कवर करते हुए स्वीकार्य रिकवरी समय लक्ष्यों के भीतर प्रमुख कार्यों को फिर से शुरू कर सके। अपनी जोखिम प्रबंधन कार्यनीति के हिस्से के रूप में, निगम न्यूनतम व्यवधान के साथ महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों को संचालित करने के लिए एक 'नियर' वर्क ऑल्टरनेट रिकवरी (डब्ल्यूएआर) साइट और एक

बॉक्स 2.2: डीआईसीजीसी के पोर्टफोलियो के दबाव परीक्षण पर कार्यदल – प्रमुख सिफारिशें

यह कार्यदल रिज़र्व बैंक के चुनिंदा विभागों, डीआईसीजीसी और राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान के सदस्यों के साथ गठित किया गया था। इसकी मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं।

- डीआईसीजीसी को, दबाव परीक्षण सिद्धांतों संबंधी बासेल दिशा-निर्देशों के अनुरूप, एक दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क स्थापित करने पर विचार करना चाहिए, जिसमें अन्य बातों के अलावा उद्देश्य, अभिशासन, नीतियां, प्रक्रियाएं, मॉडल और कार्यपद्धतियां संसाधन और संगठनात्मक संरचनाएं, तथा प्रलेखन शामिल हों।
- बाज़ार जोखिम — परिदृश्य विश्लेषण के लिए चार मॉडल उपयोग किए जा सकते हैं: एकदिशीय समय श्रृंखला डेटा पर आधारित 'वैल्यू एट रिस्क' (वीएआर) मॉडल, सरकारी प्रतिभूतियों के पुराने प्रतिफलों पर आधारित वीएआर मॉडल, बहुचर प्रतिगमन मॉडल और बहुस्तरीय सदिश त्रुटि सुधार मॉडल। पोर्टफोलियो के बाज़ार मूल्य में हानि का रूढ़िवादी अनुमान एक माह और तीन माह की समय-सीमा में इन परिणामों के अधिकतम मूल्य को देखकर लगाया जा सकता है।
- शोधनक्षमता जोखिम — बेसलाइन, मध्यम और गंभीर परिदृश्यों के अंतर्गत दावों के पैटर्न और प्रत्याशित तथा अप्रत्याशित दावों के पूर्वानुमान के लिए पैनेल डेटासेट का उपयोग करके यूसीबी और एससीबी के लिए अलग-अलग लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल संचालित किए जा सकते हैं।
- श्रेयोल्ड आरक्षित निधि अनुपात — विशेष प्रकृति की बैंक विफलताओं और प्रणालीगत आघात के परिदृश्यों के तहत गणना किए गए अनुमान दर्शाते हैं कि मार्च 2025 तक आरक्षित निधि अनुपात पर्याप्त या पर्याप्त के नज़दीक है।
- आवृत्ति और संसाधन — या तो भुगतान किए गए या ओपन-सोर्स इकोनोमेट्रिक सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके दबाव परीक्षण नियमित अंतराल पर, त्रैमासिक जब डेटा त्रैमासिक रूप से उपलब्ध हो अन्यथा वार्षिक रूप से, किया जा सकता है।
- दबाव परीक्षण पद्धति और ढांचे की नियमित रूप से समीक्षा होनी चाहिए।

‘फार’ डिज़ास्टर रिकवरी (डीआर) साइट स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। कारोबार निरंतरता प्रबंधन आईएडीआई मूल सिद्धांतों (सीपी 4) में से भी एक है जिसका अनुपालन करने की अपेक्षा जमा बीमाकर्ताओं से की जाती है। इस रूपरेखा का सारांश बॉक्स 2.3 में दिया गया है।

नाबार्ड को शामिल करते हुए आरबीआई-डीआईसीजीसी समन्वय समिति का पुनर्गठन

डीआईसीजीसी बोर्ड ने नाबार्ड के प्रतिनिधि को भी शामिल करने के लिए आरबीआई-डीआईसीजीसी समन्वय समिति के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। ग्रामीण सहकारी समितियों से संबंधित परिचालन मामलों पर चर्चा करने के लिए तदनुसार अधिदेश का दायरा बढ़ा दिया गया है। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक को तब से पुनर्गठित समिति में नामित किया गया है।

अधिनिर्णयन समिति का गठन

बीमाकृत बैंकों द्वारा जमा बीमा रिटर्न प्रस्तुत करने में देरी या गैर-प्रस्तुतीकरण के मामले सामने आए हैं, तथा जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के बाद निगम को पुनर्भुगतान में भी देरी हुई है। ऐसी घटनाओं

को रोकने के लिए, डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 21(4) और 47(2) के तहत अधिकतम ₹1,50,000/- तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है, जो कि विवेकाधीन है। तदनुसार, डीआईसीजीसी बोर्ड ने विवेक और औचित्य के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने के लिए तीन पदेन सदस्यों- निगम के दो वरिष्ठ अधिकारियों और रिज़र्व बैंक के प्रवर्तन विभाग से एक वरिष्ठ अधिकारी-वाली एक अधिनिर्णयन समिति के गठन को मंजूरी दी है। यह समिति एक मानक परिचालन प्रक्रिया द्वारा निर्देशित होती है जो पहचान, मूल्यांकन और दंड लगाने की प्रक्रिया को रेखांकित करती है, जिसकी समीक्षा हर तीन वर्ष में या आवश्यकतानुसार उससे पहले की जाएगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों और विवेकपूर्ण सिद्धांतों के आधार पर पुराने बकाया शेष के लिए समायोजन प्रविष्टियाँ

लेखा परीक्षकों ने लंबे समय से बीमित बैंक शेषों से संबंधित कुछ लंबित पुरानी असमायोजित मदों पर ध्यान आकर्षित किया है। एक औपचारिक नीतिगत ढांचे के न होने के कारण, निगम को इन पुरानी

बॉक्स 2.3: कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपदा बहाली (डीआर) फ्रेमवर्क

बीसीपी में, संकट घोषित होने और बीसीपी सक्रिय होने के बाद से लागू होने वाली कार्यनीतियाँ, प्रक्रियाएँ, कर्मचारियों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ, सभी महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य, आंतरिक और बाह्य संचार प्रोटोकॉल, महत्वपूर्ण संपर्क, आईटी और गैर-आईटी बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएँ और आपदा बहाली प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

● **बाधा परिदृश्य और प्रतिक्रिया** — प्रमुख परिदृश्यों में कार्यक्षेत्र, आईटी प्रणालियों या स्टाफ की अनुपलब्धता और शहरव्यापी आपदाएँ शामिल हैं। प्रतिक्रिया कार्यनीतियों में आवश्यक एप्लिकेशन और कनेक्टिविटी सहायता के साथ परिचालनों को घर से कार्य करने की व्यवस्था, डब्ल्यूएआर साइटों या डीआर साइटों में तबदीली शामिल है।

● **महत्वपूर्ण गतिविधियाँ** — दावा निपटान, प्रीमियम संग्रह, ट्रेजरी, वेबसाइट उपलब्धता, वित्तीय परिचालन और वसूली। विभागों को निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए चेकलिस्ट, मैनुअल प्रक्रियाओं, वैकल्पिक स्थानों और संसाधन प्राथमिकता का पालन करना होगा।

● **सक्रियण और प्रबंधन** — संकट प्रबंधन टीम बीसीपी को सक्रिय या निष्क्रिय करने का निर्णय लेती है; नोडल अधिकारी और नामित कार्मिक योजना को क्रियान्वित करते हैं, कॉल ट्री के माध्यम से संचार करते हैं और बहाली का समन्वय करते हैं। कारोबार निरंतरता टीम निष्पादन की देखरेख करती है और आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम निकासी, संचार और परिचालन सहायता प्रदान करती है।

● **सिस्टम और व्यावसायिक प्रभाव विश्लेषण** — महत्वपूर्ण सिस्टमों में सम्यक, जनरल लेजर, ट्रेजरी, क्लेम, रिकवरी, वेबसाइट और एसएफएमएस शामिल हैं। व्यावसायिक प्रभाव विश्लेषण प्रत्येक सिस्टम के लिए रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, अधिकतम आउटेज सहनशीलता और न्यूनतम परिचालन आवश्यकताओं को परिभाषित करता है।

● **परीक्षण और प्रशिक्षण** — विशिष्ट एप्लिकेशनों और स्थानों के लिए आपदा बहाली ड्रिल त्रैमासिक या मासिक रूप से निर्धारित किए जाते हैं, और ड्रिल के बाद की समीक्षाओं के आधार पर बीसीपी में अपडेट किए जाते हैं। वार्षिक प्रशिक्षण में सक्रियण प्रक्रियाओं, आपदा बहाली प्रक्रियाओं और जागरूकता को शामिल किया जाता है।

बकाया मदों को हल करने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। तदनुसार, इस तरह के मामलों में आरबीआई नीति का संदर्भ लेते हुए, निगम की बहियों में पुरानी बकाया प्रविष्टियों को बट्टे खाते डालने या प्रतिलेखन के माध्यम से समायोजन हेतु एक नीति तैयार की गई थी जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

डीआईसीजीसी के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए किए गए उपाय

डीआईसीजीसी अपने दैनिक कार्यों में पर्यावरण संबंधी स्थिरता के प्रति प्रतिबद्ध है। आंतरिक नोटिंग के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के डिजिटल वर्कफ़्लो एप्लीकेशन सारथी के उपयोग, कॉमन प्रिंटर के प्रयोग और सभी बाह्य संचार के लिए ईमेल के प्रयोग के माध्यम से कागज़ की खपत में भारी कमी आई है। महत्वपूर्ण रिकॉर्डों का प्राथमिक आधार पर डिजिटलीकरण किया जा रहा है। डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (1961 से 1978) और 1978 से अपने वर्तमान रूप में डीआईसीजीसी की वार्षिक रिपोर्टों के पुराने अंकों को डिजिटाइज़ कर शोधकर्ताओं और अन्य हितधारकों के लिए डीआईसीजीसी वेबपेज पर अपलोड कर दिया गया है। निगम ने पुणे स्थित कृषि बैंकिंग महाविद्यालय में भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार की सहायता से सभी हितधारकों के लाभ के लिए डिजिटलीकरण हेतु ऐतिहासिक महत्व की 480 फाइलों की पहचान की है। अपनी स्थापना के बाद से यह पहला अवसर है जब ऐतिहासिक महत्व का कोई अभिलेख अभिलेखागार को सौंपा गया है। निगम अपने परिसरों में ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए प्रयासरत है, जिसके तहत उपयोग में न होने पर लाइट और कंप्यूटर बंद किए जाते हैं, ऊर्जा-बचत करने वाले पंखे लगाए गए हैं, तथा पानी की बर्बादी रोकने के लिए सेंसर वाले नलों का उपयोग किया जा रहा है। कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार बनें और महत्वपूर्ण संसाधनों को व्यर्थ न करें।

2.3 मध्यावधि कार्य योजना (उन्नति)

वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी से तकनीकी प्रगति, विकसित होते विनियामक ढांचे और बदलती जमाकर्ता अपेक्षाओं द्वारा चिह्नित गतिशील परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, निगम ने “उन्नति” (2025-2027) शीर्षक मध्यावधि कार्य योजना तैयार की। इस योजना को बोर्ड ने 15 मई 2025 को आयोजित अपनी 275वीं बैठक में स्वीकृति प्रदान की। यह कार्य योजना सात कार्यनीति-संबंधी स्तंभों — विधिक रूपरेखा की समीक्षा करना, आंतरिक शासन को मजबूत करना, जमाकर्ता संरक्षण में वृद्धि, वसूली प्रबंधन, संचार कार्यनीति, डिजिटलीकरण और एनालिटिक्स तथा मानव संसाधन प्रबंधन-और बीस विशिष्ट कार्रवाई बिंदुओं पर आधारित है।

इस कार्ययोजना को समय-सीमा के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है।

2.4 वसूली प्रबंधन

परिसमापकों द्वारा की गई आस्ति वसूली की निगरानी तथा परिसमापकों और एआईडी के तहत बैंकों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से वसूली के प्रयासों को और अधिक तीव्र किया गया। इन प्रयासों ने आस्ति वसूली और देय राशि वसूली में तेजी लाई, जिससे परिसमाप्त बैंकों की आस्तियों की समय पर वसूली सुगम हुई। वसूली और परिसमापन प्रक्रिया को मजबूत करने हेतु परिसमापकों के लिए कार्यशालाओं और क्षमता-निर्माण पहलों के माध्यम से, आरसीएस कार्यालयों और आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ घनिष्ठ समन्वय भी बनाए रखा गया था।

वसूली प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, मार्च 2026 में सम्यक-आरएमसी मॉड्यूल के अंतर्गत एक वसूली प्रबंधन डैशबोर्ड की शुरुआत की गई। यह डैशबोर्ड डेटा-संचालित निगरानी और परिसमाप्त बैंकों और एआईडी के तहत बैंकों की व्यवस्थित अनुवर्ती कार्रवाई की सुविधा देता है, और साथ ही परिसमापकों के साथ प्रमुख अनुवर्ती तंत्रों को स्वचालित करता है। इस मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन रिपोर्टिंग परिसमापकों द्वारा आवधिक रिपोर्टिंग को मानकीकृत करेगी और वसूली से संबंधित जानकारी की गुणवत्ता, संगतता और सूक्ष्मता में सुधार करेगी, जिससे वसूली की अधिक प्रभावी निगरानी संभव होगी।

2.5 जन जागरूकता

हाल ही में, डीआईसीजीसी ने जमा बीमा और डीआईसीजीसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने जन जागरूकता अभियानों में काफी वृद्धि की है। हमारी हाल की कुछ पहलों में, डीआईसीजीसी के सोशल मीडिया अकाउंट (पब्लिक ऐप) की शुरुआत (नवंबर 2022), बैंकों को अपनी वेबसाइटों पर डीआईसीजीसी लोगो और क्यूआर कोड प्रकाशित करने का निर्देश (सितंबर 2023), और अर्ध-वार्षिक न्यूज़लेटर का प्रकाशन (अगस्त 2024) शामिल है।

उन्नति कार्य योजनाओं के तहत पूरे किए गए कुछ कार्यों में शामिल हैं: जमा बीमा पर ‘सेफ्टी नेट’ शीर्षक एक शैक्षिक कॉमिक बुक का प्रकाशन, जिसका 03 सितंबर 2025 को आयोजित डीआईसीजीसी बोर्ड बैठक में अध्यक्ष द्वारा विमोचन किया गया था; निगम ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया एप्लीकेशनों पर अपने आधिकारिक चैनल बनाकर सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति को बढ़ाया (सितंबर 2025)। निगम ने अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया एप्लीकेशनों के लिए लक्षित डिजिटल सामग्री निर्माण में निरंतर सुधार किया है: (क) निगम की प्रेस विज्ञप्तियाँ, जन जागरूकता वीडियो और ऐसी ही अन्य

सामग्री को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है; (ख) डीआईसीजीसी कॉमिक बुक “सेफ्टी नेट” का हिंदी संस्करण निगम की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

जमा बीमा और डीआईसीजीसी की भूमिका पर विस्तृत सर्वेक्षण

निगम अपनी संचार रणनीति को परिष्कृत करने के उद्देश्य से जमा बीमा पर एक व्यापक सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव करता है। इस सर्वेक्षण का पहला राउंड अगस्त 2024 में पूरा हो गया था और राउंड II अगस्त 2026 तक पूरा किया जाना है। जन जागरूकता सर्वेक्षण 2026 (राउंड 2) वर्तमान में 18 राज्यों के 19 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण में लगभग 6,700 घरेलू उत्तरदाता शामिल होंगे। सर्वेक्षण के निष्कर्ष निगम को अपनी संचार कार्यनीति और जनसंपर्क को परिष्कृत करने में सहायता करेंगे। सर्वेक्षण पूरा होने के पश्चात, लक्षित संचार के लिए एक जमा बीमा जागरूकता सूचकांक के निर्माण का प्रस्ताव है।

2.6 डिजिटलीकरण और एनालिटिक्स

निगम ने अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं के बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण की शुरुआत की है। प्रमुख पहलों में से एक ‘न्यू इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन सिस्टम’ (एनआईएस) को डेवलप करना था जिसका उद्देश्य संपूर्ण स्वचालन, डेटा एकीकरण, बेहतर एमआईएस और भविष्य के विश्लेषण के लिए एआई/एमएल का उपयोग करना है। एनआईएस का चरण I, जिसमें बैंक पंजीकरण और प्रीमियम भुगतान मॉड्यूल शामिल हैं, 13 जून 2025 को लाइव किया गया था। इसकी प्रमुख विशेषताओं में पूर्णतः डिजिटल रियल-टाइम प्रीमियम भुगतान, स्ट्रेट-थ्रू प्रोसेसिंग, विशिष्ट आईडी (आधार-आधारित) ई-साइनिंग और एकीकृत भुगतान गेटवे शामिल थे, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम हो और परिचालन दक्षता में सुधार हो। रियल-टाइम प्रीमियम भुगतान मॉड्यूल ने न केवल प्रीमियम की प्राप्ति को त्वरित किया है, बल्कि 1,950 बीमाकृत बैंकों के मिलान संबंधी मुद्दों को भी समाप्त किया है और मानव संसाधन का इष्टतम उपयोग किया है।

चरण II के अंतर्गत, सीएसडी और आरएमसी मॉड्यूल 13 मार्च 2026 को शुरू किए गए। ये दोनों मॉड्यूल स्वचालित वर्कफ्लो, बैंक / लेखा परीक्षकों द्वारा ऑनलाइन प्रमाणीकरण, डैशबोर्ड और भुगतान गेटवे एकीकरण प्रदान करते हैं, जिससे निपटान तीव्र, निर्बाध, पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य बनता है। आरबीपी मॉड्यूल 27 मार्च 2026 को लाइव हुआ, और आरबीपी मॉड्यूल को और बेहतर बनाने का कार्य जारी है, जिसमें बैंक-वार आरबीपी दरों का निर्धारण करने के लिए ऑनलाइन डेटा संग्रह का स्वचालन शामिल है। ऑडिट मॉड्यूल के मामले में, रिज़र्व बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने निगम के उस अनुरोध को स्वीकार कर

लिया है जिसके तहत रिज़र्व बैंक के ऑडिट मॉड्यूल का उपयोग किया जाएगा और यह अगस्त 2026 से प्रभावी होगा। शिकायत मॉड्यूल के मामले में, मौजूदा स्थिति का अध्ययन और प्रारंभिक डिज़ाइन पूरा हो चुका है और एसआरएस को तैयार किया गया है जिस पर जल्द ही हस्ताक्षर किए जाएंगे।

2.7 आगे की राह

पिछले कुछ वर्षों में, निगम ने व्यावसायिक प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों के स्वचालन की दिशा में कदम उठाए हैं। तब से प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों को मशीनीकृत और स्वचालित कर दिया गया है। भविष्य में, निगम का यह प्रयास रहेगा कि डेटा के वृहत प्रवाह का उपयोग भविष्यसूचक विश्लेषण, व्यावहारिक व्यावसायिक बुद्धिमत्ता और अनुपालन के लिए किया जाए। डिजिटल रूप से उपलब्ध डेटा स्वचालित विसंगति का पता लगाने की अनुमति देता है, जिससे डीआईसीजीसी निर्धारणीय जमा राशि में अचानक आए उतार-चढ़ाव को चिह्नित करने में सक्षम होता है। यह असाधारण मामलों की पहचान करने के लिए बीमाकृत बैंकों की प्रीमियम वृद्धि की उनके प्रतिस्पर्धियों से आगे तुलना कर सकता है। रिकवरी रियल-टाइम डैशबोर्ड, निधि की उपलब्धता को ट्रैक करेंगे, उपयोग के पैटर्न का विश्लेषण करेंगे और भविष्य के पुनर्भुगतान रूझानों का पूर्वानुमान लगाएंगे। कार्यप्रणाली को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए, दावा प्रक्रिया डेटा का विश्लेषण कर आवश्यकतानुसार बाधाओं की पहचान की जाएगी। अधिकांश बैंकों के लिए सिंगल कस्टमर व्यू (एससीवी) एप्लीकेशन लागू कर दिया गया है। आशा है कि जमाकर्ताओं के डेटा गुणवत्ता में सुधार होने पर, डीआईसीजीसी प्रोसेसिंग के समय को कम करने और इसे अन्य प्रमुख जमा बीमाकर्ताओं के अधिक निकट लाने में सक्षम होगा।

वर्ष 2024 में बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के गठन के पश्चात, निगम में जोखिम प्रबंधन की प्रणालियों को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। कॉर्पोरेट अभिशासन और जोखिम प्रबंधन नीति ने निगम में प्रभावी आंतरिक जोखिम अभिशासन के लिए एक मजबूत नींव रखी है। दबाव परीक्षण और परिचालन जोखिम रिज़र्व संबंधी कार्य दल ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। आवश्यक अनुमोदनों के पश्चात इसे कार्यान्वित किया जाएगा। आरबीपी फ्रेमवर्क को लागू कर दिया गया है और हितधारकों द्वारा इसे बहुत सराहा गया है। वर्तमान में, निगम वित्तीय और गैर-वित्तीय जानकारी की प्राप्ति को पूरी तरह से स्वचालित करने पर कार्य कर रहा है और इसे अगले प्रीमियम चक्र में लाइव कर दिया जाएगा। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रिस्क रेटिंग ऑनलाइन साझा की जाएगी।

वर्ष 2023 में संचार नीति की घोषणा के पश्चात निगम द्वारा उठाए गए कदमों की भरपूर सराहना की गई है। निगम ने युवाओं और पहली बार खाता खोलने वाले अन्य जमाकर्ताओं के बीच उनकी जमा राशि की सुरक्षा में डीआईसीजीसी की भूमिका के बारे में अपना जुड़ाव बढ़ाया है। निगम आगे अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया एप्लिकेशन के लिए लक्षित डिजिटल सामग्री बनाकर निरंतर अपनी जन-जागरूकता पहलों को और मजबूत करेगा। जारी सर्वेक्षण के निष्कर्ष निगम को अपने संचार आउटरीच की कार्यनीति तैयार करने के लिए और अधिक सक्षम बनाएंगे। आईएडीआई बैठकों या अन्य माध्यमों से जमा बीमाकर्ताओं के साथ संपर्क बनाए रखते हुए, निगम का यह इरादा है कि वह जमा बीमा प्रक्रियाओं,

प्रशिक्षण और अन्य संबंधित विषयों पर सूचना के आदान-प्रदान के लिए प्रमुख जमा बीमाकर्ताओं के साथ यथासंभव समझौता ज्ञापन करे।

संक्षेप में, मुख्य प्राथमिकता मजबूत रिकवरी तंत्र, जोखिम प्रबंधन और विशेष रूप से डिजिटल पहुंच के माध्यम से युवाओं में जन जागरूकता के जरिए जमाकर्ता संरक्षण को सुदृढ़ करते हुए डिजिटल रूपांतरण और डेटा व एनालिटिक्स के अधिक उपयोग के माध्यम से प्रौद्योगिकी-सक्षम परिचालनों को मजबूत करने पर होगी। ये पहले यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं कि जमा बीमा प्रणाली बैंकिंग और वित्तीय मध्यस्थता के बदलते परिदृश्य के अनुकूल और प्रासंगिक बनी रहे।

3.

जमा बीमा में वैश्विक गतिविधियां

3.1 परिचय

जमा बीमा वित्तीय स्थिरता की आधारशिला के रूप में कार्य करता है, जमाकर्ताओं की सुरक्षा करता है तथा बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बनाए रखता है। वैश्विक वित्तीय परिदृश्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजर रहा है, जिससे जमा बीमा के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन हो रहा है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्थाएं विकसित हो रही हैं और नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, दुनिया भर में जमा बीमा प्रणालियां जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए विकसित हो रही हैं।

यह अध्याय वैश्विक जमा बीमा प्रणालियों में नवीनतम रुझानों का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, तथा जमा बीमाकर्ताओं के विकसित हो रहे अधिदेशों, प्रौद्योगिक उन्नति और कार्यनीतिक विकल्पों पर प्रकाश डालता है।⁸

3.2 अधिदेश

पिछले दशक (2013 से 2024) में, जमा बीमाकर्ताओं (डीआई) में महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं, जो पारंपरिक 'पेबॉक्स' अधिदेशों, जो कि पूरी तरह से बैंक विफलताओं के मामले में जमाराशि की प्रतिपूर्ति पर

केंद्रित था, से आगे बढ़कर बैंक रेजोल्यूशन और वित्तीय स्थिरता उपायों को शामिल करने वाली अतिरिक्त भूमिकाओं की ओर अग्रसर हुए हैं। दिसंबर 2024 में पेबॉक्स डीआई की हिस्सेदारी अब तक के सबसे निचले स्तर 14 प्रतिशत पर है (2013 में 29 प्रतिशत), जबकि 51 प्रतिशत डीआई के पास पेबॉक्स प्लस अधिदेश था (2013 में यह 34 प्रतिशत था)। यह बदलाव दर्शाता है कि डीआई अधिक व्यापक अधिदेशों को तेजी से अपना रहे हैं। जहां लॉस मिनिमाइज़र डीआई की हिस्सेदारी आंशिक रूप से घटकर 18 प्रतिशत (21 प्रतिशत) रह गई, वहीं रिस्क मिनिमाइज़र की हिस्सेदारी लगभग 16 प्रतिशत पर स्थिर बनी रही। (तालिका 3.1)।

फिर भी, क्षेत्रीय भिन्नताएं बनी हुई हैं, क्योंकि अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया प्रशांत क्षेत्र में पे-बॉक्स अधिदेश अभी भी प्रचलित हैं, जबकि उत्तरी अमेरिका में इस अधिदेश के साथ कोई डीआई नहीं हैं। यूरोपीय क्षेत्र में पेबॉक्स प्लस अधिदेश के साथ सबसे अधिक डीआई थे, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र में लॉस मिनिमाइज़र अधिदेश के साथ सबसे अधिक डीआई हैं, और उत्तरी अमेरिका में रिस्क मिनिमाइज़र अधिदेश के साथ सबसे अधिक डीआई हैं। डीआईसीजीसी के पास वर्तमान में पेबॉक्स प्लस अधिदेश है।

तालिका 3.1: 2024 में आईएडीआई क्षेत्रवार जमा बीमाकर्ताओं का अधिदेश

(डीआई की प्रतिशत के रूप में हिस्सेदारी)

आईएडीआई क्षेत्र ¹	पेबॉक्स	पेबॉक्स प्लस	लॉस मिनिमाइज़र	रिस्क मिनिमाइज़र
अफ्रीका	2	4	-	2
एशिया-प्रशांत	5	7	2	5
कैरेबियन	2	4	1	-
यूरेशिया	3	2	-	-
यूरोप	4	23	6	4
लैटिन अमेरिका	1	6	4	2
मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका	3	2	1	-
उत्तरी अमेरिका	-	1	1	5
वैश्विक मूल्य²	14	51	18	16

स्रोत: आईएडीआई वार्षिक सर्वेक्षण, 2025 और डीआईसीजीसी स्टाफ आकलन।

टिप्पणी:

1. क्षेत्रवार हिस्सेदारी आईएडीआई वार्षिक सर्वेक्षण, 2025 से प्राप्त की गई है, जिसमें 114 डीआई के डेटा का उपयोग किया गया है। अधिकांश डीआई के लिए डेटा 31 दिसंबर 2024 तक के हैं। भारत के लिए, डेटा 31 मार्च 2025 तक के हैं।

2. वैश्विक मूल्य आईएडीआई के वीआईडीए से है जैसा कि वैश्विक रुझान रिपोर्ट, 2026 में रिपोर्ट किया गया है जो कि 93 डीआई के डेटा पर आधारित है।

यह विहंगावलोकन आईएडीआई के वार्षिक सर्वेक्षण, 2025 के आंकड़ों और आईएडीआई की रिपोर्ट "2026 में जमा बीमा: वैश्विक रुझान रिपोर्ट" से प्राप्त अंतर्दृष्टि के आधार पर तैयार किया गया है। जमा बीमाकर्ता का "अधिदेश" उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करने वाले आधिकारिक अनुदेशों के समूह को संदर्भित करता है। इन्हें मोटे तौर पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: (i) "पे बॉक्स" अधिदेश, जहां जमा बीमाकर्ता केवल बीमाकृत जमा की प्रतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होता है; (ii) "पे बॉक्स प्लस" अधिदेश, जहां जमा बीमाकर्ता की अतिरिक्त जिम्मेदारियां होती हैं। इसमें वह मामला शामिल है जहां जमा बीमाकर्ता (एकमात्र) रेजोल्यूशन प्राधिकरण नहीं है, परंतु जब वह रेजोल्यूशन निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेता है, रेजोल्यूशन प्राधिकरण को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता करता है, या रेजोल्यूशन उपायों के समर्थन के लिए अपनी निधियों के उपयोग को प्राधिकृत करता है; (iii) "लॉस मिनिमाइज़र" अधिदेश, जहां बीमाकर्ता बीमित जमाकर्ताओं के लाभ के लिए और लागत या हानि को न्यूनतम करने वाले तरीके से रेजोल्यूशन कार्यनीतियों की एक श्रृंखला के चयन और कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से संलग्न होता है; और (iv) "रिस्क मिनिमाइज़र" अधिदेश, जहां बीमाकर्ता के पास व्यापक जोखिम न्यूनीकरण कार्य होते हैं जिनमें जोखिम आकलन/प्रबंधन, शीघ्र हस्तक्षेप और रेजोल्यूशन शक्तियों का एक पूर्ण समूह, और कुछ मामलों में विवेकपूर्ण निगरानी संबंधी जिम्मेदारियां शामिल होती हैं। स्रोत: प्रभावी जमा बीमा प्रणालियों के लिए आईएडीआई मूल सिद्धांत, 2014।

3.3 रेज़ोल्यूशन शक्तियाँ

पिछले दस वर्षों में डीआई का अधिदेश लगातार बढ़ रहा है क्योंकि वे रेज़ोल्यूशन कार्यों में अधिक भाग ले रहे हैं। वैश्विक स्तर पर बैंक रेज़ोल्यूशन प्राधिकरण के रूप में अपनी पहचान रखने वाले डीआई की हिस्सेदारी 2024 में बढ़कर 37 प्रतिशत हो गई है (2013 में 25 प्रतिशत थी)। समय के साथ रेज़ोल्यूशन निर्णय लेने में डीआई की भूमिका लगातार बढ़ रही है। रेज़ोल्यूशन में शामिल डीआई का अनुपात 2024 में बढ़कर 82 प्रतिशत (2013 में 62 प्रतिशत) हो गया है, और इस वृद्धि का एक अधिकांश हिस्सा पेबॉक्स प्लस अधिदेश वाले डीआई की संख्या में वृद्धि के कारण है। रेज़ोल्यूशन में कोई इनपुट या जिम्मेदारी न रखने वाले डीआई की हिस्सेदारी 2025 में कम होकर 16 प्रतिशत (2024 में 20 प्रतिशत और 2013 में 38 प्रतिशत की उल्लेखनीय गिरावट के साथ) रह गई है।

रेज़ोल्यूशन में डीआई की भूमिका क्षेत्रों के अनुसार काफी भिन्न होती है; एकल निर्णय लेने का अधिकार रखने वाले डीआई का

प्रतिशत उत्तरी अमेरिका में 63 प्रतिशत तक अधिक है और अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में शून्य जितना कम है (तालिका 3.2)।

गैर-भुगतान रेज़ोल्यूशन में डीआई की भागीदारी बहुत अधिक है और लगातार बढ़ रही है, दस में से नौ डीआई अब गैर-भुगतान रेज़ोल्यूशन में शामिल हैं (तालिका 3.3)। रेज़ोल्यूशन टूल (बेल-इन, ब्रिज बैंक, और परचेज़ एंड एज़म्पशन) वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे हैं, फिर भी इनकी उपलब्धता क्षेत्र के अनुसार काफी भिन्न होती है, विशेष रूप से बेल-इन टूल के संबंध में। परचेज़ एंड एज़म्पशन सबसे अधिक सुलभ (91 प्रतिशत) है, उसके बाद ब्रिज बैंक टूल (80 प्रतिशत) और बेल-इन टूल (60 प्रतिशत) आते हैं। जबकि यूरोप 85 प्रतिशत बेल-इन एक्सेस और 92 प्रतिशत ब्रिज बैंक कवरेज के साथ अग्रणी है, वहीं लैटिन अमेरिका और कैरिबियन (31 प्रतिशत), एशिया (42 प्रतिशत) और अफ्रीका (46 प्रतिशत) क्षेत्र बेल-इन टूल में पीछे हैं।

तालिका 3.2: 2024 में जमा बीमाकर्ताओं के पास आईएडीआई क्षेत्रवार रेज़ोल्यूशन शक्तियाँ

(डीआई की प्रतिशत के रूप में हिस्सेदारी)

आईएडीआई क्षेत्र ¹	कोई इनपुट या उत्तरदायित्व नहीं	कोई इनपुट नहीं, परंतु रेज़ोल्यूशन फंडिंग में भाग लेने के लिए बाध्य।	निर्णय लेने में योगदान देता है	एकल निर्णय लेने की शक्ति
अफ्रीका	2	1	4	-
एशिया- प्रशांत	4	3	8	2
कैरेबियन	-	1	4	-
यूरेशिया	1	2	-	-
यूरोप	7	29	6	2
लैटिन अमेरिका	1	3	8	-
मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका	2	1	1	-
उत्तरी अमेरिका	-	-	2	3
वैश्विक मूल्य²	18	41	33	8

स्रोत: वीआईडीए, बीआईएस, 2025 और डीआईसीजीसी स्टाफ आकलन।

टिप्पणी:

- क्षेत्रवार हिस्सेदारी आईएडीआई वार्षिक सर्वेक्षण, 2025 से प्राप्त की गई है, जिसमें 114 डीआई के डेटा का उपयोग किया गया है। अधिकांश डीआई के लिए डेटा 31 दिसंबर 2024 तक के हैं। भारत के लिए, डेटा 31 मार्च 2025 तक के हैं।
- वैश्विक मूल्य आईएडीआई के वीआईडीए से है जैसा कि वैश्विक रुझान रिपोर्ट, 2026 में रिपोर्ट किया गया है जो कि 93 डीआई के डेटा पर आधारित है।

जमा बीमा में वैश्विक गतिविधियां

तालिका 3.3: 2024 में जमा बीमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध आईएडीआई क्षेत्रवार रेज़ॉल्यूशन टूल

(डीआई की प्रतिशत के रूप में हिस्सेदारी)

आईएडीआई क्षेत्र ¹	बेल-इन	ब्रिज बैंक	परचेज़ एंड एज़म्पशन
अफ्रीका	4	6	7
एशिया- प्रशांत	7	11	14
कैरेबियन	3	5	5
यूरोशिया	1	2	3
यूरोप	33	35	35
लैटिन अमेरिका	2	5	10
मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका	1	3	3
उत्तरी अमेरिका	3	4	5
वैश्विक मूल्य²	60	80	91

स्रोत: वीआईडीए, बीआईएस, 2025 और डीआईसीजीसी स्टाफ आकलन।

टिप्पणी:

- क्षेत्रवार हिस्सेदारी आईएडीआई वार्षिक सर्वेक्षण, 2025 से प्राप्त की गई है, जिसमें 114 डीआई के डेटा का उपयोग किया गया है। अधिकांश डीआई के लिए डेटा 31 दिसंबर 2024 तक का है। भारत के लिए, डेटा 31 मार्च 2025 तक का है।
- वैश्विक मूल्य आईएडीआई के वीआईडीए से है जैसा कि वैश्विक रुझान रिपोर्ट, 2026 में रिपोर्ट किया गया है जो कि 93 डीआई के डेटा पर आधारित है।

3.4 जमा बीमा का कवरेज

बाय-अकाउंट/डिपॉज़िटर कवरेज अनुपात

जमा बीमा कवरेज की पर्याप्तता, स्तर और कार्य क्षेत्र दोनों ही दृष्टि से, जमाकर्ताओं के विश्वास की रक्षा करने, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और प्रणालीगत जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि अत्यधिक कवरेज से नैतिक जोखिम उत्पन्न हो सकता है, परंतु अपर्याप्त संरक्षण से जमाकर्ता में घबराहट पैदा हो सकती है, विशेषकर तनावपूर्ण अवधि में।

जमा बीमा कवरेज स्तर का आकलन आमतौर पर दो मुख्य संकेतकों का उपयोग करके किया जाता है, अर्थात्: (i) बीमाकृत जमा अनुपात (आईडीआर) - कुल निर्धारणीय जमा राशि के मुकाबले बीमाकृत जमा का अनुपात; और (ii) पूर्णतः संरक्षित खाता अनुपात (एफपीएआर) - कवरेज सीमा के तहत पूर्णतः संरक्षित जमाकर्ता खातों का अनुपात।

पिछले दशक में वैश्विक स्तर पर बाय-अकाउंट/ बाय-डिपॉज़िटर आधार पर औसत कवरेज अनुपात लगातार बहुत अधिक रहा है, जो ज्यादातर 95 प्रतिशत से अधिक है। पूर्णतः संरक्षित खाता अनुपात (एफपीएआर) के संदर्भ में, भारत वैश्विक समकक्षों के बराबर है और एशिया प्रशांत क्षेत्र के जमा बीमाकर्ताओं से अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है (तालिका 3.4)। मार्च 2025 में भारत का 97.6 प्रतिशत एफपीएआर, दिसंबर 2024 के वैश्विक औसत 97.9 प्रतिशत के लगभग समान है, जो यह दर्शाता है कि अधिकांश जमा खाते पूरी तरह से ₹5 लाख की निर्धारित कवरेज सीमा के अंतर्गत आते हैं। सुरक्षा का यह स्तर आईएडीआई के मूल सिद्धांत 8 के अनुरूप है, जो सीमित परंतु विश्वसनीय कवरेज की अनुशंसा करता है जो कि अधिकांश जमाकर्ताओं की सुरक्षा करता है और शेष को बाज़ार अनुशासन पर छोड़ देता है।

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

तालिका 3.4: 2024 में बाय-अकाउंट/बाय-डिपॉजिटर आधार पर कवरेज अनुपात

(प्रतिशत)

आईएडीआई क्षेत्र	न्यूनतम	माध्यिका	अधिकतम
अफ्रीका	88.3	99.4	99.7
एशिया- प्रशांत	90.0	97.6	99.9
कैरेबियन	86.0	96.3	96.5
यूरेशिया	98.3	99.4	100.0
यूरोप	73.1	97.7	99.9
लैटिन अमेरिका	75.0	98.7	99.9
मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका	93.7	97.4	98.0
उत्तरी अमेरिका	94.8	99.6	100.0
वैश्विक मूल्य	73.1	97.9	100.0
भारत		97.6 (97.4)	

स्रोत: वीआईडीए, बीआईएस, 2025 और डीआईसीजीसी स्टाफ आकलन।

टिप्पणी:

- 1) वीआईडीए, बीआईएस 2025 डेटा 31 दिसंबर 2024 तक के हैं। भारत के लिए, डेटा 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2026 (कोष्ठक में) तक के हैं।
- 2) जहाँ बाय-डिपॉजिटर आधार पर कवरेज अनुपात उपलब्ध नहीं है, वहाँ बाय-अकाउंट आधार पर विचार किया जाता है।

मूल्य के आधार पर कवरेज अनुपात

मूल्य के आधार पर वैश्विक औसत कवरेज अनुपात 43.4 प्रतिशत है (तालिका 3.5)। वर्ष 2013-2024 के बीच उत्तरी अमेरिका (57 प्रतिशत से घटकर 49 प्रतिशत) और यूरोप (61 प्रतिशत से घटकर 55 प्रतिशत) में कवरेज अनुपात में कमी आई, जबकि लैटिन अमेरिका/कैरिबियन में यह लगभग 35 प्रतिशत पर स्थिर बना रहा। एशिया की गिरावट प्रवृत्ति अब उलट गई है और क्षेत्राधिकार कवरेज के उन्नयन के

कारण वर्तमान में यह 38 प्रतिशत पर है, जबकि अफ्रीका/मध्य पूर्व में ऊपर की ओर जाने वाली प्रवृत्ति में मामूली बदलाव देखा गया है और यह वर्तमान में 21 प्रतिशत पर है। 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, भारत का आईडीआर 41.5 प्रतिशत है, जो वैश्विक माध्यिका के नज़दीक है और अफ्रीका, एशिया-प्रशांत तथा कैरिबियन क्षेत्रों के माध्यिका से अधिक है। इसका तात्पर्य यह है कि क्षेत्रीय एपीआरसी सदस्यों की तुलना में भारत में कुल जमाराशियों का एक बड़ा हिस्सा डीआईसीजीसी योजना के अंतर्गत आता है।

तालिका 3.5: आईएडीआई क्षेत्रवार बीमाकृत जमा अनुपात (आईडीआर)

(प्रतिशत)

आईएडीआई क्षेत्र	न्यूनतम	माध्यिका	अधिकतम
अफ्रीका	7.1	11.8	19.2
एशिया- प्रशांत	8.4	34.4	68.0
कैरेबियन	14.0	30.5	36.2
यूरेशिया	56.6	56.9	100.0
यूरोप	0.3	57.7	99.8
लैटिन अमेरिका	20.1	41.0	60.0
मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका	14.0	22.0	34.3
उत्तरी अमेरिका	36.0	55.5	100.0
वैश्विक मूल्य	0.3	43.4	100.0
भारत		41.5 (39.7)	

स्रोत: वीआईडीए, बीआईएस, 2025 और डीआईसीजीसी स्टाफ आकलन।

टिप्पणी:

- 1) वीआईडीए, बीआईएस 2025 डेटा 31 दिसंबर 2024 तक के हैं। भारत के लिए, डेटा 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2026 (कोष्ठक में) तक के हैं।
- 2) आईडीआर - बीमाकृत जमा अनुपात

3.5 वित्तपोषण

प्रीमियम

वैश्विक स्तर पर, 2025 तक प्रत्याशित निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) संसाधन 401 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुँच गए हैं। अधिक जमा बीमाकर्ता विभेदक प्रीमियम प्रणालियों को अपना रहे हैं, जो 2013 में 43 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 62 प्रतिशत हो गई हैं (तालिका 3.6)।

आरक्षित निधि अनुपात

बीमाकृत जमा के अनुपात के रूप में निक्षेप बीमा निधि का आकार, जिसे कुछ क्षेत्राधिकारों में आरक्षित निधि अनुपात (आरआर) भी कहा जाता है, निधि के औचित्य/पर्याप्तता का आकलन करने का एक अन्य पैमाना है। दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार, 'कवर की गई जमाराशि के अनुपात में निधि' का वैश्विक औसत अनुपात 2.46 प्रतिशत था, जिसमें क्षेत्रीय स्तर पर काफी भिन्नता थी (तालिका 3.7)। आय स्तर बढ़ने

के साथ इस अनुपात में गिरावट देखी जाती है, जो इस बात का संकेत है कि यह प्रवृत्ति सीधे तौर पर जमा बीमाकर्ताओं के अधिदेश की तुलना में संरचनात्मक कारकों से अधिक गहराई से जुड़ी हुई है।

वैश्विक स्तर पर, 84 प्रतिशत डीआई लक्षित निधि स्तर (कवर की गई जमाराशि के अनुपात के रूप में) निर्धारित करती हैं, जिसमें यूरोप में औसत लक्ष्य 0.8 प्रतिशत, उत्तरी अमेरिका में 1.3 प्रतिशत, एशिया में 4.2 प्रतिशत, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में 6.7 प्रतिशत, तथा अफ्रीका और मध्य पूर्व में 21.1 प्रतिशत है। उच्च लक्ष्यों के साथ, अफ्रीका और मध्य पूर्व में वित्तपोषण का अंतर 4 प्रतिशत और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में 1.0 प्रतिशत पर सुस्पष्ट बना हुआ है, जबकि अन्य क्षेत्रों में यह अंतर नगण्य (उत्तरी अमेरिका/यूरोप के लिए <0.1 प्रतिशत और एशिया के लिए 0.9 प्रतिशत) है। 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार भारत का आरक्षित निधि अनुपात 2.39 था, जो एशियाई माध्यिका 1.05 से काफी अधिक था।

तालिका 3.6: 2024 में विभेदक प्रीमियम प्रणालियाँ

(प्रतिशत में हिस्सेदारी)

आईएडीआई क्षेत्र	2013	2024
एक समान दर	57	38
विभेदक दर	43	62

स्रोत: आईएडीआई वार्षिक सर्वेक्षण, 2025 और डीआईसीजीसी स्टाफ आकलन।

टिप्पणी:

1) आईएडीआई वार्षिक सर्वेक्षण 2025 डेटा 31 दिसंबर 2024 तक के हैं। भारत के लिए, डेटा 31 मार्च 2025 तक का है।

तालिका 3.7: आईएडीआई क्षेत्रवार आरक्षित निधि अनुपात (आरआर)

(प्रतिशत)

आईएडीआई क्षेत्र	न्यूनतम	माध्यिका	अधिकतम
अफ्रीका	3.21	12.44	30.25
एशिया- प्रशांत	0.20	1.05	15.60
कैरेबियन	3.64	7.55	14.32
यूरेशिया	3.89	4.58	8.36
यूरोप	0.00	1.27	8.85
लैटिन अमेरिका	1.90	9.50	22.77
मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका	1.72	9.33	14.52
उत्तरी अमेरिका	0.77	1.28	1.83
वैश्विक मूल्य	0.00	2.46	30.25
भारत		2.29 (2.39)	

स्रोत: वीआईडीए, बीआईएस, 2025 और डीआईसीजीसी स्टाफ आकलन।

टिप्पणी:

1) डेटा 31 दिसंबर 2024 तक का है। भारत के लिए, डेटा 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2026 (कोष्ठक में) तक का है।

बैकस्टॉप फंडिंग/चलनिधि समर्थन

आईएडीआई मूल सिद्धांत 9 सरकार, केंद्रीय बैंक, सदस्य बैंकों और/या बाज़ार से बैकस्टॉप चलनिधि सहायता का समर्थन करता है। जमा बीमाकर्ताओं के लिए सार्वजनिक बैकस्टॉप अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। 2013 के 63 प्रतिशत की तुलना में, 2024 में 72 प्रतिशत डीआई के पास इस तरह की बैकस्टॉप व्यवस्था मौजूद थी। जमा बीमाकर्ताओं (डीआई) के बैकअप फंडिंग स्रोत विविध हैं। अधिकांश बैकस्टॉप सरकार के पास हैं (61 प्रतिशत), उसके बाद केंद्रीय बैंक (43 प्रतिशत) और अन्य वित्तीय संस्थान जैसे डेवलपमेंट बैंक या अंतरराष्ट्रीय संगठन (27 प्रतिशत) हैं (तालिका 3.8)।

3.6 प्रतिपूर्ति

जमाकर्ताओं को त्वरित भुगतान करना प्रभावी जमा बीमा प्रणालियों

का एक अहम कार्य है। सात दिनों के भीतर भुगतान शुरू करने वाले जमा बीमाकर्ताओं की वैश्विक हिस्सेदारी 2013 में 35 प्रतिशत से दोगुनी होकर 2024 में 70 प्रतिशत हो गई है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में 35 प्रतिशत जमा बीमाकर्ता तीन दिन के भीतर भुगतान शुरू कर देते हैं।

वैश्विक स्तर पर, प्रतिपूर्ति शुरू करने का औसत समय तेज़ी से कम हुआ है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, अफ्रीका और मध्य पूर्व, तथा यूरोप में यह 2013 के 20 से अधिक दिनों से बेहतर होकर 2024 में 7 दिन हो गया है, जबकि एशिया में 18 से 5 दिनों की ओर भी भारी गिरावट दर्ज की गई है; वहीं उत्तरी अमेरिका में यह अवधि पूरे समय 1 दिन ही बनी रही, जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिपूर्ति प्रक्रियाओं को तेज़ करने में हुई व्यापक प्रगति को दर्शाती है (तालिका 3.9)।

तालिका 3.8: बैकस्टॉप फंडिंग/चलनिधि समर्थन वाले डीआई

संस्था	सभी डीआई में हिस्सेदारी (प्रतिशत)
सरकार	61
केंद्रीय बैंक	43
सरकार और/या केंद्रीय बैंक	74
डेवलपमेंट बैंक अथवा अंतरराष्ट्रीय संगठन	27

स्रोत: आईएडीआई वार्षिक सर्वेक्षण, 2025 और डीआईसीजीसी स्टाफ आकलन।

टिप्पणी:

1) आईएडीआई डेटा 31 दिसंबर 2024 तक का है।

जमा बीमा में वैश्विक गतिविधियां

तालिका 3.9: आईएडीआई क्षेत्रवार प्रतिपूर्ति की गति

(दिन)

आईएडीआई क्षेत्र	न्यूनतम	माध्यिका	अधिकतम
अफ्रीका	14	30	730
एशिया- प्रशांत	7	58	1,095
कैरेबियन	14	55	450
यूरेशिया	-	548	1,095
यूरोप	7	7	1,825
लैटिन अमेरिका	7	30	120
मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका	30	30	30
उत्तरी अमेरिका	2	7	30
वैश्विक मूल्य	-	30	1,825
भारत (एआईडी बैंक)		90 (90)	

स्रोत: वीआईडीए, बीआईएस, 2025 और डीआईसीजीसी स्टाफ आकलन।

टिप्पणी:

1) डेटा 31 दिसंबर 2024 तक का है। भारत के लिए, डेटा 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2026 (कोष्ठक में) तक का है।

3.7 निष्कर्ष और आगे की राह

आईएडीआई के सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर, पिछले दशक में जमा बीमाकर्ताओं का अधिदेश लगातार विकसित हो रहा है और जमा बीमाकर्ता रेज़ोल्यूशन में अधिक से अधिक शामिल हो रहे हैं। मूल्य के आधार पर कवरेज अनुपात (अर्थात्, बीमाकृत जमा अनुपात) में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट के बाद हाल के वर्षों में स्थिरता आई है, जो '2024 में पात्र जमा मूल्यों (क्षेत्राधिकार कवरेज अनुपातों का साधारण औसत) के 40 प्रतिशत से थोड़ा अधिक' हो गया है, जो कि संभवतः नाममात्र कवरेज स्तरों में परिवर्तन के बजाय जमाकर्ताओं के व्यवहार से प्रभावित है।

डीआईसीजीसी जमाकर्ताओं का विश्वास बनाए रखने और भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत में एफपीएआर और आरआर एशियाई समकक्षों की तुलना में बेहतर हैं। भविष्य में, डीआईसीजीसी अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों पर नज़र रखना, घरेलू जमाकर्ता संरक्षण मैट्रिक्स का आकलन करना, तथा हितधारकों से परामर्श करना जारी रखेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कवरेज स्तर और कार्य क्षेत्र उचित और विश्वसनीय बना रहे। डीआईसीजीसी वर्तमान समीक्षा के बाद आईएडीआई के मूल सिद्धांतों में परिकल्पित परिवर्तनों की सक्रिय निगरानी जारी रखेगा। डीआईसीजीसी नियमित रूप से भारत की जमा बीमा प्रणालियों का मूल्यांकन करेगा और आईएडीआई के मूल सिद्धांतों के अनुपालन की दिशा में आगे बढ़ेगा।

4.

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

2025-26 के दौरान निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की कार्यपद्धति

(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961

की धारा 32(1) के अधीन प्रस्तुत)

4.1 परिचय

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) का निदेशक मंडल वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निगम के कामकाज संबंधी यह रिपोर्ट डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 32 के तहत यथा अपेक्षित, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और भारत सरकार को प्रस्तुत करता है।

भारत में निक्षेप बीमा प्रणाली को भारत सरकार द्वारा डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 (इसके बाद से, अधिनियम) के जरिए वैधानिक रूप दिया गया है और यह डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 और इस अधिनियम की धारा 50(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरबीआई द्वारा तैयार की गई निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के प्रावधानों के जरिए शासित है। भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी कंपनी के रूप में इस अधिनियम के तहत स्थापित, डीआईसीजीसी, इस अधिनियम और सामान्य विनियमावली के प्रावधानों के अनुसार निक्षेप बीमा (डीआई) योजना का संचालन करता

है। चूंकि 2003 से ऋण गारंटी योजना का संचालन बंद कर दिया गया है, अतः वर्तमान में, निक्षेप बीमा ही डीआईसीजीसी का प्रधान कार्य है।

भाग क : परिचालन और कार्य पद्धति

4.2 बैंक पंजीकरण/ विपंजीकरण

वर्ष के दौरान, समामेलन के कारण मौजूदा 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में से 26 को डीआईसीजीसी से विपंजीकृत कर दिया गया और 11 नए आरआरबी के रूप में पंजीकृत किया गया। (तालिका 4.1)। इसके अतिरिक्त, 17 यूसीबी का पंजीकरण रद्द किया गया; जिनमें से नौ लाइसेंस रद्द होने के कारण और आठ अन्य यूसीबी के साथ विलय के कारण विपंजीकृत किए गए थे।

परिणामस्वरूप, वर्ष के अंत में (31 मार्च 2026) बीमाकृत बैंकों की संख्या 1,950 थी, जिसमें 124 वाणिज्यिक बैंक और 1,826 सहकारी बैंक शामिल थे। (परिशिष्ट सारिणी 1-3)।

तालिका 4.1: बीमाकृत बैंकों की संख्या

	बैंक समूह	31 मार्च 2025	पंजीकृत बैंक	विपंजीकृत बैंक	31 मार्च 2026*
1.	बीमाकृत बैंकों की कुल संख्या (2+3)	1,982	11	43	1,950
2.	वाणिज्यिक बैंक	139	11	26	124
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)	12	-	-	12
	निजी क्षेत्र के बैंक (पीवीबी)	21	-	-	21
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)	43	11	26	28
	लघु वित्त बैंक (एसएफबी)	11	-	-	11
	विदेशी बैंक (एफबी)	44	-	-	44
	भुगतान बैंक (पीबी)	6	-	-	6
	स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी)	2	-	-	2
3	सहकारी बैंक	1,843	-	17	1,826
	शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)	1457	-	17	1,440
	जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी)	352	-	-	352
	राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी)	34	-	-	34

*नोट: अनंतिम

4.3 कवरेज

मार्च 2026 के अंत तक बैंकिंग प्रणाली की कुल निर्धारणीय जमाराशि (एडी) 14.3 प्रतिशत बढ़कर ₹275 लाख करोड़ हो गई (तालिका 4.2)। वर्तमान कवरेज सीमा (₹5,00,000) के तहत, बाय अकाउंट/डिपॉजिटर्स कवरेज अनुपात [अर्थात, पूर्णतः संरक्षित खाता अनुपात (एफपीएआर)¹⁰] मामूली रूप से घटकर 97.4 प्रतिशत रह गया। कुल बीमाकृत जमाराशि (आईडी) में 9.2 प्रतिशत की धीमी गति से वृद्धि हुई। मूल्य के संदर्भ में कवरेज अनुपात अर्थात बीमाकृत जमा अनुपात (आईडीआर) भी मामूली

रूप से घटकर 39.7 प्रतिशत हो गया (परिशिष्ट सारिणी 4)।

बैंक समूह-वार कवरेज अनुपात

कुल आईडी में वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी 92.5 प्रतिशत के साथ सबसे अधिक थी (तालिका 4.3)। सबसे अधिक बीमाकृत जमाराशि अनुपात भुगतान बैंक का (99.5 प्रतिशत) था और सबसे कम विदेशी बैंकों का 4 प्रतिशत था (परिशिष्ट सारिणी 5)।

तालिका 4.2: कुल कवरेज अनुपात

	विवरण	के अनुसार			वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)
		31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2026*	
1.	निर्धारणीय जमाराशियाँ (₹ करोड़)	2,18,52,160	2,41,06,042	2,75,43,642	14.3%
2.	पात्र खातों की कुल संख्या (करोड़)	289.7	293.8	301.4	2.6%
3.	पूर्णतः संरक्षित खाते (करोड़) [^]	283.3	286.6	293.5	2.4%
4.	बीमाकृत जमाराशि (₹ करोड़)	94,12,705	1,00,12,065	1,09,33,948	9.2%
5.	बाय अकाउंट/डिपॉजिटर्स आधार पर कवरेज अनुपात (पंक्ति 3 / 2) (%)	97.8	97.6	97.4	--
6.	मूल्य के संदर्भ में कवरेज अनुपात (पंक्ति 4 / 1) (%)	43.1	41.5	39.7	--

नोट: ^ उन खातों को संदर्भित करता है जो जमा बीमा द्वारा पूरी तरह से कवर किए गए हैं।

*नोट: अनंतिम

तालिका 4.3: बैंक समूह-वार बीमाकृत जमाराशि और कवरेज अनुपात

31 मार्च 2026 तक*					
(राशि ₹ करोड़ में)					
	बीमाकृत बैंकों की संख्या	बीमाकृत जमाराशि (आईडी)	आईडी में हिस्सेदारी (%)	निर्धारणीय जमाराशियाँ (एडी)	बीमाकृत जमा अनुपात (आईडी / एडी * 100)
I. वाणिज्यिक बैंक	124	1,01,12,746	92.5	2,61,77,935	38.6
i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)	12	64,80,763	59.3	1,45,13,352	44.7
ii) निजी क्षेत्र के बैंक (पीवीबी)	21	28,42,849	26.0	93,05,345	30.6
iii) विदेशी बैंक (एफबी)	44	50,911	0.5	12,67,912	4.0
iv) लघु वित्त बैंक (एसएफबी)	11	1,22,636	1.1	3,21,553	38.1
v) भुगतान बैंक (पीबी)	6	37,724	0.3	37,904	99.5
vi) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)	28	5,76,753	5.3	7,30,286	79.0
vii) स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी)	2	1,110	0.0	1,581	70.2
II. सहकारी बैंक	1,826	8,21,202	7.5	13,65,707	60.1
i) शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)	1,440	3,97,657	3.6	6,35,789	62.5
ii) राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी)	34	71,330	0.7	1,69,856	42.0
iii) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी)	352	3,52,214	3.2	5,60,062	62.9
कुल	1,950	1,09,33,948	100.00	2,75,43,642	39.7

*नोट: * अनंतिम

¹⁰. बैंकिंग प्रणाली में कुल पात्र खातों की संख्या की तुलना में '₹5 लाख तक के जमा शेष वाले खातों' का अनुपात।

तालिका 4.4: निगम का राजस्व

	बैंक समूह	2024-25 (₹ करोड़)	2025-26 (₹ करोड़)	हिस्सेदारी (%)	वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) (%)
1	कुल प्रीमियम	26,764	29,947	60.2	11.9
2	वाणिज्यिक बैंक	25,352	28,440		12.2
3	सहकारी बैंक	1,412	1,507		6.7
4	निवेश से आय	15,814	18,667	37.5	18.0
5	चुकोती	1,309	1,109	2.2	-15.3
6	कुल राजस्व	43,887	49,723	100.0	13.3
7	निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ)	2,28,933	2,61,823	--	14.4
8	आरक्षित निधि अनुपात (%)	2.29	2.39	--	--

4.4 निगम का वित्तपोषण: जमा बीमा प्रीमियम और निक्षेप बीमा निधि

वर्ष 2025-2026 के दौरान निगम द्वारा प्राप्त कुल प्रीमियम लगभग 11.9 प्रतिशत बढ़कर ₹29,947 करोड़ हो गया, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों का योगदान 95.0 प्रतिशत और सहकारी बैंकों का योगदान शेष 5.0 प्रतिशत था (तालिका 4.4)। 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार, निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) 14.4 प्रतिशत बढ़कर ₹2,61,823 करोड़ हो गई।

चूककर्ता बैंकों द्वारा देय ब्याज दर

अधिनियम की धारा 15 (3) के अनुसार, यदि कोई बीमाकृत बैंक प्रीमियम की किसी भी राशि का भुगतान करने में चूक करता है, तो उसे चूक की उस अवधि के लिए उस राशि पर बैंक दर (यथा लागू) के अतिरिक्त आठ प्रतिशत से अनधिक की दर से, जैसा निर्धारित किया जाए, निगम को ब्याज देना होगा। वर्ष के दौरान, निगम ने बैंकों से दंडात्मक ब्याज के रूप में ₹45 करोड़ प्राप्त किए।

चूककर्ता बैंकों को औपचारिक नोटिस जारी करने की मानक प्रक्रिया

बोर्ड की स्वीकृति से, निगम ने चूककर्ता बैंकों को औपचारिक नोटिस जारी करने की एक मानकीकृत प्रक्रिया अपनाई है, जिसमें डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए बैंकों को पंजीकरण रद्द होने और परिणामस्वरूप जमा बीमा कवरेज के नुकसान की संभावना के बारे में सचेत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यदि मामला अनसुलझा रहता है, तो इसे संबंधित पर्यवेक्षी प्राधिकरणों, अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के ध्यान में लाया जाता है।

डीआईसीजीसी (बीमाकृत बैंकों द्वारा जमा बीमा प्रीमियम का भुगतान और रिटर्न जमा करना) मास्टर निदेश, 2025

डीआई रिटर्न जमा करने, स्टैच्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट (एसएसी) और डीआई प्रीमियम के भुगतान के संबंध में बीमाकृत बैंकों को पूर्व में जारी सभी परिपत्रों, अनुदेशों और निदेशों को समेकित, अद्यतन और फलस्वरूप प्रतिस्थापित करने के लिए निगम ने 1 अक्टूबर 2025 को डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 34 (1) के अंतर्गत एक मास्टर निदेश जारी किया। सभी बैंकों को 'सम्यक' नामक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए डीआई प्रीमियम भुगतान के साथ अपने डीआई रिटर्न जमा करने होंगे और अपने स्टैच्यूटरी ऑडिटरों से प्रमाणीकरण की व्यवस्था करनी होगी।

जोखिम-आधारित प्रीमियम फ्रेमवर्क की शुरुआत

डीआईसीजीसी ने भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से 1 अप्रैल 2026 से जोखिम आधारित प्रीमियम फ्रेमवर्क लागू किया है। डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 [धारा 15(1)] बीमाकृत बैंकों की अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग-अलग प्रीमियम दरों का प्रावधान करता है। आरबीपी फ्रेमवर्क का उद्देश्य बैंकों द्वारा उचित जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा देना है और बेहतर प्रबंधित बैंकों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम को कम करना है जिसकी ₹100 निर्धारणीय जमाराशि पर पहले से प्रचलित अधिकतम सीमा 12 पैसे की फ्लैट कार्ड दर तय की गई है। आरबीपी फ्रेमवर्क के तहत प्रभावी प्रीमियम दर जोखिम मॉडल इंसेंटिव और विंटेज इंसेंटिव द्वारा व्यवस्थित कार्ड दर (अर्थात् निर्धारणीय जमाराशि के प्रति ₹100 पर 12 पैसे) का एक प्रकार्य है।

इसमें दो जोखिम मूल्यांकन मॉडल हैं, अर्थात् टियर 1 मॉडल और टियर 2 मॉडल। टियर 1 मॉडल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू है और यह पर्यवेक्षी रेटिंग, मात्रात्मक

मूल्यांकन (कैमेलस पैरामीटर) और बीमाकृत बैंकों के विफल होने से निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) को होने वाले संभावित नुकसान पर आधारित है। आरआरबी और सहकारी बैंकों पर लागू टियर 2 मॉडल, मात्रात्मक मूल्यांकन (कैमेलस पैरामीटर) और बीमाकृत बैंकों के विफल होने से डीआईएफ को होने वाले संभावित नुकसान पर आधारित है। आरबीपी फ्रेमवर्क विंटेज (अर्थात डीआईसीजीसी से बिना किसी दावा भुगतान के डीआईसीजीसी के निक्षेप बीमा निधि में लंबे समय तक योगदान) का लाभ भी प्रदान करता है।

4.5 जमा बीमा दावों का निपटान

बैंक समूह वार निपटाए गए दावे

वर्ष के दौरान, निगम ने परिसमाप्त बैंकों, विलय किए गए और सर्व समावेशी निदेशों के तहत रखे गए बैंकों के बीमित जमाकर्ताओं को ₹1,988 करोड़ की राशि के दावों का निपटान किया (तालिका 4.5 और परिशिष्ट सारिणी 6, 6ए)। वाणिज्यिक बैंकों से कोई दावा नहीं किया गया था।

निगम के पास ₹12 करोड़ का प्रावधान है, जो अप्राप्य जमाकर्ताओं (दावा स्वीकृत, लेकिन जमाकर्ता पता लगाने योग्य नहीं) के कारण परिसमाप्तकों द्वारा वापस की गई राशि को दर्शाता है और भविष्य के दावों, यदि कोई हो, के निपटान के लिए अज्ञात जमाकर्ताओं के लिए ₹965 करोड़ का प्रावधान है। सात बैंकों के लिए ₹133 करोड़ की आकस्मिक देयता दर्ज

की गई है। (परिशिष्ट सारिणी 7 और परिशिष्ट सारिणी 7ए)।

डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 16 के तहत दावों के निपटान के संबंध में, निगम ने परिसमाप्त से दावे की प्राप्ति की तारीख से मंजूरी के लिए औसतन सात दिन का समय लिया है। इसके अतिरिक्त, एआईडी के तहत बैंकों के लिए, निगम ने ऐसे बैंकों को एआईडी जारी करने की तारीख से जमा बीमा दावे के निपटान के लिए 90 दिनों की वैधानिक समयसीमा का पालन किया है।

निपटाए गए संचयी दावे

जमा बीमा की शुरुआत के बाद से, 31 मार्च 2026 तक 27 वाणिज्यिक बैंकों के दावों के लिए ₹296 करोड़, 413 परिसमाप्त / विलयित सहकारी बैंकों के दावों के लिए ₹11,483 करोड़ (वर्ष के दौरान निपटाए गए ₹528 करोड़ सहित) (परिशिष्ट सारिणी 8 और 8बी) और एआईडी के तहत रखे गए 80 सहकारी बैंकों के दावों के लिए ₹7,153 करोड़ (परिशिष्ट सारिणी 8ए) की संचयी राशि का भुगतान किया गया है।

4.6 चुकौतियां

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान निगम द्वारा प्राप्त कुल चुकौतियां ₹1,109 करोड़ थी, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान यह राशि ₹1,309 करोड़ थी। इस राशि में से, परिसमापनाधीन सहकारी बैंकों से प्राप्त चुकौतियां ₹899 करोड़ थी, जबकि एआईडी/विलय किए गए बैंकों से प्राप्त चुकौतियां ₹211 करोड़ थी (तालिका 4.6)।

तालिका 4.5: निपटाए गए दावे – बैंक समूह वार

(₹ करोड़)

	बैंक समूह	2024-25	2025-26			कुल
			परिसमाप्त बैंक	विलय किए गए बैंक	एआईडी बैंक	
1	वाणिज्यिक बैंक					
	पीएसबी	-	-	-	-	-
	पीवीबी	-	-	-	-	-
	आरआरबी	-	-	-	-	-
	एसएफबी	-	-	-	-	-
	एफबी	-	-	-	-	-
	पीबी	-	-	-	-	-
	एलएबी	-	-	-	-	-
2	सहकारी बैंक					
	यूसीबी	476	185	344	1,460	1,988
	डीसीसीबी	-	-	-	-	-
	एसटीसीबी	-	-	-	-	-
3	सभी बैंक (1+2)	476	185	344	1,460	1,988

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

तालिका 4.6: प्राप्त चुकौतियां- बैंक समूह वार

(राशि ₹ करोड़ में)

	बैंक समूह	2024-25			2025-26		
		परिसमाप्त बैंक	एआईडी + विलय किए गए बैंक	कुल	परिसमाप्त बैंक	एआईडी + विलय किए गए बैंक	कुल
1	वाणिज्यिक बैंक	3	-	3	-	-	-
	पीएसबी	3	-	3	-	-	-
	पीवीबी	-	-	-	-	-	-
	आरआरबी	-	-	-	-	-	-
	एसएफबी	-	-	-	-	-	-
	एफबी	-	-	-	-	-	-
	पीबी	-	-	-	-	-	-
	एलएबी	-	-	-	-	-	-
2	सहकारी बैंक	1,070	236	1,306	898	211	1,109
	यूसीबी	1,070	236	1,306	898	211	1,109
	डीसीसीबी	-	-	-	-	-	-
	एसटीसीबी	-	-	-	-	-	-
3	सभी बैंक (1+2)	1,073	236	1,309	898	211	1,109

31 मार्च 2026 तक, बैंकों के परिसमापकों/अंतरिती से, प्राप्त संचयी पुनर्भुगतान कुल ₹8,079 करोड़ था। इस राशि में से, वाणिज्यिक बैंकों के परिसमापकों/ अंतरिती से संचयी पुनर्भुगतान ₹161 करोड़ था, जबकि सहकारी बैंकों (परिसमाप्त, विलयित और एआईडी बैंकों सहित) का पुनर्भुगतान ₹7,919 करोड़ था।

4.7 वसूली प्रबंधन से संबंधित उपाय:

परिसमाप्त बैंकों से पुनर्भुगतान, प्रत्यासन (सब्रोगेशन) अधिकारों के तहत और डीआईसीजीसी अधिनियम के अनुसार, उनकी आस्तियों की वसूली के बाद, परिसमापन प्रक्रिया के दौरान हुए खर्चों को घटाकर प्राप्त किया जाता है। निगम आस्ति की वसूली में तेजी लाने और समय पर पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए परिसमापकों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, निगम टैफकब उप-समिति बैठकों, स्थायी सलाहकार समिति बैठकों, समन्वय समिति बैठकों और विभिन्न राज्यों में आरसीएस व उनके अधिकारियों और परिसमापकों के साथ बातचीत के माध्यम से विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। परिचालन दक्षता को और बढ़ाने के लिए, निगम ने परिसमापकों के साथ एंड-टू-एंड वर्कफ़्लो को डिजिटल बनाने हेतु 'सम्यक' – आरएमसी पोर्टल – लॉन्च किया है, जिसमें दावों का निपटान, बकाया राशि का पुनर्भुगतान और वैधानिक रिटर्न व विवरणों को जमा करना शामिल है। इस पोर्टल में परिसमापन प्रक्रिया और बकाया राशि की वसूली की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड भी शामिल है।

4.8 अधिनिर्णयन समिति का गठन

डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 47 को जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के जरिए संशोधित किया गया था, जो 22 जनवरी 2024 से प्रभावी हुआ। जन विश्वास अधिनियम, 2023 का मुख्य उद्देश्य विभिन्न अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाना (डिक्रिमिनालाइज़) और उन्हें तर्कसंगत बनाना है। डीआईसीजीसी अधिनियम के तहत निर्धारित मौद्रिक दंड की अधिकतम सीमा ₹2,000 से बढ़ाकर ₹1,50,000 कर दी गई है। डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 47 में अब, *अन्य बातों के साथ-साथ*, जुर्माना तय करने की प्रक्रिया का प्रावधान है, जिसमें नोटिस जारी करना और सुनवाई का उचित अवसर देना शामिल है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 21(4) निगम को पुनर्भुगतान में देरी के मामले में दंड लगाने की परिकल्पना करती है।

डीआईसीजीसी ने जन विश्वास अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों के निपटान के लिए 9 जनवरी 2025 से आंतरिक रूप से एक अधिनिर्णयन कक्ष (एडजुडिकेशन सैल) का गठन किया है। इसके अतिरिक्त, डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 8(3) के अनुसार, 12 फरवरी 2026 से एक अधिनिर्णयन समिति गठित की गई है ताकि निर्णय लेने से जुड़े मामलों की व्यवस्थित निगरानी और निर्णय-प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। यह समिति बीमाकृत बैंकों द्वारा जमा बीमा रिटर्न के विलंबित/ गैर-प्रस्तुतीकरण से संबंधित मामलों के साथ-साथ जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के बाद निगम को पुनर्भुगतान में देरी के मामलों को देखेगी।

4.9 कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) की स्थापना

प्रौद्योगिकी-आधारित परिचालनों पर बढ़ती निर्भरता और निर्बाध सेवा सुपुर्दगी की महत्वपूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड द्वारा निगम के लिए एक व्यापक कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) फ्रेमवर्क को मंजूरी दी गई। बीसीपी, सिस्टम आउटेज, प्राकृतिक आपदाओं, साइबर घटनाओं या अन्य परिचालन व्यवधानों जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के दौरान निरंतरता का आश्वासन प्रदान करता है।

4.10 जन जागरूकता

कॉमिक बुक, न्यूज़लेटर और आउटरीच सत्र

वर्ष के दौरान, इन-हाऊस टीम द्वारा तैयार की गई “डीआईसीजीसी: द सेफ्टी नेट” शीर्षक पहली जमाकर्ता जागरूकता और शैक्षिक कॉमिक बुक का विमोचन किया गया। इसमें डीआईसीजीसी मैस्कॉट ‘डीआईए- द वाइज़ आउल’ द्वारा सुनाई गई सात सरल कहानियाँ हैं और यह विशेष रूप से उन युवाओं के लिए उपयोगी होगी जिन्होंने अभी तक बैंकिंग सेवाओं का लाभ नहीं उठाया है। डीआईसीजीसी ने सीधे और आरबीआई के समन्वय से वित्तीय जागरूकता सत्र आयोजित करना भी शुरू किया है। आरबीआई और नाबार्ड से अनुरोध किया गया है कि वे अपने वित्तीय जागरूकता सत्रों में डीआईसीजीसी से संबंधित जागरूकता सामग्री को शामिल करें। इस अवधि के दौरान डीआईसीजीसी न्यूज़लेटर के तीसरे और चौथे अंक भी जारी किए गए। एक नई पहल के रूप में, डीआईसीजीसी की सभी प्रेस विज्ञप्तियों को छोटे वीडियो प्रारूप में परिवर्तित करके व्यापक प्रसार के लिए डीआईसीजीसी के सोशल मीडिया चैनलों पर अपलोड किया जा रहा है।

वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रबंधन

डीआईसीजीसी की वेबसाइट, हितधारकों के लिए जानकारी का मुख्य स्रोत है। वर्ष के दौरान, वेबसाइट पर नए उपयोगकर्ता मुख्य रूप से ‘डायरेक्ट रूट’ से आए, और उसके बाद रेफरल रूट (दूसरी वेबसाइटों से रीडायरेक्ट होकर) का स्थान रहा। यह डीआईसीजीसी वेबसाइट के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता और पहचान को दर्शाता है, जिसे संभवतः हाल के आउटरीच अभियानों से मजबूती मिली है। ‘जमा बीमा के लिए मार्गदर्शिका’ के अतिरिक्त, ‘जन जागरूकता’ और ‘बीमाकृत बैंकों/बैंकों की सूची’ पृष्ठ शीर्ष पाँच सबसे अधिक जाने वाले पृष्ठों में शामिल थे।

निगम के सोशल मीडिया हैंडल जैसे पब्लिक ऐप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने विविध दर्शकों, विशेष रूप से युवा वर्ग और क्षेत्रीय समुदायों तक लक्षित और व्यापक पहुँच को संभव बनाया।

4.11 वित्तीय सुरक्षा कवच सहयोग, समन्वय और सूचना साझाकरण

डीआईसीजीसी सहयोग, समन्वय और सूचना साझा करने के लिए वित्तीय सुरक्षा कवच के भीतर एक औपचारिक ढाँचे का हिस्सा है। वर्ष के दौरान, नाबार्ड को आरबीआई- डीआईसीजीसी समन्वय समिति में शामिल किया गया था, जो जमा बीमा से संबंधित गतिविधियों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अर्ध-वार्षिक बैठक करती है।

4.12 अंतरराष्ट्रीय संबंध

अंतरराष्ट्रीय डीआई संगठनों के साथ समन्वय

निगम 2004 से इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरर्स (आईएडीआई) और इसकी विभिन्न समितियों का सदस्य है। जमा बीमा प्रणालियों को मजबूत करने के लिए मार्गदर्शन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2002 में आईएडीआई का गठन किया गया था। कार्यपालक निदेशक, डीआईसीजीसी, आईएडीआई की विभिन्न समितियों के नामित पदेन प्रतिनिधि हैं और मुख्य महाप्रबंधक, डीआईसीजीसी वैकल्पिक नामित प्रतिनिधि हैं। वर्ष के दौरान, निगम के अधिकारियों ने रेज़ोल्यूशन टेक्निकल कमिटी, इमर्जिंग ट्रेड्स वर्किंग ग्रुप, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी टेक्निकल कमिटी, ई-मनी वर्किंग ग्रुप, फाइनेंशियल कोऑपरेटिव टेक्निकल कमिटी, रीइंबर्समेंट टेक्निकल कमिटी और रिसर्च टेक्निकल कमिटी के सदस्यों के रूप में योगदान दिया। निगम के अधिकारियों ने आईएडीआई और उसकी विभिन्न समितियों द्वारा आयोजित आठ व्यक्तिगत और कई अन्य वर्चुअल बैठकों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भाग लिया।

4.13 जनसंपर्क

शिकायत निवारण कक्ष

शिकायत निवारण कक्ष (सीआरसी) ने वर्ष के दौरान सामान्य जन से प्राप्त 1,174 शिकायतों का निपटारा किया (तालिका 4.7)।

तालिका 4.7: शिकायतें और आरटीआई प्रश्न

क्र.सं.	विवरण	2024-25	2025-26
1	कुल शिकायतें	1,410	1,174
2	जिसमें से सीपीग्राम्स	52	90
3	आरटीआई अनुरोध	78	66
4	अपील	03	04

शिकायतें मुख्य रूप से दावा निपटान, बीमा राशि न मिलने, संबंधित बैंक द्वारा दावा सम्मति फॉर्म को स्वीकार न करने, अधिकतम जमा बीमा कवरेज सीमा से अधिक राशि के लिए अनुरोध आदि से संबंधित थीं। दावेदार निगम के दावा-सूचक पोर्टल पर अपने भुगतान की स्थिति को वास्तविक समय में ट्रैक कर सकते हैं। यद्यपि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान निपटाए गए दावों में वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में चार गुना वृद्धि हुई, परंतु उपरोक्त सुविधा की सहायता से शिकायतों में 17 प्रतिशत की कमी आई है। शिकायतों का निपटान परिसमापकों/ एआईडी बैंकों के नोडल अधिकारियों, आरबीआई के विनियामक और पर्यवेक्षी विभागों के समन्वय से समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है। शिकायतों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों को निपटान के लिए शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्यबल (टैफकब) उप-समिति के समक्ष भी उठाया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

एक लोक प्राधिकरण के रूप में, निगम सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत सामान्य जन को सूचना प्रदान करने के लिए बाध्य है। वर्ष 26-2025 के दौरान, कुल 66 आरटीआई अनुरोध और चार अपीलें प्राप्त हुई (ऊपर दी गई तालिका 4.7)। निगम द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपीलीय प्राधिकरण आदेश जारी किया गया। आरटीआई प्रश्न मुख्य रूप से जमाकर्ताओं की सुरक्षा में आरबीआई और डीआईसीजीसी की भूमिका, दावा निपटान पर जानकारी, जमा बीमा कवर को बढ़ाने के बारे में प्रश्न, विफल बैंकों और एआईडी के तहत बैंकों के बारे में जानकारी और संवितरित राशि आदि से संबंधित थे।

कोर्ट – मामले

वर्ष के दौरान, 22 नए मामले दर्ज किए गए और आठ मामले बंद कर दिए गए। 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार विभिन्न न्यायालयों,

न्यायाधिकरणों और आयोगों में 72 मामले लंबित थे (तालिका 4.8)।

4.14 ऋण गारंटी योजनाएं

वर्तमान में, निगम द्वारा कोई भी ऋण गारंटी योजना नहीं चलाई जा रही है। 2003-04 के बाद, ऋण गारंटी योजनाओं पर कोई गारंटी शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है और न ही कोई दावा भुगतान किया गया। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 (एसएलजीएस 1971) के तहत कोई वसूली या पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं हुआ।

भाग ख: अन्य महत्वपूर्ण पहलें / प्रगति

4.15 जोखिम प्रबंधन

डीआईसीजीसी ने वित्तीय, परिचालन और साइबर सुरक्षा जोखिमों की निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रमुख पहलों के जरिए अपने जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत किया। बोर्ड द्वारा स्वीकृत मापदंडों के अनुसार, स्वीकृत निवेश सीमाओं की निगरानी, आवधिक जोखिम रिपोर्ट तैयार करना, आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) विवरणों का समेकन, दबावग्रस्त जोखिम मूल्य (वीएआर) की गणना, और जोखिम मापन प्रथाओं की मजबूती का आकलन करने के लिए वीएआर मॉडल के बैक-टेस्टिंग सहित नियमित जोखिम प्रबंधन गतिविधियों की गईं। इसके अतिरिक्त, निगम के दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए डीआईसीजीसी पोर्टफोलियो के दबाव परीक्षण संबंधी कार्य दल ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, जो वर्तमान में समीक्षाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, परिचालन जोखिम रिजर्व संबंधी कार्य दल का गठन किया गया। इस कार्य दल ने भी अपनी रिपोर्ट विचारार्थ प्रस्तुत कर दी है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, निगम के लिए बीसीपी ढांचे संबंधी नीति को बोर्ड द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है जो कार्यान्वयन के अधीन है।

4.16 जोखिम डैशबोर्ड

निगम में पहचाने गए जोखिमों की निरंतर निगरानी और ट्रैकिंग को सक्षम

तालिका 4.8: न्यायालय-वार लंबित मामलों की संख्या

	न्यायालय	31 मार्च 2025	नए मामले	बंद मामले	31 मार्च 2026
1	उच्चतम न्यायालय	1	शून्य	शून्य	1
2	उच्च न्यायालय	47	12	6	53
3	मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट/जिला सिविल न्यायालय	5	3	1	7
4	उपभोक्ता फोरम	5	1	1	5
5	अन्य न्यायालय / फोरम	शून्य	6	शून्य	6
6	कुल	58	22	8	72

बनाने के लिए एक विस्तृत जोखिम डैशबोर्ड विकसित किया गया था। जोखिम प्रबंधन ढांचे को भी अपडेट किया गया, ताकि सभी संभावित जोखिमों की निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

4.17 डीआईसीजीसी की डिजिटलीकरण पहल

निगम ने एक आधुनिक, तकनीक-संचालित और जमाकर्ता-केंद्रित संस्था बनने की दिशा में अपनी मुख्य परिचालन प्रक्रियाओं का विस्तृत डिजिटल रूपांतरण किया है। प्रमुख गतिविधियों में स्ट्रेट-थ्रू प्रोसेसिंग, आधार-आधारित ई-साइनिंग और एकीकृत भुगतान गेटवे के साथ पूरी तरह से डिजिटल रियल-टाइम प्रीमियम भुगतान मॉड्यूल शामिल है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप को कम करने और परिचालन दक्षता को बेहतर बनाने की क्षमता है। दावा निपटान और पुनर्भुगतान प्रबंधन मॉड्यूल तीव्र, निर्बाध, पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य निपटान को सक्षम बनाते हुए स्वचालित वर्कफ्लो, ऑनलाइन प्रमाणीकरण, डैशबोर्ड और भुगतान गेटवे एकीकरण की व्यवस्था करते हैं। सिंगल कस्टमर व्यू (एससीवी) ढांचे का कार्यान्वयन एक और बड़ी उपलब्धि है, जो जमाकर्ता डेटा को मानकीकृत करने और डेटा तत्परता को बेहतर बनाने में सहायता करता है। इससे दावों के भुगतान में लगने वाला समय कम हो जाएगा। पुनर्निर्मित डीआईसीजीसी वेबसाइट, डीआईसीजीसी वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनात्मक वीडियो, ऑनलाइन दावा स्थिति ट्रैकर और सोशल मीडिया जुड़ाव जैसी जमाकर्ता-केंद्रित पहलों से पूर्ण ये गतिविधियां, जमाकर्ताओं की सुविधा, पहुँच और जुड़ाव को मजबूत करेंगी। कुल मिलाकर, ये पहल डीआईसीजीसी को एक प्रगतिशील, भविष्य के लिए तैयार जमा बीमाकर्ता के रूप में स्थापित

करेंगी, जो वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हो और तकनीकी रूप से सक्षम, कुशल और जमाकर्ता-अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो।

4.18 “उन्नति”: डीआईसीजीसी की मध्यावधि कार्य योजना

डीआईसीजीसी ने 20 विशिष्ट कार्य मदों के साथ सात कार्यनीति-संबंधी स्तंभों अर्थात शासन, जमाकर्ता संरक्षण, डिजिटलीकरण, संचार, विधि, वसूली और मानव संसाधन प्रबंधन पर केंद्रित मध्यावधि कार्य योजना दस्तावेज़ - ‘उन्नति’ (27-2025) तैयार किया है। इस योजना की निगरानी बोर्ड द्वारा की जा रही है।

भाग ग: ट्रेजरी परिचालन

4.19 डीआईसीजीसी पोर्टफोलियो की समीक्षा

31 मार्च 2026 तक निगम के पोर्टफोलियो पैरामीटर नीचे तालिका में दिए गए हैं।

4.20 निवेश और जोखिम प्रबंधन समिति (आईआरएमसी)

आईआरएमसी प्रत्येक माह पिछले माह के ट्रेजरी परिचालन और जोखिम मापदंडों की समीक्षा करने के लिए बैठक करता है।

4.21 जोखिम मानदंड

31 मार्च 2026 तक के जोखिम मानदंड निम्न तालिका में दिए गए हैं:

मानदंड	2024-25	2025-26
कुल निवेश का अंकित मूल्य (₹ करोड़ में)	2,32,393	2,66,883
कुल निवेश का बही मूल्य (₹ करोड़ में)	2,36,561	2,71,358
निवेश पोर्टफोलियो का मार्क-टू-मार्केट मूल्य (₹ करोड़ में)	2,43,401	2,67,739
एमवी/बीवी	1.03	0.99
निवल मूल्य वृद्धि (+)/मूल्यहास (-) (₹ करोड़)	6,840	-3,619
आशोधित अवधि (वर्ष)	6.3524	6.3054
पोर्टफोलियो वायटीएम (%)	6.6211	7.0569
10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल (%)	6.58	7.03
	(6.79 जीएस 2034)	(6.48 जीएस 2035)

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

मानदंड	2024-25	2025-26
एकल प्रतिभूति संकेद्रण अनुपात सीआर1 (10% के भीतर)	5.87% - बीवी*	4.92% - बीवी
चार- प्रतिभूति संकेद्रण अनुपात सीआर4 (20% के भीतर)	17.83% - बीवी	15.37% - बीवी
एकल वर्ष संकेद्रण अनुपात (20% से अधिक नहीं)	9.88% - बीवी	9.64% - बीवी
दबावग्रस्त जोखिम मूल्य (एसवीएआर)	₹17,181 करोड़ या पोर्टफोलियो बाज़ार मूल्य का 6.42% (31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार)	
चलनिधि पर्याप्तता अनुपात (100% से अधिक होना चाहिए)	142% (31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार)	

* बीवी: बही मूल्य

भाग घ: लेखा विवरण

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के वित्तीय विवरण, जिनमें राजस्व खाता, नकदी प्रवाह विवरण और तुलन पत्र शामिल हैं, डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 28 के तहत प्रस्तुत प्रपत्रों में तीनों निधियों, अर्थात् निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) और सामान्य निधि (जीएफ) के लिए तैयार किए गए हैं। अधिनियम की धारा 29 के अनुसार निगम के मामलों की लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है।

4.22 बीमा देयताएं

निगम ने 2025-26 के दौरान ₹1,110 करोड़ के दावों को संसाधित किया है। 2025-26 के दौरान नए बीमा दावों के लिए ₹1,988 करोड़ (पिछले वर्ष की समान अवधि (सीपीपीवाई) ₹475 करोड़) की राशि का भुगतान किया गया, जबकि पिछले वर्ष में प्रावधानित देयता से 2025-26 के दौरान ₹225 करोड़ का भुगतान किया गया था।

बीमांकिक द्वारा अनुमानित निगम के निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) के लिए बीमांकिक देयता वर्ष के अंत में ₹18,037 करोड़ (सीपीपीवाई ₹17,567 करोड़) थी, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करती है।

ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) के संबंध में कोई दावा देयता नहीं है।

4.23 वर्ष के दौरान राजस्व

समीक्षाधीन अवधि के दौरान डीआईएफ में कर-पूर्व राजस्व अधिशेष ₹44,514 करोड़ (सीपीपीवाई ₹41,302 करोड़) था, जो ₹3,212 करोड़ (7.8%) की वृद्धि दर्शाता है। इसका मुख्य कारण प्रीमियम आय में वृद्धि

(₹3,183 करोड़), निवेश से आय में वृद्धि (₹2,853 करोड़) और निवल दावों में कमी (₹878 करोड़) है। इसकी आंशिक भरपाई भुगतान किए गए दावों की वसूली में कमी (₹200 करोड़) से हुई।

समीक्षाधीन अवधि के लिए सामान्य निधि (जीएफ) में कर-पूर्व राजस्व अधिशेष ₹23 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि (सीपीपीवाई) में ₹0.32 करोड़ का घाटा था। अधिशेष में ₹23 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से इन कारणों से हुई: आयकर रिफंड पर ब्याज में वृद्धि (₹9 करोड़); अन्य विविध प्राप्तियों में बढ़ोतरी (₹9 करोड़), जिसमें अक्टूबर 2011-मार्च 2015 की अवधि के लिए ₹8 करोड़ का पुराना सेवा कर रिफंड शामिल है; निवेश से आय में वृद्धि (₹0.81 करोड़); सेवा संविदा या अनुरक्षण में कमी (₹7 करोड़); और विविध खर्चों में निवल कमी (₹3 करोड़), चूंकि वित्त वर्ष 2024-25 में आईएडीआई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जैसे कुछ ऐसे व्यय हुए थे, जो बार-बार नहीं होते। कर्मचारी लागत में ₹3 करोड़ की वृद्धि; किराए, बीमा और बिजली के खर्चों में संशोधन (₹0.38 करोड़); और कानूनी शुल्कों में वृद्धि (₹0.45 करोड़) से इसकी आंशिक भरपाई हुई। इसके अतिरिक्त, सीसीआईएल लेन-देन शुल्क में ₹0.51 करोड़ की वृद्धि हुई।

समीक्षाधीन अवधि में ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) में कर-पूर्व राजस्व अधिशेष ₹54 करोड़ था, जबकि सीपीपीवाई में यह ₹53 करोड़ था। अधिशेष में वृद्धि मुख्य रूप से निवेश से शुद्ध आय में वृद्धि (₹0.95 करोड़) के कारण हुई।

4.24 संचित अधिशेष

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार, डीआईएफ, सीजीएफ और जीएफ

में संचित अधिशेष/रिज़र्व (कर के बाद) क्रमशः ₹2,43,786 करोड़ (₹2,11,366 करोड़), ₹729 करोड़ (₹690 करोड़) और ₹744 करोड़ (₹727 करोड़) था।

4.25 निवेश

2025-26 के अंत में, तीनों निधियों अर्थात् डीआईएफ, सीजीएफ और जीएफ के निवेश का बही मूल्य (लागत पर) क्रमशः ₹2,69,813 करोड़ (₹2,35,063 करोड़), ₹753 करोड़ (₹716 करोड़) और ₹792 करोड़ (₹783 करोड़) था। डीआईएफ को छोड़कर, अन्य दो निधियों में मूल्यवृद्धि दर्ज की गई और तीनों निधियों में निवेश का बाज़ार मूल्य ₹2,66,184 करोड़ (डीआईएफ), ₹754 करोड़ (सीजीएफ) और ₹802 करोड़ (जीएफ) था। 31 मार्च 2026 तक डीआईएफ के बाज़ार मूल्य में ₹3629 करोड़ के शुद्ध मूल्यहास के लिए प्रावधान किया गया था।

4.26 कराधान

आयकर

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार, डीआईएफ, सीजीएफ और जीएफ के संबंध में अग्रिम आयकर (एआईटी) खाते में संचित शेष राशि (बकाया) क्रमशः ₹12,108 करोड़ (₹10,495 करोड़), ₹12 करोड़ (₹12 करोड़) और ₹5 करोड़ (₹3 करोड़) थी। कराधान के लिए प्रावधान में संचित शेष राशि क्रमशः ₹12,115 करोड़ (₹10,395 करोड़), ₹15 करोड़ (₹14 करोड़) और ₹6 करोड़ (₹0.08 करोड़) थी।

माल और सेवा कर

निगम बैंकों को प्रदान की गई जमा बीमा सेवाओं के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। निगम ने इसके अनुपालन में वर्ष के दौरान ₹5,418 करोड़ के जीएसटी देयता का निर्वहन

किया है। इसे बीमित बैंकों से एकत्रित किया गया था।

भाग ड : मानव संसाधन प्रबंधन और राजभाषा

4.27 मानव संसाधन

निगम में मुख्य रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी कार्यरत हैं। 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार निगम में कर्मचारियों की संख्या 70 थी, जबकि 31 मार्च 2025 को यह 67 थी (तालिका 4.9)।

प्रशिक्षण और कौशल विकास

निगम अपने कर्मचारियों को कौशल उन्नयन की दृष्टि से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में प्रतिनियुक्त करता है। ये कार्यक्रम भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों, भारत के साथ-साथ विदेशों में प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ़ डिपॉज़िट इंश्योरर्स (आईएडीआई) और अन्य विदेशी जमा बीमा संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान, आरबीआई के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों और बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों में भाग लेने के लिए 22 अधिकारियों और सात तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को नामित किया गया था। इसके अतिरिक्त, आईएडीआई द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए 11 अधिकारियों को नामित किया गया था।

4.28 हिंदी का प्रयोग

राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अनुपालन में, निगम ने हिंदी के प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार की। निगम के दैनिक

तालिका 4.9: 31 मार्च 2026 के अनुसार स्टाफ की श्रेणी-वार स्थिति

श्रेणी	संख्या	जिसमें		हिस्सेदारी (प्रतिशत)	
		अजा	अजजा	अजा	अजजा
श्रेणी I	48★	8	3	16.67	6.25
श्रेणी III	18	0	1	0	5.56
श्रेणी IV	4	0	0	0	0
कुल	70	8	4	11.43	5.71

अजा: अनसूचित जाति अजजा: अनुसूचित जनजाति

★ इसमें संविदा के आधार पर तीन कर्मचारी शामिल हैं।

कामकाज में हिंदी के प्रयोग की निगरानी और उसे बढ़ावा देने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही आधार पर बैठकें आयोजित की जाती हैं। 2025-26 में हिंदी पत्राचार 98.51 प्रतिशत रहा। निगम हर वर्ष 'हिंदी पखवाड़ा' भी आयोजित करता है। 15 अक्टूबर 2025 को हिंदी दिवस समारोह मनाया गया।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2026 को इंदौर में मध्य, पश्चिम एवं दक्षिणी क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम) के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

भाग च: अभिशासन और लेखा परीक्षा

4.29 अभिशासन

निदेशक मंडल

वर्तमान में बोर्ड में अध्यक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक से एक नामिती निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से एक नामिती निदेशक और तीन स्वतंत्र अंशकालिक निदेशक शामिल हैं। डीआईसीजीसी सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 6 के अनुसार, निगम के निदेशक मंडल से अपेक्षित है कि वह सामान्यतः प्रति तिमाही एक बैठक करे। बोर्ड ने वर्ष के दौरान चार बैठकें आयोजित कीं।

निदेशकों का नामांकन/सेवानिवृत्ति

डॉ. अभिजीत फुकन, आर्थिक सलाहकार, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) को श्री पंकज शर्मा के स्थान पर दिनांक 22 अक्टूबर 2025 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 22 अक्टूबर 2025 से डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(सी) के तहत डीआईसीजीसी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। 9 अक्टूबर 2025 से डीआईसीजीसी पोर्टफोलियो भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री नीरज निगम को सौंपा गया। परिणामस्वरूप, डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(बी) के तहत, उन्हें श्री अर्णब कुमार चौधरी के स्थान पर डीआईसीजीसी बोर्ड में आरबीआई नामिती निदेशक के रूप में पदेन नामित किया गया।

उपरोक्त के आलोक में, बोर्ड-स्तरीय समितियों का पुनर्गठन आवश्यक हो गया था। डॉ. अभिजीत फुकन और श्री नीरज निगम को क्रमशः श्री पंकज शर्मा और श्री अर्णब कुमार चौधरी के स्थान पर बोर्ड की लेखा-

परीक्षा समिति और जोखिम प्रबंधन समिति में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, डॉ. अभिजीत फुकन को बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नामित किया गया।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) के सदस्य- श्री नीरज निगम, आरबीआई नामिती निदेशक, डॉ. अभिजीत फुकन, भारत सरकार नामिती निदेशक और डॉ. तरुण अग्रवाल, निदेशक हैं। श्री अनूप कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, डीआईसीजीसी एसीबी के सदस्य सचिव हैं। वर्ष के दौरान एसीबी की चार बैठकें हुईं।

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) के सदस्य - डॉ. अभिजीत फुकन, अध्यक्ष; श्री नीरज निगम, आरबीआई नामिती निदेशक; प्रो. पार्थ रे, निदेशक और श्रीमती सुधा बालकृष्णन, मुख्य वित्तीय अधिकारी, आरबीआई (बाह्य विशेषज्ञ) हैं। श्री अनूप कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, डीआईसीजीसी आरएमसीबी के सदस्य सचिव हैं। वर्ष के दौरान आरएमसीबी की तीन बैठकें हुईं, जबकि कम से कम दो बैठकें होना अपेक्षित थी।

4.30 आंतरिक नियंत्रण

निगम ने तिमाही समीक्षाओं के माध्यम से अपने राजस्व और व्यय पर नियंत्रण के लिए अपनी तीन निधियों, अर्थात् डीआईएफ, सीजीएफ और जीएफ के अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है। इन निधियों के अंतर्गत लागत का वार्षिक बजट तैयार किया जाता है, जो विविध मानदंडों पर आधारित है जैसे बीमित बैंकों के दावों का भुगतान करने के लिए परिसमापन लागत, आईटी विक्रेता की परियोजना अनुरक्षण लागत, विधिक व्यय, विज्ञापन लागत और स्टाफ और स्थापना से संबंधित भुगतान। प्रत्येक लेखा वर्ष के पूर्व बजट को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तीनों निधियों के अंतर्गत होने वाली प्राप्तियाँ अर्थात् प्रीमियम प्राप्ति, वसूलियाँ और निवेश आय से संबंधित अनुमानों को भी बजट में सम्मिलित किया जाता है। प्रत्येक छमाही के अंत तक की स्थिति के आधार पर बजट किए गए व्यय और प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक व्यय/ प्राप्ति की मध्यकालिक समीक्षा बोर्ड के समक्ष रखी जाती है।

4.31 निगम की लेखापरीक्षा

समवर्ती लेखापरीक्षा

मैसर्स जसमिंदर सिंह एंड एसोसिएट्स को 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई

2026 की अवधि के लिए निगम के समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। मासिक लेखा परीक्षा के प्रमुख निष्कर्ष बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

स्व-नियंत्रण मूल्यांकन लेखापरीक्षा

स्व-नियंत्रण मूल्यांकन लेखापरीक्षा (सीएसएए) के अंतर्गत एक प्रणाली प्रारंभ की गई है, जिसमें निगम के अधिकारी छमाही आधार पर ऐसे कार्य क्षेत्रों का जिनसे वे कार्यकारी तौर पर संबद्ध नहीं हैं, की लेखापरीक्षा करते हैं। सुधारात्मक कार्रवाइयों के लिए रिपोर्ट, यदि कोई हो, उनके द्वारा

प्रस्तुत की जाती है।

सांविधिक लेखापरीक्षा

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 29(1) के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से मैसर्स जैन चौधरी एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) को वर्ष 2025-26 के लिए निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
मुंबई

26 मई 2026

(स्वामीनाथन जे.)
अध्यक्ष

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

परिशिष्ट सारिणी 1: निक्षेप बीमा योजना के तहत शामिल बैंक

वर्ष	अवधि के प्रारंभ में	अवधि के दौरान पंजीकृत	वर्ष/अवधि के दौरान ऐसे विपंजीकृत बैंक, जहाँ निगम की देयता			अवधि के अंत में (2+3-6)
			विद्यमान	विद्यमान नहीं	कुल (4+5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31-03-2026	1,982	11	10	33	43	1,950
31-03-2025	1,997	2	8	9	17	1,982
31-03-2024	2,026	1	24	6	30	1,997
31-03-2023	2,040	0	9	5	14	2,026
31-03-2022	2,058	3	11	10	21	2,040
31-03-2021	2,067	2	6	5	11	2,058
31-03-2020	2,098	6	0	37	37	2,067
31-03-2019	2,109	8	4	15	19	2,098
31-03-2018	2,125	8	7	17	24	2,109
31-03-2017	2,127	13	5	10	15	2,125

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

परिशिष्ट सारिणी 2-ए: बीमाकृत बैंक - बैंक समूह-वार

वर्ष (मार्च के अंत तक)	बीमाकृत बैंकों की संख्या				
	वाणिज्यिक बैंक	आरआरबी	एलएबी	सहकारी बैंक	कुल
31-03-2022	96	43	2	1,899	2,040
31-03-2023	94	43	2	1,887	2,026
31-03-2024	95	43	2	1,857	1,997
31-03-2025	94	43	2	1,843	1,982
31-03-2026	94	28	2	1,826	1,950

आरआरबी: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एलएबी: स्थानीय क्षेत्रों के बैंक

परिशिष्ट सारिणी 2-बी: बीमाकृत सहकारी बैंक - राज्यवार (मार्च 2026 के अंत की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य	शीर्ष	केंद्रीय	प्राथमिक	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	1	22	44	67
2.	असम	1	0	7	8
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	1
4.	बिहार	1	23	3	27
5.	छत्तीसगढ़	1	6	12	19
6.	गोवा	1	0	3	4
7.	गुजरात	1	18	203	222
8.	हरियाणा	1	19	7	27
9.	हिमाचल प्रदेश	1	2	5	8
10.	झारखंड	1	1	1	3
11.	कर्नाटक	1	21	248	270
12.	केरल	1	1	58	60
13.	मध्य प्रदेश	1	38	47	86
14.	महाराष्ट्र	1	31	454	486
15.	मणिपुर	1	0	3	4
16.	मेघालय	1	0	3	4
17.	मिजोरम	1	0	1	2
18.	नागालैंड	1	0	0	1
19.	उड़ीसा	1	17	9	27
20.	पंजाब	1	20	3	24
21.	राजस्थान	1	29	34	64
22.	सिक्किम	1	0	1	2
23.	तमिलनाडु	1	24	127	152
24.	तेलंगाना	1	0	48	49
25.	त्रिपुरा	1	0	1	2
26.	उत्तर प्रदेश	1	50	52	103
27.	उत्तराखंड	1	10	5	16
28.	पश्चिम बंगाल	1	17	42	60
सभी राज्य		28	349	1,421	1,798
संघशासित क्षेत्र					
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0	0	1
2.	चंडीगढ़	1	0	0	1
3.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	0	0	1
4.	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	1	0	14	15
5.	जम्मू और कश्मीर	1	3	4	8
6.	लद्दाख	0	0	0	0
7.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
8.	पुडुचेरी	1	0	1	2
सभी संघशासित क्षेत्र		6	3	19	28
अखिल भारत		34	352	1,440	1,826

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

परिशिष्ट सारिणी 3: वर्ष 2025-26 के दौरान पंजीकृत / विपंजीकृत बैंक

बैंक समूह	श्रेणी / राज्य	क्रम सं.	बैंक का नाम
पंजीकृत बैंक			
वाणिज्यिक बैंक (11)	आरआरबी (11)	1	आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक
		2	बिहार ग्रामीण बैंक
		3	गुजरात ग्रामीण बैंक
		4	जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक
		5	कर्नाटक ग्रामीण बैंक
		6	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक
		7	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
		8	उड़ीसा ग्रामीण बैंक
		9	राजस्थान ग्रामीण बैंक
		10	उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
		11	वेस्ट बंगाल ग्रामीण बैंक
विपंजीकृत बैंक			
आरआरबी (26)	आंध्र प्रदेश (04)	1.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
		2.	सप्तगिरी ग्रामीण बैंक
		3.	चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक
		4.	आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, कडप्पा
	बिहार (02)	5.	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक
		6.	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक
	गुजरात (02)	7.	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, वडोदरा
		8.	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
	जम्मू और कश्मीर (02)	9.	एलाक्वाई देहाती बैंक
		10.	जे एंड के ग्रामीण बैंक
	कर्नाटक (02)	11.	कर्नाटक ग्रामीण बैंक
		12.	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक
	मध्य प्रदेश (02)	13.	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक
		14.	मध्यांचल ग्रामीण बैंक
	महाराष्ट्र (02)	15.	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
		16.	विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक
	ओडिशा (02)	17.	उड़ीसा ग्राम्य बैंक
		18.	उत्कल ग्रामीण बैंक
	राजस्थान (2)	19.	बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
		20.	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
	उत्तर प्रदेश (03)	21.	आर्यावर्त बैंक
		22.	बड़ौदा यूपी बैंक
		23.	प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक
	पश्चिम बंगाल (03)	24.	बंगीय ग्रामीण विकास बैंक

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

बैंक समूह	श्रेणी / राज्य	क्रम सं.	बैंक का नाम
सहकारी बैंक (17)		25.	पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक
		26.	उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
	गुजरात (07)	27.	कलर मर्चेन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक
		28.	दि आदिनाथ को-ऑपरेटिव बैंक
		29.	धिनोज नागरिक सहकारी बैंक
		30.	अमरनाथ को-ऑपरेटिव बैंक
		31.	आमोद नागरिक सहकारी बैंक
		32.	लालबाग को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
		33.	दि बापूनगर महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
	कर्नाटक (02)	34.	कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
		35.	शिमशा सहकारा बैंक नियमिता
	महाराष्ट्र (05)	36.	शंकरराव मोहिते-पाटील सहकारी बैंक
		37.	अजंता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
		38.	सावंतवाडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
		39.	न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
		40.	जीजामाता महिला सहकारी बैंक, सतारा
	पंजाब (01)	41.	इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
	उत्तर प्रदेश (02)	42.	एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
		43.	इंडियन मर्केटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

परिशिष्ट सारिणी 4 : जमाराशि सुरक्षा कवरेज

दिनांक की स्थिति	पूर्णतः संरक्षित खाते (संख्या लाख में)*	कुल खाते (संख्या लाख में)	कुल खातों की तुलना में पूर्णतः संरक्षित खातों का %	बीमाकृत जमाराशियाँ* (₹ करोड़ में)	निर्धारणीय जमाराशियाँ (₹ करोड़ में)	निर्धारणीय जमाराशियों की तुलना में बीमाकृत जमाराशि का %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31-03-2026	29,355	30,144	97.4	1,09,33,948	2,75,43,642	39.7
30-09-2025	29,137	29,888	97.5	1,04,09,023	2,53,09,786	41.1
31-03-2025	28,664	29,381	97.6	1,00,12,065	2,41,06,042	41.5
30-09-2024	28,690	29,370	97.7	96,74,623	2,27,26,914	42.6
31-03-2024	28,331	28,975	97.8	94,12,705	2,18,52,160	43.1
30-09-2023	28,179	28,794	97.9	90,32,340	2,04,18,707	44.2
31-03-2023	27,050	27,630	97.9	86,31,259	1,94,58,915	44.4
30-09-2022	26,746	27,311	97.9	83,89,470	1,81,14,550	46.3
30-09-2021	25,667	26,219	97.9	81,10,431	1,65,49,630	49.0
30-09-2020	24,780	25,260	98.1	76,21,251	1,49,67,770	50.9
30-09-2019	21,610	23,500	92.0	36,96,100	1,34,88,910	27.4
30-09-2018	20,000	21,740	92.0	33,70,000	1,20,05,100	28.1
30-09-2017	17,750	19,410	91.4	32,75,300	1,12,02,000	29.2

* खातों की संख्या, जिनमें शेषराशियाँ 1 जनवरी 1962 के बाद से ₹1,500; 1 जनवरी 1968 के बाद से ₹5,000; 1 अप्रैल 1970 के बाद से ₹10,000; 1 जनवरी 1976 के बाद से ₹20,000; 1 जुलाई 1980 के बाद से ₹ 30,000; 1 मई 1993 के बाद से ₹1,00,000 और 4 फरवरी 2020 के बाद से ₹5,00,000 से अधिक नहीं थीं।

टिप्पणी: 1. 2009-10 से प्रदर्शित आँकड़े नए रिपोर्टिंग फॉर्मेट के अनुसार हैं।
2. 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार डेटा अनंतिम है।

परिशिष्ट सारिणी 5: बैंक समूह-वार बीमाकृत जमाराशियाँ (वित्तीय वर्ष 2025-26)

बैंक समूह	बीमाकृत बैंकों की संख्या	बीमाकृत जमाराशियाँ (₹ करोड़ में)	निर्धारणीय जमाराशियाँ (₹ करोड़ में)	निर्धारणीय जमाराशियों की तुलना में बीमाकृत जमाराशियों का %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार (पी)				
I. वाणिज्यिक बैंक (i से vii)	124	1,01,12,746	2,61,77,935	38.6
i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	12	64,80,763	1,45,13,352	44.7
ii) निजी क्षेत्र के बैंक	21	28,42,849	93,05,345	30.6
iii) विदेशी बैंक	44	50,911	12,67,912	4.0
iv) लघु वित्त बैंक	11	1,22,636	3,21,553	38.1
v) भुगतान बैंक	6	37,724	37,904	99.5
vi) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	28	5,76,753	7,30,286	79.0
vii) स्थानीय क्षेत्र बैंक	2	1,110	1,581	70.2
II. सहकारी बैंक (i से iii)	1,826	8,21,202	13,65,707	60.1
i) शहरी सहकारी बैंक	1,440	3,97,657	6,35,789	62.5
ii) राज्य सहकारी बैंक	34	71,330	1,69,856	42.0
iii) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक	352	3,52,214	5,60,062	62.9
कुल (I+II)	1,950	1,09,33,948	2,75,43,642	39.7
30 सितंबर 2025 की स्थिति के अनुसार				
I. वाणिज्यिक बैंक (i से vii)	124	96,41,292	2,40,45,871	40.1
i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	12	62,02,745	1,33,65,458	46.4
ii) निजी क्षेत्र के बैंक	21	27,00,832	84,74,341	31.9
iii) विदेशी बैंक	44	51,686	12,02,752	4.3
iv) लघु वित्त बैंक	11	1,15,177	2,88,121	40.0
v) भुगतान बैंक	6	29,465	29,676	99.3
vi) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	28	5,40,334	6,84,048	79.0
vii) स्थानीय क्षेत्र बैंक	2	1,051	1,475	71.3
II. सहकारी बैंक (i से iii)	1,833	7,67,731	12,63,915	60.7
i) शहरी सहकारी बैंक	1,447	3,80,874	5,93,328	64.2
ii) राज्य सहकारी बैंक	34	65,323	1,60,969	40.6
iii) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक	352	3,21,535	5,09,618	63.1
कुल (I+II)	1,957	1,04,09,023	2,53,09,786	41.1

टिप्पणी: बीमाकृत जमाराशि और निर्धारणीय जमाराशि के अनुपात का मिलान राउंड ऑफ के कारण नहीं हो सकता।

पी – अनंतिम।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

परिशिष्ट सारिणी 5: बैंक समूह-वार बीमाकृत जमाराशियाँ (समाप्त)

बैंक समूह	बीमाकृत बैंकों की संख्या	बीमाकृत जमाराशियाँ (₹ करोड़ में)	निर्धारणीय जमाराशियाँ (₹ करोड़ में)	निर्धारणीय जमाराशियों की तुलना में बीमाकृत जमाराशियों का %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार				
I. वाणिज्यिक बैंक (i से vii)	139	92,39,260	2,28,57,103	40.4
i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	12	59,53,830	1,26,11,152	47.2
ii) निजी क्षेत्र के बैंक	21	25,71,103	81,93,195	31.4
iii) विदेशी बैंक	44	52,084	10,91,743	4.8
iv) लघु वित्त बैंक	11	1,07,719	2,70,601	39.8
v) भुगतान बैंक	6	26,142	26,294	99.4
vi) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	43	5,27,364	6,62,709	79.6
vii) स्थानीय क्षेत्र बैंक	2	1,018	1,409	72.3
II. सहकारी बैंक (i से iii)	1,843	7,72,805	12,48,939	61.9
i) शहरी सहकारी बैंक	1,457	3,80,142	5,84,450	65.0
ii) राज्य सहकारी बैंक	34	66,285	1,57,076	42.2
iii) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक	352	3,26,378	5,07,412	64.3
कुल (I+II)	1,982	1,00,12,065	2,41,06,042	41.5
30 सितंबर 2024 की स्थिति के अनुसार				
I. वाणिज्यिक बैंक (i से vii)	139	89,34,151	2,15,53,399	41.5
i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	12	57,93,657	1,19,84,450	48.3
ii) निजी क्षेत्र के बैंक	21	24,76,339	75,95,372	32.6
iii) विदेशी बैंक	44	49,158	10,86,877	4.5
iv) लघु वित्त बैंक	11	98,498	2,41,745	40.7
v) भुगतान बैंक	6	18,375	18,470	99.5
vi) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	43	4,97,161	6,25,151	79.5
vii) स्थानीय क्षेत्र बैंक	2	962	1,334	72.1
II. सहकारी बैंक (i से iii)	1,850	7,40,472	11,73,515	63.1
i) शहरी सहकारी बैंक	1,465	3,73,715	5,56,862	67.1
ii) राज्य सहकारी बैंक	33	63,262	1,47,586	42.9
iii) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक	352	3,03,496	4,69,067	64.7
कुल (I+II)	1,989	96,74,623	2,27,26,914	42.6

टिप्पणी: बीमाकृत जमाराशि और निर्धारणीय जमाराशि के अनुपात का मिलान राउंड ऑफ के कारण नहीं हो सकता।

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

परिशिष्ट सारिणी 6: 2025-26 के दौरान निपटाए गए परिसमाप्त/विलय किए गए बैंकों के जमा बीमा दावे

क्रम सं.	बैंक का नाम	मुख्य दावा/ अनुपूरक दावा	जमाकर्ताओं की संख्या	दावा राशि (₹ करोड़)
1	2	3	4	5
	सहकारी बैंक			
	आंध्र प्रदेश (3)			
1	ऊरवकोंडा सीटीबीएल, अनंतपुर	मुख्य	1,110	4.20
2	ऊरवकोंडा सीटीबीएल, अनंतपुर	अनुपूरक	26	0.05
3	दुर्गा सीबीएल, विजयवाड़ा	मुख्य	1,512	25.28
ए. कुल (आंध्र प्रदेश - दावे)			2,648	29.53
	असम (1)			
1	महाभैरव सीबीएल, तेजपुर	मुख्य	146	0.95
बी. कुल (असम - दावे)			146	0.95
	गोवा (1)			
1	मापुसा यूसीबीएल, मापुसा	अनुपूरक	94	0.26
सी. कुल (गोवा- दावे)			94	0.26
	गुजरात (4)			
1	श्री महालक्ष्मी सीबीएल, डभोई	मुख्य	1,032	8.49
2	श्री महालक्ष्मी सीबीएल, डभोई	अनुपूरक	528	1.87
3	गुजरात इंडस्ट्रियल सीबीएल, अहमदाबाद	अनुपूरक	213	0.45
4	कलर एमसीबीएल, अहमदाबाद	मुख्य	452	1.09
डी. कुल (गुजरात- दावे)			2,225	11.90
	कर्नाटक (5)			
1	मिलथ सीबीएल, दावणगेरे	मुख्य	317	0.72
2	शारदा महिला सीबीएल, तुमकुर	मुख्य	250	0.82
3	शारदा महिला सीबीएल, तुमकुर	अनुपूरक	6	0.07
4	डेक्कन यूसीबीएल, विजयपुर	मुख्य	3	-
5	हिरियुर यूसीबी, हिरियुर	मुख्य	135	0.18
ई. कुल (कर्नाटक- दावे)			711	1.79
	मध्य प्रदेश (1)			
1	गढ़ा सीबीएल, गुना	अनुपूरक	32	0.13
एफ. कुल (मध्य प्रदेश-दावे)			32	0.13
	महाराष्ट्र (27)			
1	आदर्श महिला एनएसबीएल, औरंगाबाद	मुख्य	1,461	7.10
2	आदर्श महिला एनएसबीएल, औरंगाबाद	अनुपूरक	351	2.00
3	अजंता यूसीबी, औरंगाबाद	मुख्य	4,799	24.75
4	बाबाजी दाते एमएसबीएल, यवतमाल	अनुपूरक	1,503	3.16
5	सिटी सीबीएल, मुंबई	मुख्य	14,501	27.01
6	सीकेपी सीबीएल, मुंबई	अनुपूरक	148	0.51
7	इंडिपेंडेंस सीबीएल, नासिक	मुख्य	139	0.81
8	इंडिपेंडेंस सीबीएल, नासिक	अनुपूरक	72	0.46
9	जयप्रकाश नारायण एनएसबीएल, हिंगोली	मुख्य	502	2.22
10	कपोल सीबीएल, मुंबई	मुख्य	4,930	12.41
11	कपोल सीबीएल, मुंबई	अनुपूरक	2,432	7.46
12	कराड़ जनता सहकारी बैंक, कराड़	अनुपूरक	345	0.86

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

क्रम सं.	बैंक का नाम	मुख्य दावा/ अनुपूरक दावा	जमाकर्ताओं की संख्या	दावा राशि (₹ करोड़)
1	2	3	4	5
13	कर्नाला एनएसबीएल, पनवेल	अनुपूरक	164	0.66
14	लक्ष्मी सीबीएल, सोलापुर	अनुपूरक	32	0.03
15	महात्मा फुले यूसीबीएल, पाटोदा	अनुपूरक	23	0.14
16	मंथा यूसीबी, जालना	अनुपूरक	309	1.51
17	नगर यूसीबीएल, अहमदनगर	अनुपूरक	5,384	6.43
18	नवोदय यूसीबीएल, नागपुर	अनुपूरक	55	0.27
19	पंजाब एंड महाराष्ट्र सीबीएल का यूनिटी एसएफबी, मुंबई के साथ विलय	अनुपूरक	142	1.39
20	रूपी सीबीएल, पुणे	अनुपूरक	954	6.00
21	सर्जेरावदादा नार्डक शिराला एसबीएल, सांगली	अनुपूरक	80	0.06
22	न्यू इंडिया सीबीएल का सारस्वत सीबीएल, मुंबई के साथ विलय	मुख्य	-	342.24
23	सेवा विकास सीबीएल, पिंपरी, पुणे	अनुपूरक	1,229	2.57
24	शंकरराव मोहिते पाटील एसबीएल, अकलुज	मुख्य	149	1.29
25	शंकरराव पुजारी नूतन एनएसबीएल	अनुपूरक	130	0.38
26	शिवाजीराव भोसले एसबीएल, पुणे	अनुपूरक	33	0.23
27	श्री महेश एसबीएल, जलगांव	अनुपूरक	29	0.22
जी. कुल (महाराष्ट्र- दावे)			39,896	452.16
उड़ीसा (1 दावा)				
1	यूसीबी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर	अनुपूरक	358	1.66
एच. कुल (उड़ीसा - दावे)			358	1.66
राजस्थान (3 दावे)				
1	भीलवाड़ा एमयूसीबीएल, भीलवाड़ा	अनुपूरक	364	0.44
2	अलवर यूसीबी, अलवर	अनुपूरक	34	0.05
3	सुमेरपुर यूसीबी, पाली	मुख्य	289	1.13
आई. कुल (राजस्थान- दावे)			687	1.62
उत्तर प्रदेश (8)				
1	लखनऊ यूसीबीएल, लखनऊ	अनुपूरक	97	0.60
2	बनारस एमसीबीएल, वाराणसी	मुख्य	6,928	1.73
3	यूनाइटेड इंडिया सीबीएल, नगीना	मुख्य	2,938	0.48
4	पीपल्स सीबीएल, कानपुर	अनुपूरक	17	0.17
5	एचसीबीएल, लखनऊ	मुख्य	92	0.23
6	पूर्वांचल सीबीएल, गाजीपुर	मुख्य	1,241	15.01
7	सीतापुर यूसीबी, सीतापुर	मुख्य	1,798	8.39
8	नेशनल यूसीबी, बहराइच	मुख्य	78	0.97
जे. कुल (उत्तर प्रदेश- दावे)			13,189	27.57
पश्चिम बंगाल (1)				
1	कसुंडिया सीबीएल, हावड़ा	अनुपूरक	228	0.71
के. कुल (पश्चिम बंगाल- दावे)			228	0.71
कुल (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच+आई+जे+के=55 दावे)			60,214	528.28

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

परिशिष्ट सारिणी 6ए: 2025-26 के दौरान निपटाए गए जमा बीमा दावे
[सर्व समावेशी निदेश (एआईडी) के तहत बैंक]

क्रम सं.	बैंक का नाम	मुख्य दावा/ अनुपूरक दावा	जमाकर्ताओं की संख्या	दावा राशि (₹ करोड़)
1	2	3	4	5
	सहकारी बैंक			
	असम (3)			
1	इंडस्ट्रियल सीबीएल, गुवाहाटी	मुख्य	677	16.15
2	इंडस्ट्रियल सीबीएल, गुवाहाटी	अनुपूरक	1,384	25.77
3	दि गौहाटी सीबीएल, गौहाटी	मुख्य	2,190	28.29
ए. कुल (असम दावे)			4,251	70.20
	बिहार (1)			
1	वैशाली एसबीसीबीएल, हाजीपुर			-0.40
बी. कुल (बिहार दावे)				-0.40
	दिल्ली (2)			
1	इनोवेटिव सीबीएल, दिल्ली	मुख्य	85	0.83
2	इनोवेटिव सीबीएल, दिल्ली	अनुपूरक	54	0.64
सी. कुल (दिल्ली दावे)			139	1.47
	गुजरात (2)			
1	कलर एमसीबीएल, अहमदाबाद	अनुपूरक	7	0.08
2	वलसाड महिला एनएसबीएल, वलसाड	मुख्य	1,389	12.76
डी. कुल (गुजरात दावे)			1,396	12.84
	हिमाचल प्रदेश (2)			
1	दि बघाट यूसीबीएल, सोलन	मुख्य	2,627	50.31
2	दि बघाट यूसीबीएल, सोलन	अनुपूरक	8,219	89.40
ई. कुल (हिमाचल प्रदेश- दावे)			10,846	139.71
	कर्नाटक (3)			
1	अमानाथ सीबीएल, बैंगलोर	अनुपूरक	357	5.17
2	श्री महालक्ष्मी यूसीबीएल, गोकक	अनुपूरक	599	1.50
3	लोकपावनी महिला एसबीएल, मंड्या	मुख्य	417	3.89
एफ. कुल (कर्नाटक दावे)			1,373	10.56
	केरल (2)			
1	इरिजालकुडा टाउन सीबीएल, त्रिशूर	मुख्य	15,558	449.04
2	इरिजालकुडा टाउन सीबीएल, त्रिशूर	अनुपूरक	796	13.03
जी. कुल (केरल दावे)			16,354	462.07

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

क्रम सं.	बैंक का नाम	मुख्य दावा/ अनुपूरक दावा	जमाकर्ताओं की संख्या	दावा राशि (₹ करोड़)
1	2	3	4	5
	मध्य प्रदेश (2)			
1	सद्भाव एनएसबीएम, छतरपुर	मुख्य	422	8.28
2	सद्भाव एनएसबीएम, छतरपुर	अनुपूरक	153	1.37
एच. कुल (मध्य प्रदेश दावे)			575	9.65
	महाराष्ट्र (16)			
1	भवानी एसबीएल, मुंबई	मुख्य	1,317	17.14
2	कोणार्क यूसीबीएल, उल्हासनगर	अनुपूरक	142	0.54
3	लोकनेते आर डी अप्पा केएसबीएल, नासिक	मुख्य	136	1.40
4	लोकनेते आर डी अप्पा केएसबीएल, नासिक	अनुपूरक	83	1.13
5	नासिक जिला महिला वीएसबीएल, नासिक	मुख्य	1005	19.12
6	पुसद यूसीबीएल, पुसद	मुख्य	9,203	176.00
7	समर्थ एसबीएल, सोलापुर	मुख्य	35,276	397.33
8	समर्थ यूसीबीएल, उस्मानाबाद	मुख्य	334	6.17
9	समर्थ यूसीबीएल, उस्मानाबाद	अनुपूरक	190	3.79
10	सर्वोदय सीबीएल, मुंबई	अनुपूरक	374	3.44
11	शिरपुर सीबीएल, धुले	अनुपूरक	722	5.61
12	सोनपेठ एनएसबीएम, सोनपेठ	मुख्य	200	2.98
13	यशवंत सीबीएल, फलटण	मुख्य	5,890	98.07
14	यशवंत सीबीएल, फलटण	अनुपूरक	1,179	8.89
15	शंकरराव मोहिते पाटील एसबीएल, अकलुज, महाराष्ट्र			-0.02
16	अजंता यूसीबीएम, औरंगाबाद, महाराष्ट्र			-2.07
आई. कुल (महाराष्ट्र दावे)			56,051	739.51
	उत्तर प्रदेश (4)			
1	एचसीबीएल, लखनऊ	अनुपूरक	538	1.62
2	नेशनल यूसीबीएल, प्रतापगढ़	अनुपूरक	1,127	12.69
3	पीपल्स सीबीएल, कानपुर, उत्तर प्रदेश			-
4	पूर्वांचल सीबीएल, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश			-0.04
जे. कुल (उत्तर प्रदेश दावे)			1,665	14.27
	पंजाब (1)			
1	इंपीरियल सीबीएल, जालंधर, पंजाब			-0.06
के. कुल (पंजाब दावे)				-0.06
कुल (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच+आई+जे+के= 38 दावे)			92,650	1,459.82

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

परिशिष्ट सारिणी 7: आकस्मिक देयता के अंतर्गत किया गया प्रावधान
(31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	विपंजीकरण की तारीख	बैंक का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
क	> 10 वर्ष पुराने		
	-	-	-
	कुल (क)	-	-
ख	> 5 वर्ष और 10 वर्ष पुराने		
	-	-	-
	कुल (ख)	-	-
ग	1 से 5 वर्ष के मध्य के पुराने		
1	24-12-2020	सुभद्रा लोकल एरिया बैंक (यू/एल) [#]	7.75
3	08-06-2022	मुधोल सीबीएल	5.20
5	07-07-2022	श्री आनंद सीबीएल	5.45
	कुल (ग)	(3 बैंक)	18.40
घ	1 वर्ष से कम		
	-	-	-
	कुल (घ)	-	-
कुल योग (क+ख+ग+घ)		(3 बैंक)	18.40

[#]परिसमापक से दावा सूची अभी प्राप्त नहीं हुई है। मामला न्यायाधीन है।

टिप्पणी: उपर्युक्त बैंकों के अलावा, 8 ऐसे बैंक हैं जिनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, तथापि कट-ऑफ तिथि तक जमा वापसी के अभाव में आकस्मिक देयता दर्ज नहीं की गई है।

परिशिष्ट सारिणी 7ए: आकस्मिक देयता के अंतर्गत किया गया प्रावधान –
एआईडी के तहत बैंक (31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	बैंक का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
1	गुजरात राज्य कर्मचारी सीबीएल, अहमदाबाद, गुजरात	15.17
2	कनक पटना एसबीएन, देवनगरे, कर्नाटक	10.68
3	अर्बन सीबीएल, देहरादून, उत्तराखंड	71.73
4	यूपी सिविल सेक्रेटरी पीसीबीएल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	16.96
कुल		114.55

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 8 : निपटाए गए बीमा दावे तथा प्राप्त चुकौतियाँ - परिसमापित / समामेलित / पुनर्निर्मित सभी बैंक

(राशि ₹ हजार में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-स्तंभ 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
I	वाणिज्यिक बैंक					
	i) पूर्ण चुकौती प्राप्त हुई (ए)					
	1 बैंक ऑफ चायना, कोलकाता (1963)			925.00	925.00	-
	2 कोचीन नायर बैंक लि., त्रिचूर (1964)*			704.06	704.06	-
	3 लेती क्रिश्चियन बैंक लि., एर्णाकुलम (1964)*			208.50	208.50	-
	4 श्री जड़ेय शंकरलिंग बैंक लि., बीजापुर (1965)*			11.51	11.51	-
	5 बैंक ऑफ बेहार लि., पटना (1970)*			4,631.66	4,631.66	-
	6 नेशनल बैंक ऑफ लाहौर लि., दिल्ली (1970)*			968.92	968.92	-
	7 बैंक ऑफ कोचीन लिमिटेड, कोचीन (1986)*			1,16,278.09	1,16,278.46	(0.38)
	8 मिराज स्टेट बैंक लि., मिराज (1987)*			14,659.08	14,659.08	-
	9 बैंक ऑफ कराड़ लि., मुंबई (1992)			3,70,000.00	3,70,000.00	-
	कुल 'ए'			5,08,386.80	5,08,387.18	(0.38)
	ii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई और बकाया शेष राशि बट्टे खाते डाल दी गई (बी)					
	10 यूनिटी बैंक लि., चेन्नई (1963)*			253.35	137.79 (115.56)	-
	11 बैंक ऑफ अलगापुरी लि., अलगापुरी (1963)*			27.60	18.07 (9.53)	-
	12 उन्नाव कमर्शियल बैंक लि., उन्नाव (1964)*			108.08	31.32 (76.76)	-
	13 मेट्रोपॉलीटन कोऑपरेटिव बैंक लि., कोलकाता (1964)*			880.08	441.55 (438.53)	-
	14 सदरन बैंक लि., कोलकाता (1964)*			734.28	372.93 (361.35)	-
	15 हबीब बैंक लि., मुंबई (1966)*			1,725.41	1,678.00 (47.40)	-
	16 नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कोलकाता (1966)*			99.26	88.12 (11.13)	-
	17 चावला बैंक लि., देहरादून (1969)*			18.28	14.55 (3.74)	-
	18 लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि., बैंगलोर (1985)*			3,34,062.25	91,358.30 (2,42,703.95)	-
	19 परूर सेंट्रल बैंक लि., नॉर्थ परूर, महाराष्ट्र (1990)*			26,021.36	23,191.65 (2,829.71)	-

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

(राशि ₹ हजार में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-स्तंभ 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
20	यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि., कोलकाता (1990)*			3,50,150.63	32,631.51 (3,17,519.12)	-
21	ट्रेडर्स बैंक लि., दिल्ली (1990)*			30,633.77	27,382.20 (3,251.57)	-
22	पूर्वांचल बैंक लि., गुवाहाटी (1990)*			72,577.39	14,057.91 (58,519.48)	-
	कुल 'बी'			8,17,291.74	1,91,403.91 (6,25,887.83)	-
iii)	आंशिक चुकौती प्राप्त हुई (सी)					
23	हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लि., दिल्ली (1988)*			2,19,167.10	1,05,374.96	1,13,792.14
24	बैंक ऑफ तंजावुर लि., तंजावुर, तमिलनाडु (1990)*			1,07,836.01	1,03,755.98	4,080.04
25	बैंक ऑफ तमिलनाडु लि., तिरुनेलवेली, तमिलनाडु (1990)*			76,449.75	75,897.32	552.43
26	सिक्किम बैंक लि., गैंगटोक (2000)*			1,72,956.25	-	1,72,956.25
27	बनारस स्टेट बैंक लि., उत्तर प्रदेश (2002)*			10,56,442.08	6,22,212.71	4,34,229.37
	कुल 'सी'			16,32,851.19	9,07,240.97	7,25,610.23
	कुल (ए+बी+सी)			29,58,529.73	16,07,032.05 (6,25,887.83)	7,25,609.85
II	कोऑपरेटिव बैंक					
i)	पूर्ण चुकौती प्राप्त हुई (डी)					
1	बॉम्बे कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई (1976)			573.33	573.33	-
2	मालवण कोऑपरेटिव बैंक लि., मालवण (1977)			184.00	184.00	-
3	बॉम्बे पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई (1978)			1,072.00	1,072.00	-
4	रामदुर्ग अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., रामदुर्ग (1981)			218.99	244.99	(26.00)
5	दाधीच सहकारी बैंक लि., मुंबई (1984)			1,837.46	1,837.46	-
6	कुईवाड़ी मर्चेन्ट्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (1986)*			484.89	484.89	-
7	मेट्रोपॉलीटन कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई (1992)			12,500.00	12,500.00	-
8	हिंदूपुर कोऑपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (1996)			121.97	121.97	-
9	बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (1996)			2,413.42	2,413.43	(0.00)
10	धारवाड़ इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (1998)^			915.79	915.79	-
11	त्रिमूर्ति सहकारी बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र (1999)			28,556.47	28,556.47	-

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

(राशि ₹ हजार में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-स्तंभ 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
12	इचलकरंजी कामगार नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2001)	3,160	02-05-2013	5,068.09	5,068.09	-
13	माधवपुरा मर्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2001,2013@)#)			40,15,185.54	40,15,185.54	-
14	श्री लक्ष्मी महिला कोऑपरेटिव अर्बन बैंक, (विपंजीकृत), आंध्र प्रदेश (2002)			7,821.24	7,821.24	-
15	दि वीरावल रत्नाकर कोऑपरेटिव बैंक लि., (विपंजीकृत), गुजरात (2002)			26,553.64	26,553.64	-
16	निज़ामाबाद कोऑपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			11,289.66	11,289.66	-
17	कुरनूल अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			47,432.57	47,432.57	-
18	श्री भाग्यलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)			34,033.48	34,033.48	-
19	अहमदाबाद महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2003)			33,329.35	33,331.32	(1.97)
20	थेनी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., तमिलनाडु (2003)			33,177.94	33,177.94	-
21	अहमदाबाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)			37,343.88	37,343.88	-
22	दि जनता कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2003)			41,281.62	41,281.62	-
23	पीथमपुर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			7,697.97	7,697.97	-
24	पालना सहकारी बैंक लि., गुजरात (2003)			22,952.19	22,952.19	-
25	चारोत्तर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2004)			20,65,143.58	20,65,143.58	-
26	सोलापुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2005)			30,697.47	30,697.47	-
27	वसुंधरा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)			629.80	629.80	-
28	श्री गंगानगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., राजस्थान (2005)^			4,787.55	4,787.55	(0.00)
29	क्लासिक कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			5,725.86	5,725.86	-
30	मातृ नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2005)			30,892.41	30,901.60	(9.20)
31	डायमण्ड जुबिली कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2005)^			6,06,403.31	6,06,403.31	-
32	प्रगति कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			1,30,437.03	1,30,437.03	-
33	उजवर कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			15,706.37	15,706.37	-
34	दरभंगा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि., बिहार (2005)			18,999.84	18,999.84	-
35	पेटलाड नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2005)			24,741.48	24,741.48	-

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

(राशि ₹ हजार में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-स्तंभ 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
36	महाराष्ट्र ब्राह्मण सहकारी बैंक लि., मध्य प्रदेश (2006)		20-06-2006	3,04,703.46	3,04,703.46	-
37	मदुरई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., तमिलनाडु (2006)^		01-08-2006	2,57,956.99	2,57,956.99	-
38	कावेरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक., बैंगलोर, कर्नाटक (2006)		23-10-2006	4,846.70	4,846.70	-
39	बड़ोदा मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		06-11-2006	12,825.48	12,825.48	-
40	धनसुरा पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		18-12-2006	58,798.44	58,811.81	(13.36)
41	प्रुडेंशियल कोऑपरेटिव बैंक लि., सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश (2007)		22-01-2007	7,55,959.06	7,55,959.06	-
42	श्रीराम सहकारी बैंक लि. नासिक, महाराष्ट्र (2007)		24-04-2007	3,23,215.02	3,23,215.02	-
43	यशवंत सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2007)		11-05-2007	5,938.96	5,938.96	-
44	श्री जामनगर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2007)			11,238.00	11,238.00	-
45	आनंद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2008)	3,793	22-01-2008	1,84,558.65	1,84,558.65	-
46	चेतक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2008)^	7,240	17-04-2008	7,442.90	7,442.90	-
47	मराठा कोऑपरेटिव बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (2008)	30,483	01-09-2008	1,85,521.69	1,85,521.69	-
48	इचालकरंजी जीवेश्वर सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2008)	2,602	27-10-2008	24,167.12	24,167.12	-
49	जय लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लि., दिल्ली (2008)	16,467		1,242.00	1,242.00	-
50	श्री बी.जे. खटल जनता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	11,542	09-03-2009	79,008.26	79,008.26	-
51	श्री वर्धमान कोऑपरेटिव बैंक लि., भावनगर, गुजरात (2009)	13,521	02-07-2009	51,821.99	51,821.99	-
52	श्री सिद्धि वेंकटेश सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)^	1,892	24-09-2009	20,818.79	20,818.79	-
53	चालिसगांव पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र (2009)	21,503	03-11-2009	3,00,915.66	3,00,915.66	-
54	दि हलियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2009)	8,684	10-12-2009	43,375.25	43,375.25	-
55	फ़ैज़पुर जनता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	2,803	17-12-2009	33,463.64	33,463.64	-
56	प्रांतिज नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात, (2010)	11,446	09-04-2010	70,182.85	70,182.85	-
57	सिटिज़न कोऑपरेटिव बैंक लि., बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (2010)	27,123		2,32,261.93	2,32,261.93	-
58	कुपवाड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	12,948	24-11-2010	1,14,105.43	1,14,105.43	-

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

(राशि ₹ हजार में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-स्तंभ 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
59	राहूरी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	13,833	09-12-2010	1,67,648.97	1,67,648.97	-
60	श्री चामराजा कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक, (2011)	174	14-03-2011	179.27	179.27	-
61	चोपड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	10,264	10-02-2012	71,269.83	71,269.83	-
62	श्री बालाजी कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)^	927	08-06-2012	9,476.72	9,476.72	-
63	मेमन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)*	85,990		2,37,520.12	2,37,520.12	-
64	भूसावल पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	12,203	23-11-2012	1,01,677.83	1,01,677.83	-
65	कृष्णा वेली कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2013)	1,213	04-02-2013	16,993.25	16,993.25	-
66	अभिनव सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2013)	12,452	16-09-2013	25,343.98	25,343.98	-
67	वीरशैव कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2014)	40,373		7,27,615.26	7,27,615.26	-
68	श्री सिद्धिविनायक नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2014)	20,401	28-10-2014	1,57,616.06	1,57,616.06	-
69	दि कोंकण प्रांत सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2015)*	28,759	12-02-2015	3,01,759.34	3,01,759.34	-
70	वसावी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., तेलंगाना (2015)	42,825	25-05-2015	1,19,188.84	1,19,188.84	-
71	म्युनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद, गुजरात (2015)*	29,343	25-05-2015	1,56,382.66	1,56,382.66	-
72	वैशाली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, राजस्थान (2015)	3,191	12-10-2015	41,382.47	41,382.47	-
73	दि मर्चेन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धुले, महाराष्ट्र (एमएच 121) (2016)	11,822	26-12-2016	55,921.12	55,921.12	-
74	श्री स्वामी समर्थ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2017)	6,592	08-08-2017	21,888.06	21,888.60	(0.54)
75	विठ्ठल नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड लातूर, महाराष्ट्र (2017)	10,912	04-09-2017	39,755.90	39,774.48	(18.59)
76	जामखेड मर्चेन्ट्स सीबीएल, महाराष्ट्र (2020)	6,119	24-08-2018	52,055.23	52,572.52	(517.29)
77	मिर्जापुर यूसीबीएल मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश (2018)*	15,188	23-05-2018	71,639.96	71,639.96	-
78	दि अर्बन सीबीएल, भुवनेश्वर, ओडिशा (2018) *	6,804	15-04-2018	1,68,235.66	1,68,235.66	0.00
	कुल 'डी'			1,29,34,129.02	1,29,34,715.97	(586.94)
ii)	आंशिक चुकौती प्राप्त हुई और बकाया शेष राशि बट्टे खाते डाल दी गई (ई)					
79	घाटकोपर जनता कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई (1977)			276.50	-	-
					(276.50)	
80	आरे मिल्क कॉलोनी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (1978)			60.31	-	-
					(60.31)	

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

(राशि ₹ हजार में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-स्तंभ 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
81	रत्नागिरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., रत्नागिरी, महाराष्ट्र (1978)*			4,642.36	1,256.95 (3,385.41)	-
82	भद्रावती टाउन कोऑपरेटिव बैंक लि., भद्रावती (1994)			26.10	- (26.10)	-
83	सिद्धार्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, जलगांव, महाराष्ट्र (2000)			5,398.65	1,100.00 (4,298.65)	-
84	”सोलापुर जिला महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2000)”			27,494.76	17,600.00 (9,894.76)	-
85	अहिल्यादेवी महिला नागरिक सहकारी, कलमनूरी, महाराष्ट्र (2001)			1,696.09	0.24 (1,695.85)	-
86	लातूर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (विपजीकृत), महाराष्ट्र (2002)			3,048.95	302.00 (2,746.95)	-
87	आरमूर कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			708.44	527.64 (180.80)	-
88	दि नीलगिरी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)			2,114.71	549.18 (1,565.53)	-
89	सेवालाल अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड, मंडरूप, महाराष्ट्र (2008)	678	27-02-2008	666.32	- (666.32)	-
	कुल 'ई'			46,133.20	21,336.01 (24,797.18)	-
iii)	आंशिक चुकौती प्राप्त हुई (एफ)					
90	विश्वकर्मा कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1979)*			1,156.70	604.14	552.56
91	प्रभादेवी जनता सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1979)*			701.51	412.14	289.37
92	कलाविहार कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1979)*			1,317.25	335.53	981.72
93	वैश्य कोऑपरेटिव बैंक लि., बैंगलोर, कर्नाटक (1982)*			9,130.83	1,294.66	7,836.17
94	कोल्लूर पार्वती कोऑपरेटिव बैंक लि., कोल्लूर, आंध्र प्रदेश (1985)			1,395.93	707.86	688.08
95	आदर्श कोऑपरेटिव बैंक लि., मैसूर, कर्नाटक (1985)			274.30	65.50	208.80
96	गडग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1986)			2,285.04	1,341.05	943.99
97	मनिहाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1987)			961.85	948.37	13.48
98	हिन्द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश (1988)			1,095.23	-	1,095.23

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

(राशि ₹ हजार में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-स्तंभ 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
99	येल्लम्मनचिल्ली कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (1990)			436.10	51.62	384.48
100	वसावी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., गुर्जाला, आंध्र प्रदेश (1991)			388.82	48.56	340.26
101	कुंदरा कोऑपरेटिव बैंक लि., केरला (1991)			1,736.62	963.02	773.59
102	मनोली श्री पंचलिंगेश्वर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., कर्नाटक (1991)			1,744.13	1,139.44	604.69
103	सरदार नागरिक सहकारी बैंक लि., बड़ोदा, गुजरात (1991)			7,485.62	1,944.01	5,541.60
104	बेलगाम मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1992)*			3,710.54	273.78	3,436.76
105	भिलोदा नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (1994)			1,983.68	103.04	1,880.64
106	सिटिजेनस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., इंदौर, मध्य प्रदेश (1994)			22,020.57	2,227.77	19,792.80
107	चेतना कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1995)			87,548.52	758.00	86,790.52
108	पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., इचलकरंजी, महाराष्ट्र (1996)			36,545.52	29,279.79	7,265.73
109	स्वस्तिक जनता कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1998)			22,662.97	7,300.00	15,362.97
110	कोल्हापूर जिल्हा जनता सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1998)			80,117.45	-	80,117.45
111	दादर जनता सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1999)			51,803.37	49,313.08	2,490.29
112	विंकार सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1999)			18,067.90	14,148.71	3,919.19
113	आवामी मर्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2000)			46,239.88	5,500.00	40,739.88
114	रविकिरण अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2000)			62,293.89	260.58	62,033.31
115	गुदूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2000)			6,736.99	964.46	5,772.53
116	अन्नाकपाले कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2000)			2,447.07	137.15	2,309.92
117	इंदिरा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2000)			1,57,012.94	59,783.98	97,228.95
118	नांदगांव मर्चेन्ट्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2000)			2,242.01	-	2,242.01
119	दि सामी तालुका नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2000)			2,017.30	-	2,017.30
120	नागरिक सहकारी बैंक लि. सागर, मध्य प्रदेश (2001)			7,013.59	1,000.00	6,013.59

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

(राशि ₹ हजार में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-स्तंभ 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
121	इंदिरा सहकारी बैंक लि, औरंगाबाद, महाराष्ट्र (2001)			21,862.77	465.72	21,397.05
122	नागरिक कोऑपरेटिव कमर्शियल बैंक मर्यादित, बिलासपुर, मध्य प्रदेश (2001)			26,135.83	15,704.50	10,431.33
123	परिषद कोऑपरेटिव बैंक लि, नई दिल्ली (2001)			3,946.61	3,939.70	6.91
124	कृषि कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश (2001)			2,32,429.22	73,116.30	1,59,312.92
125	सहयोग कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2002)			30,168.26	12,765.43	17,402.83
126	जबलपुर नागरिक सहकारी बैंक लि., (विपंजीकृत), मध्य प्रदेश (2002)			19,486.49	15,071.90	4,414.59
127	श्री लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2002)			1,40,667.57	72,046.41	68,621.16
128	मराठा मार्केट पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई , महाराष्ट्र (2002)			37,959.73	0.01	37,959.73
129	फ्रेंड्स कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2002)			48,456.66	147.03	48,309.63
130	भाग्यनगर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. विपंजीकृत, आंध्र प्रदेश (2002)			9,697.12	9363.83	333.30
131	अस्का कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., (विपंजीकृत), उड़ीसा (2002)			7,032.61	3.32	7,029.29
132	श्री वीरावाल विभागीय नागरिक सहकारी बैंक (विपंजीकृत), गुजरात (2002)			25,866.18	8,400.00	17,466.18
133	श्रव्य कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2002)			74,426.82	2,421.29	72,005.53
134	मजूर सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2002)			14,779.44	427.30	14,352.14
135	मीरा भायंदर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (विपंजीकृत), महाराष्ट्र (2003)			22,448.41	4.16	22,444.25
136	श्री लाभ कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई , महाराष्ट्र (2003)			47,507.25	342.72	47,164.53
137	खेड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)			46,368.34	1,028.84	45,339.50
138	जनता सहकारी बैंक मर्यादित., देवास, मध्य प्रदेश (2003)			71,741.71	68,141.14	3,600.57
139	दि मेगासिटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			16,197.58	14,678.15	1,519.43
140	यमुना नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., हरियाणा (2003)			30,046.64	3,099.50	26,947.14
141	प्रजा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			9,254.48	8,614.31	640.17
142	चारमीनार कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)#			14,32,344.30	9,56,695.05	4,75,649.25

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

(राशि ₹ हजार में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-स्तंभ 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
143	राजमपेट कोऑपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			16,345.12	7,910.00	8,435.12
144	आर्यन कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			46,781.03	43,649.54	3,131.50
145	दि फर्स्ट सिटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			12,873.23	11,243.66	1,629.57
146	कलवा बेलापुर सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)			48,880.14	47.91	48,832.23
147	दी मंदसौर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि., मध्य प्रदेश (2003)			1,41,139.81	1,40,798.15	341.65
148	मदर टेरेसा हैदराबाद कोऑपरेटिव अर्बन बैंक ., आंध्र प्रदेश (2003)			57,245.59	9,702.80	47,542.79
149	धन कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			23,855.34	-	23,855.34
150	दी स्टार कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			2,626.79	-	2,626.79
151	मणिकान्त कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			21,677.67	17,300.00	4,377.67
152	भावनगर वेलफेयर कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)			35,508.21	19,726.44	15,781.77
153	नवोदय सहकारी बैंक लि., कर्नाटक (2003)			22,272.99	3,038.47	19,234.52
154	श्री आदिनाथ सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)			42,971.17	40,768.78	2,202.39
155	संतराम कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)			1,15,872.42	27,318.21	88,554.21
156	नायक मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2004)			25,531.20	-	25,531.20
157	जनरल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2004)			7,15,200.69	5,05,756.90	2,09,443.79
158	वेस्टर्न कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2004)			44,086.21	82.94	44,003.27
159	प्रतिभा महिला सहकारी बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र (2004)			34,192.33	28,548.87	5,643.46
160	विसनगर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2004)			38,46,162.46	33,84,919.04	4,61,243.42
161	नरसरावपेट कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2004)			1,794.45	164.60	1,629.85
162	भंजनगर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., उड़ीसा (2004)			9,799.51	-	9,799.51
163	दी साई कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2004)			10,170.18	9,470.18	700.00
164	दी कल्याण कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)			13,509.83	4,423.72	9,086.10
165	ट्रिनिटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)			19,306.12	6,600.08	12,706.04
166	गुलबर्ग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2005)			25,441.21	3,343.11	22,098.10

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

(राशि ₹ हजार में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-स्तंभ 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
167	विजया कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)			12,224.74	11,904.01	320.73
168	श्री सत्यसाई कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)			7,387.17	2,007.17	5,380.00
169	सितारा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (2005)			3,741.01	4.74	3,736.27
170	महालक्ष्मी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (2005)			41,999.65	394.91	41,604.74
171	माँ शारदा महिला नागरी सहकारी बैंक लि., अकोला, महाराष्ट्र (2005)			13,351.57	4,512.55	8,839.02
172	पारतुर पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2005)			15,836.61	519.61	15,317.00
173	सोलापुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र (2005)			1,07,561.91	24,465.92	83,095.99
174	बड़ोदा पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			5,84,048.60	4,55,291.87	1,28,756.73
175	दी कोऑपरेटिव बैंक ऑफ उमरेठ लि., गुजरात (2005)			49,437.88	34,002.75	15,435.13
176	श्री पाटनी कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			86,530.52	84,206.52	2,324.00
177	साबरमति कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			3,18,925.24	2,47,133.24	71,792.00
178	पेटलाड कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			74,035.72	69,870.29	4,165.43
179	नाड़ियाद मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			2,99,340.86	82,849.31	2,16,491.55
180	श्री विकास कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			2,23,150.28	82,682.51	1,40,467.77
181	टेक्सटाइल प्रोसेसर्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			53,755.25	51,542.09	2,213.16
182	सुनाव नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2005)			17,573.42	729.55	16,843.88
183	संस्कारधनी महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., जबलपुर, मध्य प्रदेश (2005)			3,031.51	0.24	3,031.27
184	सिटिजेन कोऑपरेटिव बैंक लि., दमोह, मध्य प्रदेश (2005)			8,501.09	3.72	8,497.37
185	बेल्लमपल्लि कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)			7,503.14	1,022.80	6,480.34
186	श्री विठ्ठल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			80,214.81	21,649.74	58,565.07
187	सूर्यपुर कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			5,79,896.95	55,781.74	5,24,115.21
188	श्री सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			10,898.73	190.09	10,708.63
189	रघुवंशी कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2005)			1,20,659.85	103.13	1,20,556.72
190	औरंगाबाद पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2005)			29,932.80	14,588.49	15,344.31

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

(राशि ₹ हजार में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-स्तंभ 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
191	अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि. तेहरी, उत्तरांचल (2005)			16,479.04	3,414.34	13,064.69
192	श्रीनाथजी कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			40,828.18	14,038.93	26,789.25
193	दी सेंचूरी कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)		08-05-2006	67,739.63	26,933.48	40,806.15
194	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लि., रायगढ़, छत्तीसगढ़ (2006)		15-05-2006	1,81,637.44	27,645.01	1,53,992.43
195	मधेपुरा सुपौल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि., बिहार (2006)		16-05-2006	65,053.51	0.38	65,053.14
196	नवसारी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		16-05-2006	3,01,592.15	2,17,452.62	84,139.53
197	सेठ भगवानदास बी.श्रोफ बलसार पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., वलसाड, गुजरात (2006)		08-06-2006	2,66,452.45	1,82,014.17	84,438.28
198	मित्र मण्डल सहकारी बैंक लि., इन्दौर, मध्य प्रदेश (2006)		20-06-2006	1,45,661.51	1,39,413.27	6,248.24
199	छपरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि., बिहार (2006)		21-07-2006	82,529.98	3.29	82,526.70
200	श्री वीतरग कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)		17-08-2006	92,989.37	1,791.86	91,197.50
201	श्री स्वामीनारायण कोऑपरेटिव बैंक लि., वड़ोदरा, गुजरात (2006)		17-08-2006	4,34,251.94	3,57,993.29	76,258.65
202	जनता कोऑपरेटिव बैंक लि., नाडियाद, गुजरात (2006)		17-08-2006	3,23,292.67	2,43,629.71	79,662.96
203	नटपुर कोऑपरेटिव बैंक लि., नाडियाद, गुजरात (2006)		17-08-2006	5,52,716.70	2,57,866.92	2,94,849.78
204	मेट्रो कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)		17-08-2006	1,20,686.51	6,314.48	1,14,372.03
205	दि रॉयल कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)		31-08-2006	91,577.38	1,216.11	90,361.26
206	जय हिन्द कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2006)		02-08-2006	1,18,895.88	1,08,619.17	10,276.71
207	कर्नाटक कॉन्फेडरेटस सहकारी बैंक नियमित, बैंगलोर, कर्नाटक (2006)		21-09-2006	29,757.64	6,157.56	23,600.09
208	आनंद पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		11-09-2006	3,71,586.77	2,43,086.24	1,28,500.53
209	कोटागिर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., तमिलनाडु (2006)		11-09-2006	25,021.00	12,796.46	12,224.54
210	दी रिलीफ़ मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2006)		16-10-2006	11,614.90	4,767.09	6,847.81
211	दाभोई नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2006)		26-09-2006	1,65,896.38	1,44,183.34	21,713.04
212	समस्त नगर कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2006)		27-12-2006	1,16,051.52	26,444.24	89,607.27

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

(राशि ₹ हजार में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-स्तंभ 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
213	लोक विकास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., जयपुर, राजस्थान (2007)		25-01-2007	6,606.11	1,702.99	4,903.12
214	नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम, मध्य प्रदेश (2007)		12-02-2007	20,393.50	21.68	20,371.83
215	सिंध मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2007)		23-04-2007	1,03,903.73	68,949.78	34,953.95
216	परभणी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2007)		27-04-2007	3,67,807.52	2,29,893.79	1,37,913.73
217	पूर्णा नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, महाराष्ट्र (2007)		09-05-2007	47,576.03	17,844.29	29,731.74
218	दी कनयका परमेश्वरी म्यूच्युली एईडड सीयूबीएल, कुक्कटपल्ली, आंध्र प्रदेश (2007)		21-05-2007	29,749.48	3,086.43	26,663.05
219	महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., खरगोन, मध्य प्रदेश (2007)		25-05-2007	4,305.77	447.10	3,858.67
220	करमसड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., आनंद, गुजरात (2007)		28-05-2007	1,24,758.68	1,18,066.31	6,692.37
221	भारत मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (2007)		06-06-2007	31,232.28	4,165.30	27,066.99
222	लॉर्ड बालाजी कोऑपरेटिव बैंक लि., सांगली, महाराष्ट्र (2007)		13-06-2007	27,287.76	579.65	26,708.11
223	वसुंधरम महिला कोऑपरेटिव बैंक लि., वारंगल, आंध्र प्रदेश (2007)		23-07-2007	2,304.21	5.61	2,298.60
224	बेगूसराय अर्बन डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक लि., बिहार (2007)		24-07-2007	5,937.89	2.88	5,935.01
225	दतिया नागरिक सहकारी बैंक, मध्य प्रदेश (2007)		13-08-2007	1,486.00	0.67	1,485.33
226	आदर्श महिला कोऑपरेटिव बैंक लि., मेहसाणा, गुजरात (2007)		23-08-2007	12,974.81	8,753.71	4,221.10
227	उमरेठ पीपुल्स कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., गुजरात (2007)		04-09-2007	22,078.93	3,562.98	18,515.95
228	सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक लि., वीसनगर, गुजरात (2007)		11-09-2007	1,60,286.13	78,518.98	81,767.15
229	श्री कोऑपरेटिव बैंक लि., इन्दौर, मध्य प्रदेश (2007)		25-09-2007	2,476.52	78.08	2,398.43
230	ओणेक ओबावा महिला कोऑपरेटिव बैंक लि., चित्रदुर्ग, कर्नाटक (2007)		19-10-2007	54,847.11	4,189.25	50,657.86
231	दी विकास कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2007)		27-12-2007	10,262.36	7,842.79	2,419.57
232	राजकोट महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	12,600	05-02-2008	68,218.16	28,525.83	39,692.33
233	नगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., असम (2008)	12,804	03-04-2008	6,130.96	2.24	6,128.72
234	सर्वोदय महिला कोऑपरेटिव बैंक लि., बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (2008)	4,117	09-04-2008	8,391.32	1,413.55	6,977.77

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

(राशि ₹ हजार में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-स्तंभ 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
235	बसावाकल्याण पट्टाना सहकारी बैंक लि., बसागंज, कर्नाटक (2008)	1,787	29-04-2008	2,673.13	182.42	2,490.71
236	इण्डियन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश (2008)	10,418	09-05-2008	38,553.70	330.02	38,223.67
237	तलोद जनता सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	5,718	29-05-2008	24,522.91	2,559.37	21,963.53
238	चल्लाकेरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2008)	5,718	16-06-2008	32,641.34	355.91	32,285.43
239	डाकोर महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	1,865	09-07-2008	6,375.13	3,672.75	2,702.38
240	जिला सहकारी बैंक लि., गोण्डा, उत्तर प्रदेश (2008)	67,098	25-08-2008	4,54,367.84	86,303.65	3,68,064.19
241	श्री जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, राधानपुर, गुजरात (2008)	8,841	01-09-2008	47,517.84	15,770.87	31,746.97
242	परिवर्तन कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2008)	11,350	01-09-2008	1,84,735.21	41,653.68	1,43,081.53
243	इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला नागरिक बैंक लि., रायपुर, छत्तीसगढ़ (2008)	20,793	09-09-2008	1,64,573.59	54,173.51	1,10,400.08
244	कित्तूर रानी चेन्नमा महिला पट्टाना सहकारी बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (2008)	6,499	10-11-2008	22,849.90	10,946.41	11,903.49
245	भरूच नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	12,779	12-11-2008	99,668.73	77,922.95	21,745.78
246	रवि कोऑपरेटिव बैंक लि., कोल्हापुर, महाराष्ट्र (2008)	25,627	04-02-2009	1,69,225.78	38,581.19	1,30,644.59
247	श्री बालासाहेब सतभई मर्चेण्ट्स कोऑपरेटिव बैंक लि., कोपेरगांव, महाराष्ट्र	16,723	22-09-2008	2,68,254.02	2,48,271.09	19,982.93
248	हरुगेरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2009)	5,605	13-01-2009	36,446.49	4,441.56	32,004.93
249	वरद कोऑपरेटिव बैंक लि., हवेरी, करजगी, कर्नाटक (2009)	2,613	28-01-2009	25,242.02	15,433.54	9,808.48
250	अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., सिद्धपुर, कर्नाटक (2009)	19,141	24-02-2009	1,12,933.28	56,563.28	56,370.00
251	श्री कलमेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., होले - अलूर, कर्नाटक (2009)	3,256	23-03-2009	25,288.48	18,367.44	6,921.04
252	दी लक्ष्मेश्वर एसएचवीआर अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक (2009)	8,512	23-03-2009	67,660.45	66,092.12	1,568.33
253	प्रियदर्शिनी महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., लातूर, महाराष्ट्र (2009)	11,129	23-03-2009	65,792.83	38,084.83	27,708.00
254	श्री स्वामी ज्ञानानन्द योगीश्वर महिला कोऑपरेटिव बैंक लि., पुतूर, आंध्र प्रदेश	679	25-03-2009	3,625.81	2,117.24	1,508.57
255	अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., अलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (2009)	3,225	31-03-2009	10,030.16	2,717.31	7,312.85
256	फिरोज़ाबाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., उत्तर प्रदेश (2009)	514	31-03-2009	4,015.07	7.16	4,007.91

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

(राशि ₹ हजार में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-स्तंभ 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
257	सिद्धपुर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2009)	8,512	27-05-2009	37,184.46	2,612.38	34,572.07
258	नूतन सहकारी बैंक लि., बड़ोदा, गुजरात (2009)	21,603	08-06-2009	1,28,916.02	70,276.93	58,639.09
259	भावनगर मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2009)	35,466	24-06-2009	3,74,582.84	3,25,453.72	49,129.12
260	संत जनबाई नागरी सहकारी बैंक लि., गंगाखेड़, महाराष्ट्र (2009)	16,092	26-06-2009	1,01,964.31	35,540.70	66,423.61
261	श्री एस.के.पाटिल कोऑपरेटिव बैंक लि., कुरुंदवाड़, महाराष्ट्र (2009)	9,658	26-06-2009	1,33,059.30	6,988.16	1,26,071.14
262	ध्यानोपासक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2009)	4,746	09-07-2009	16,670.80	8,701.16	7,969.64
263	अचेलपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	4,641	22-07-2009	53,127.98	32,959.23	20,168.75
264	रोहे अष्टमी सहकारी अर्बन बैंक लि., रोहे, महाराष्ट्र (2009)	38,913	14-08-2009	3,70,674.45	74,541.14	2,96,133.31
265	साउथ इंडियन कोऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2009)★	56,817	21-08-2009	3,59,787.81	82713.98921	2,77,073.82
266	अंकलेश्वर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2009)	26,368	25-08-2009	2,38,318.86	2,21,485.48	16,833.38
267	अजीत कोऑपरेटिव बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र (2009)	26,286	22-10-2009	2,92,978.03	1,42,336.14	1,50,641.88
268	हीरेकरूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2009)	16,539	22-10-2009	1,37,345.44	1,32,644.11	4,701.33
269	श्री पी.के.अण्णा पाटिल जनता सहकारी बैंक लि., नांदुरबार, महाराष्ट्र (2009)	67,791	26-10-2009	5,66,073.61	36,015.99	5,30,057.62
270	दीनदयाल नागरिक सहकारी बैंक लि., खण्डवा, मध्य प्रदेश (2009)	15,453	12-11-2009	97,541.55	37,096.16	60,445.39
271	सुवर्णा नागरिक सहकारी बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2009)	3,923	24-11-2009	19,584.61	14,598.15	4,986.46
272	वसंतदादा शेतकारी सहकारी बैंक लि., सांगली, महाराष्ट्र (2009)	1,41,317	25-11-2009	16,72,059.89	15,45,360.12	1,26,699.78
273	मिराज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	32,764	16-09-2009	4,20,307.60	3,99,698.93	20,608.67
274	डेल्टनगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि., झारखंड (2010)	23,933	07-01-2010	93,927.24	102.33	93,824.91
275	इंदिरा सहकारी बैंक लि., धुले, महाराष्ट्र (2010)	14,598	28-01-2010	1,25,438.26	94,084.87	31,353.39
276	दी आकोट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	18,352	03-02-2010	1,44,067.26	1,07,944.96	36,122.30
277	गोरेगांव कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2010)	43,934	19-02-2010	4,36,184.64	1,11,422.59	3,24,762.05
278	अनुभव कोऑपरेटिव बैंक लि., बसावकल्याण, कर्नाटक (2010)	10,590	24-02-2010	8,748.57	16.32	8,732.25

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

(राशि ₹ हजार में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-स्तंभ 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
279	यशवंत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2010)	9,082	19-03-2010	1,16,808.19	56,224.93	60,583.27
280	सुरेन्द्रनगर पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2010)	56,769	13-04-2010	4,87,115.50	2,90,532.12	1,96,583.38
281	बेल्लाट्टी अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक (2010)	56	23-04-2010	58.72	0.74	57.98
282	श्री परोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	5,289	19-05-2010	51,243.07	25,784.83	25,458.24
283	साधना कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	3,386	17-06-2010	15,629.02	7,315.61	8,313.41
284	प्राइमरी टीचर्स कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक, (2010)	3,710	25-06-2010	64,921.83	7,781.14	57,140.69
285	श्री कामदार सहकारी बैंक लि., भावनगर, गुजरात, (2010)	14,263	05-07-2010	54,165.54	174.80872	53,990.73
286	यशवंत सहकारी बैंक लि., मिराज, महाराष्ट्र, (2010)	21,235	11-05-2007	1,15,186.90	1,14,638.37	548.53
287	अर्बन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लि., असम, (2010)	2,400	22-07-2010	4,314.54	10.00	4,304.54
288	अहमदाबाद पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2010)	36,652	09-08-2010	4,48,117.96	3,45,556.71	1,02,561.25
289	सूरत महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात, (2010)	44,393	13-08-2010	2,60,370.86	1,14,147.10	1,46,223.76
290	काटकोल कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक, (2010)	39,912	30-08-2010	1,46,202.60	69,528.47	76,674.13
291	श्री सिननार व्यापारी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	35,219	09-09-2010	4,03,741.10	3,75,359.76	28,381.34
292	नागपुर महिला नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	54,036	15-09-2010	4,76,606.19	3,10,031.48	1,66,574.71
293	राजलक्ष्मी नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	3,424	27-09-2010	25,845.79	20,063.13	5,782.66
294	बहदारपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2010)	4,866	08-10-2010	49,312.44	36,752.04	12,560.40
295	श्री संपीज सिद्धेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, कर्नाटक, (2010)	3,479	15-10-2010	49,352.46	769.25	48,583.21
296	विजयानगरम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2010)	6,980	22-10-2010	71,482.68	63,940.22	7,542.46
297	अवध सहकारी बैंक लि., उत्तर प्रदेश, (2010)	5,289	16-11-2010	23,839.86	4,377.14	19,462.72
298	अन्नासाहेब पाटिल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	6,296	22-11-2010	27,996.78	11,425.28	16,571.50
299	रायबाग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक, (2010)	4,501	27-12-2010	14,769.68	-	14,769.68
300	चंपावती अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2011)	14,811	18-02-2011	1,45,596.66	1,33,805.66	11,791.00
301	श्री महेश सहकारी बैंक मर्यादित, महाराष्ट्र, (2011)	9,237	07-03-2011	86,259.74	69,955.98	16,303.76
302	रजवाड़े मण्डल पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2011)	26,422	11-03-2011	1,33,960.02	1,22,786.45	11,173.57

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

(राशि ₹ हजार में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-स्तंभ 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
303	अन्योन्य कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, 2011	71,262	15-06-2011	5,91,664.24	3,19,188.50	2,72,475.74
304	केमबे हिन्दू मर्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2011)	9,336	29-09-2011	86,764.47	9,683.40	77,081.07
305	रबकावि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2011)	10,462	11-05-2011	67,393.38	51,269.42	16,123.96
306	श्री मौनेश्वर कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2011)	1,640	29-07-2011	2,569.75	17.08	2,552.67
307	दि चडचन श्री संगमेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2011)	6,075	15-07-2011	38,149.77	30,149.77	8,000.00
308	दि परमात्मा एक सेवक नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	54,925	15-12-2011	4,03,178.78	1,91,801.02	2,11,377.76
309	समता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	33,500	17-06-2011	4,22,834.49	50,467.79	3,72,366.70
310	हीना शाहीन नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	9,798	07-10-2011	1,12,964.84	1,186.06	1,11,778.78
311	श्री लक्ष्मी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	2,337	19-07-2011	35,973.20	32,567.23	3,405.97
312	दादासाहेब डॉ. एन.एम.काबरे नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	16,324	12-10-2011	1,99,311.58	60,533.76	1,38,777.82
313	विदर्भ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	11,322	23-05-2011	1,60,023.77	90,771.28	69,252.49
314	इचालकरंजी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	43,822	06-04-2011	5,57,696.70	4,82,870.71	74,825.99
315	सुविधा महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., मध्य प्रदेश (2011)	2,733	03-11-2011	12,287.99	11,775.25	512.74
316	आसनसोल पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., पश्चिम बंगाल (2011)	1,012	23-08-2011	4,158.75	1,155.29	3,003.46
317	श्री ज्योतिबा सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	7,596	17-01-2012	22,002.44	3,545.78	18,456.66
318	रायचूर जिला महिला पाटन सहकारी बैंक लि., कर्नाटक (2012)	6,058	01-02-2012	11,488.33	6,947.39	4,540.94
319	दी सिधपुर नागरी सहकारी बैंक लि., गुजरात (2012)	6,712	27-03-2012	33,560.01	5,440.55	28,119.46
320	सिद्धार्थ सहकारी बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र (2012)	18,516	08-07-2012	2,43,635.93	7,140.89	2,36,495.04
321	बोरियावी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2012)	5,408	20-07-2012	45,494.11	42,836.70	2,657.41
322	नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2012)	3,042	13-09-2012	4,317.79	766.79	3,551.00
323	भण्डारी कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	42,553	26-09-2012	5,48,927.62	5,28,927.62	20,000.00
324	भारत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	5,696	26-09-2012	20,904.79	7,614.16	13,290.63
325	इंदिरा श्रमिक महिला सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	6,958	27-09-2012	32,042.29	32,042.29	-
326	श्री भद्रण मर्केटाइल बैंक लि., गुजरात (2012)	6,599	05-10-2012	45,780.63	43,405.89	2,374.74
327	देंकानल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., उड़ीसा (2012)	14,925	29-10-2012	77,806.72	33,359.16	44,447.56

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

(राशि ₹ हजार में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-स्तंभ 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
328	भीमाशंकर नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	3,437	02-11-2012	4,102.06	1,464.14	2,637.92
329	सोलापुर नागरी औद्योगिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	64,689	23-11-2012	4,59,890.08	4,59,890.08	-
330	वासो कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2012)*	34,672		72,219.38	24,570.26	47,649.12
331	अग्रसेन कोऑपरेटिव बैंक लि. (2013)*	19,631	27-12-2013	52,967.42	7,208.00	45,759.42
332	स्वामी समर्थ सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2014)	11,501	02-01-2014	92,475.42	92,472.06	3.36
333	अर्जुन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2014)	3,530		61,654.61	49,219.27	12,435.34
334	विश्वकर्मा नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, महाराष्ट्र (2014)	6,134		42,156.92	14,924.01	27,232.91
335	सिल्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., असम (2014)	2,707	30-04-2014	6,999.75	-	6,999.75
336	गुजरात इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2014)	1,31,439	30-04-2014	29,42,304.83	29,05,711.13	36,593.70
337	दि श्रीकाकुलम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्रप्रदेश (2014)	7,078	04-08-2014	10,495.79	7,935.53	2,560.26
338	श्री शिवाजी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2016)	14,190	12-02-2016	77,816.31	39,211.72	38,604.59
339	बारानगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता (2016)	19,137	20-05-2016	1,52,079.54	60,015.02	92,064.52
340	तांदूर महिला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेलंगाना (2016)	1,769	15-12-2016	4,308.27	1,581.57	2,726.70
341	धनश्री महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2017)	3,639	29-05-2017	20,783.40	18,450.09	2,333.31
342	राजीव गांधी सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2017)	4,009	09-08-2017	12,879.52	9,711.11	3,168.41
343	महात्मा फुले अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2017)	7,421	12-12-2017	1,10,708.83	12,931.83	97,777.00
344	कसुंदिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (2017)	21,273	03-10-2017	2,53,461.84	1,67,801.58	85,660.26
345	लमका अर्बनको-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मणिपुर (2017)	317	24-10-2017	261.65	0.00	261.65
346	छतरपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, ओडिशा (2017)	2,025	27-10-2017	10,385.18	8,537.44	1,847.74
347	गोलाघाट अर्बन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, असम (2017)	1,075	06-11-2017	4,591.16	877.53	3,713.63
348	पयोनियर अर्बन सीबीएल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (2019)	28,382	05-03-2019	68,559.47	65,227.18	3,332.29
349	यूनाइटेड कमर्शियल को-ऑप बैंक लिमिटेड, कानपुर यूपी (2019)	24,684	26-12-2019	2,47,534.55	1,66,659.06	80,875.49
350	मर्केटाइल यूसीबीएल मेरठ, यूपी (2019)	19,087	16-01-2020	27,434.83	11,956.74	15,478.09
351	अलवर यूसीबीएल, राजस्थान (2020)	4,590	14-02-2020	1,08,862.06	39,268.44	69,593.62
352	महामेधा यूसीबीएल, उत्तर प्रदेश (2020)	33,004	27-03-2020	3,01,398.79	20,865.84	2,80,532.95

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

(राशि ₹ हजार में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-स्तंभ 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
353	भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजस्थान (2020)	13,642	07-07-2020	3,04,436.34	2,40,756.72	63,679.62
354	श्री साईं यूसीबीएल, मुखेड (2020)	449	27-12-2020	9,372.57	1692.52217	7,680.05
355	सी के पी कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2020)	55,293	30-12-2020	33,41,077.16	27,78,734.14	5,62,343.02
356	नवोदय यूसीबीएल, नागपुर (2020)	2,975	06-01-2021	1,93,519.86	17,163.98	1,76,355.88
357	मापुसा यूसीबीएल, गोवा (2021)	67,848	01-02-2021	25,85,157.05	25,47,728.41	37,428.64
358	कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2021)	49,213	07-04-2021	37,35,373.25	14,10,424.65	23,24,948.60
359	शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2021)	3,736	30-09-2021	31,399.78		31,399.78
360	शिवाजीराव भोसले एसबीएल, महाराष्ट्र (2021)	61,150	12-10-2021	29,04,996.34	8,06,737.71	20,98,258.63
361	कर्नाला एनएसबीएल, महाराष्ट्र (2022)	39,457	04-02-2022	38,03,817.50		38,03,817.50
362	मडगाम यूसीबीएल, गोवा (2022)	32,686	11-03-2022	13,91,918.59	13,91,918.58	0.01
363	पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (2022) *	8,68,997	31-03-2022	3,85,62,659.71		3,85,62,659.71
364	लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	3,346	14-05-2024	1,11,216.08	15,899.99	95,316.09
365	यूनाइटेड सीबीएल, बगनान, पश्चिम बंगाल (2025)	632	08-01-2025	14,332.15		14,332.15
366	उरावकोंडा, सीटीबीएल, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश (2025)	1,136	22-04-2025	42,526.94	42,526.94	0.00
367	न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (2025)*	-	13-08-2025	34,22,357.18		34,22,357.18
368	यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नगीना, उत्तर प्रदेश (2026)	2,938	10-10-2025	4,788.24	4,219.24	569.00
369	सीतापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, सीतापुर, उत्तर प्रदेश (2026)	1,798	18-02-2026	83,864.03	83,864.03	0.00
370	नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, बहराइच, उत्तर प्रदेश (2026)	78	24-03-2026	9,684.51	9,684.51	0.00
	कुल 'एफ'			9,62,81,705.69	3,15,92,497.00	6,46,89,208.69
	कुल (डी+ई+एफ)			10,92,61,967.91	4,45,48,548.98	6,46,88,621.75
					(24,797.18)	
	कुल योग (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)			11,22,20,497.64	4,61,55,581.03	6,54,14,231.60
					(6,50,685.01)	

* समामेलन/विलय की योजना।

पुनर्निर्माण की योजना

© बैंक के परिसमापन पर निपटाए गए दावे

& तरल निधि समायोजन के तहत निपटाए गए दावे

^ अन्य क्रियाविधि के तहत निपटाए गए दावे।

टिप्पणी : 1. मूल दावों के निपटान का वर्ष कोष्ठक में दिया गया है।

2. चुकौती के स्तंभ के अंतर्गत कोष्ठक में दिए गए आँकड़े 31 मार्च 2026 तक बट्टे खाते डाली गई राशि हैं।

3. प्राप्त चुकौतियों में दावों के अनुमोदन और स्वीकृत करते समय की तरल निधियों के समायोजन की राशि सम्मिलित है।

4. जमाकर्ताओं के दावों की संख्या 2008 से दी गई है

5. जमाकर्ताओं की संख्या की शुद्धता सौवें स्थान तक सुनिश्चित की गई है।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 8ए: बीमा दावों का निपटारा और प्राप्त चुकौती - सर्व-समावेशी निदेशों (एआईडी) के तहत रखे गए बैंक, 31 मार्च 2026 तक

(राशि ₹ हजार में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	एआईडी लागू करने की तिथि	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा स्वीकृति तिथि	निपटाए गए दावे	जमाकर्ताओं की संख्या	परिसमापन के तहत मुख्य दावा स्वीकृति तिथि	एआईडी बैंक के परिसमापन के बाद निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 6 + स्तंभ 7 - स्तंभ 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)
1	मुधोल सीबीएल, बागलकोट, कर्नाटक \$	08-04-2019	1,155	23-11-2021	1,66,937.15				1,66,937.21	-0.06
2	गढ़ा सीबीएल, गुना, मध्य प्रदेश \$	23-02-2021	643	23-11-2021	1,23,488.73	2,275	10-10-2024	58,624.68	63,984.92	1,18,128.48
3	मंथा यूसीबीएल, जालना, महाराष्ट्र \$	17-11-2020	28,946	25-11-2021	4,48,883.72	1,964	13-06-2023	1,42,890.66	6,682.15	5,85,092.23
4	इंडिपेंडेंस सीबीएल, नासिक, महाराष्ट्र \$	09-02-2021	269	25-11-2021	23,570.22	211	19-09-2025	12,725.97	1,917.02	34,379.18
5	डेक्कन यूसीबीएल, विजयपुर, कर्नाटक \$	19-02-2021	1,759	24-11-2021	1,29,816.98	3	24-03-2026	29.29	1,29,846.26	0.00
6	सीकर यूसीबीएल, सीकर, राजस्थान ^	09-11-2018	1,186	24-11-2021	1,82,361.28				1,45,889.02	36,472.26
7	पीपुल्स सीबीएल, कानपुर, उत्तर प्रदेश \$	11-06-2020	872	26-11-2021	71,998.85	107	27-03-2024	4,159.82	4,221.38	71,937.29
8	श्री आनंद सीबीएल, पुणे, महाराष्ट्र \$	25-06-2019	10,971	25-11-2021	90,568.55				98,960.52	-8,391.97
9	मराठा एसबीएल, मुंबई, महाराष्ट्र &	31-08-2016	8,925	25-11-2021	13,99,208.06				11,20,527.63	2,78,680.43
10	सिटी सीबीएल, मुंबई, महाराष्ट्र \$	17-04-2018	12,563	24-11-2021	23,09,917.07	14,501	04-02-2026	2,70,110.01	25,79,423.25	603.83
11	मिलथ सीबीएल, दावणगरे, कर्नाटक \$	08-05-2019	2,460	26-11-2021	1,08,929.25	317	16-05-2025	7,166.24	30,580.72	85,514.77
12	सर्जनावदादा नाईक शिराला एसबीएल, सांगली, महाराष्ट्र \$	03-02-2021	10,888	25-11-2021	6,81,071.31	1,181	03-04-2023	1,14,231.47	3,84,211.98	4,11,090.80
13	पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटिल सीबीएल, नासिक, महाराष्ट्र ^	19-05-2018	290	25-11-2021	42,799.01				34,239.80	8,559.21
14	कपोल सीबीएल, मुंबई, महाराष्ट्र \$	30-03-2017	21,573	26-11-2021	23,01,186.44	7,362	04-06-2025	1,98,736.44	17,16,826.54	7,83,096.34
15	श्री गुरुदासवेंद्र एसबीएल, बेंगलुरु, कर्नाटक	10-01-2020	22,324	27-11-2021	71,56,982.07				-	71,56,982.07
16	अडूर सीबीएल, पथानामथिट्टा, केरल	09-11-2018	252	26-11-2021	62,934.00				62,934.00	-
17	सेवा विकास सीबीएल, पुणे महाराष्ट्र \$	12-10-2021	13,344	06-01-2022	15,12,751.64	1,784	21-09-2023	1,85,556.36	18,29,620.25	-1,31,312.26
18	बाबाजी दाते महिला एसबीएल, यवतमाल, महाराष्ट्र \$	08-11-2021	18,595	04-02-2022	29,44,731.02	2,884	07-02-2024	1,08,679.28	31,00,282.47	-46,872.18
19	लक्ष्मी सीबीएल, सोलापुर, महाराष्ट्र \$	12-11-2021	20,565	08-02-2022	19,36,111.38	16,291	29-08-2024	44,568.00	13,30,690.82	6,49,988.56
20	मलकापुर यूसीबीएल, बुलढाणा, महाराष्ट्र \$	24-11-2021	24,397	20-02-2022	49,66,878.97				49,66,878.96	0.01
21	नगर यूसीबीएल, अहमदनगर, महाराष्ट्र \$	06-12-2021	17,269	28-02-2022	29,33,268.59	91,633	26-09-2024	9,22,294.83	40,19,598.00	-1,64,034.58
22	रुपी सीबीएल, पुणे, महाराष्ट्र \$	22-02-2013	64,024	24-02-2022	69,98,052.69	2,056	19-01-2024	11,28,683.47	62,56,451.90	18,70,284.26
23	दि इंडियन मर्केटाइल सीबीएल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश \$	28-01-2022	136	26-04-2022	29,049.44				29,049.44	0.00
24	द्वारकादास मंत्री एनएसबीएल, बीड, महाराष्ट्र ^	09-03-2022	2,834	03-06-2022	4,26,037.84				2,55,622.70	1,70,415.14
25	शुश्रूति सौहार्द एसबीएल, बेंगलुरु, कर्नाटक \$	07-04-2022	1,821	01-07-2022	5,36,773.78				-	5,36,773.78
26	शंकर राव पुजारी नूतन एसबीएल, इचलकरंजी, महाराष्ट्र \$	13-05-2022	4,121	08-08-2022	4,16,052.71	2,042	30-12-2024	89,657.12	3,757.29	5,01,952.54
27	हरिहरेश्वर एसबीएल, वाई, सतारा, महाराष्ट्र \$	31-05-2022	4,208	20-08-2022	5,72,373.06	11,756	27-11-2024	26,546.22	29.38	5,98,889.90

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

क्र. सं.	बैंक का नाम	एआईडी लागू करने की तिथि	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा स्वीकृति तिथि	निपटाए गए दावे	जमाकर्ताओं की संख्या	परिसमापन के तहत मुख्य दावा स्वीकृति तिथि	एआईडी बैंक के परिसमापन के बाद निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 6 + स्तंभ 7 - स्तंभ 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)
28	श्री शारदा महिला सीबीएल, तुमकुर, कर्नाटक \$	08-07-2022	679	23-09-2022	1,50,555.47	256	18-02-2026	8,914.88	78,914.88	80,555.47
29	सांगली एसबीएल, सांगली, महाराष्ट्र ^	08-07-2022	4,097	26-09-2022	6,17,881.69				3,70,729.01	2,47,152.68
30	श्री मल्लिकार्जुन पट्टना एसबीएल, मास्की, कर्नाटक \$	18-07-2022	510	13-10-2022	53,812.92				-	53,812.92
31	नासिक जिला गिरना एसबीएल, नासिक, महाराष्ट्र \$	09-09-2015	1,560	11-10-2022	1,69,977.27	2761	21-03-2025	11,900.61	-	1,81,877.88
32	साईबाबा जनता एसबीएल, लातूर, महाराष्ट्र ^	22-07-2022	1,019	18-10-2022	1,88,282.97				1,12,969.78	75,313.19
33	दुर्गा सीबीएल, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश \$	29-07-2022	290	20-10-2022	98,423.21	1,512	26-11-2025	2,52,786.82	3,51,210.02	0.00
34	जयप्रकाश नारायण एनएसबीएल, बसमतनगर, महाराष्ट्र \$	29-07-2022	1,331	20-10-2022	2,38,898.99	502	09-02-2026	22,201.91	66,792.75	1,94,308.15
35	थोडुपुझा अर्बन सीबीएल, इडुक्की, केरल ^	23-08-2022	4,141	18-11-2022	9,39,382.21				5,63,629.32	3,75,752.89
36	सुमेरपुर मर्केटाइल यूसीबीएल, पाली, राजस्थान \$	06-12-2022	3,787	03-03-2023	4,64,586.57	289	20-02-2026	11,296.99	11,296.99	4,64,586.58
37	आदर्श महिला एनएसबीएल, औरंगाबाद, महाराष्ट्र \$	23-02-2023	9,177	19-05-2023	18,63,712.60	1,812	21-05-2025	91,008.62	6,91,645.76	12,63,075.46
38	शिमशा एसबीएल, मांड्या, कर्नाटक \$	24-02-2023	2,563	15-05-2023	1,18,489.50				33,697.90	84,791.60
39	शंकरराव मोहिते पाटील एसबीएल, अकलुज, महाराष्ट्र \$	24-02-2023	2,613	23-05-2023	4,78,881.75	149	05-02-2026	12,897.21	1,05,418.72	3,86,360.24
40	एचसीबीएल सीबीएल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश \$	24-02-2023	4,266	24-05-2023	2,28,660.12	92	27-11-2025	2,326.79	44,821.46	1,86,165.45
41	श्री महालक्ष्मी मर्केटाइल यूसीबीएल, डभोई, गुजरात \$	03-03-2023	1,928	30-05-2023	2,40,723.24	1,560	23-04-2025	1,03,600.01	-	3,44,323.25
42	बनारस मर्केटाइल सीबीएल, वाराणसी, उत्तर प्रदेश \$	03-03-2023	538	30-05-2023	42,464.52	6,928	31-07-2025	17,278.93	5,000.00	54,743.46
43	नेशनल मर्केटाइल सीबीएल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ^	10-03-2023	126	06-06-2023	20,818.67				8,327.47	12,491.20
44	मुसिरी यूसीबीएल, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु \$	02-03-2023	125	30-05-2023	13,441.98				7,500.00	5,941.98
45	पुणे एसबीएल, पुणे, महाराष्ट्र ^	10-03-2023	25	06-06-2023	4,486.71				1,794.69	2,692.02
46	डिफेंस अकाउंट्स सीबीएल, पुणे, महाराष्ट्र ^	10-03-2023	756	08-06-2023	98,504.85				39,942.81	58,562.04
47	इंपीरियल सीबीएल, जालंधर, पंजाब \$	10-03-2023	330	06-06-2023	54,256.76				10,851.35	43,405.41
48	हिरियूर यूसीबीएल, हिरियूर, कर्नाटक \$	10-03-2023	379	06-06-2023	21,815.40	135	30-03-2026	1,751.67	1,751.67	21,815.40
49	फैज मर्केटाइल सीबीएल, नासिक, महाराष्ट्र \$	02-03-2023	1,143	29-05-2023	79,892.73	7,059	09-01-2025	17,205.90	33,915.85	63,182.78
50	राजापुर एसबीएल, मुंबई, महाराष्ट्र &	14-06-2023	1,180	07-09-2023	1,77,800.86				71,090.61	1,06,710.25
51	सावंतवाड़ी यूसीबीएल, सावंतवाड़ी, महाराष्ट्र &	14-06-2023	4,912	07-09-2023	2,56,073.86				1,01,331.95	1,54,741.91
52	वैशाली एसवीसीबीएल, हाजीपुर, बिहार \$	14-06-2023	6,196	07-09-2023	5,83,280.05				-	5,83,280.05
53	नेशनल सीबीएल, बेंगलुरु, कर्नाटक &	24-07-2023	19,355	22-10-2023	57,22,721.07				22,89,088.43	34,33,632.64
54	अजंता यूसीबीएम, औरंगाबाद, महाराष्ट्र \$	29-08-2023	12,003	24-11-2023	27,52,211.38	4,799	30-03-2026	2,47,481.91	5,26,573.57	24,73,119.72
55	पूर्वांचल सीबीएल, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश \$	29-08-2023	944	24-11-2023	1,26,338.73	1,241	28-01-2026	1,50,055.80	-	2,76,394.53

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

क्र. सं.	बैंक का नाम	एआईडी लागू करने की तिथि	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा स्वीकृति तिथि	निपटार गए दावे	जमाकर्ताओं की संख्या	परिसमापन के तहत मुख्य दावा स्वीकृति तिथि	एआईडी बैंक के परिसमापन के बाद निपटार गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 6 + स्तंभ 7 - स्तंभ 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)
56	कलर मर्चेन्ट्स सीबीएल, अहमदाबाद, गुजरात \$	25-09-2023	1,071	20-12-2023	2,17,034.35	452	23-02-2026	10,887.44	1,61,537.68	66,384.11
57	महाभैरव सीबीएल, तेजपुर, असम \$	12-10-2023	2,375	09-01-2024	2,00,260.88	146	09-02-2026	9,477.65	9,477.65	2,00,260.89
58	कारवार यूसीबीएल, कारवार, कर्नाटक \$	12-06-2024	1,588	06-09-2024	3,77,907.66					3,77,907.66
59	नेशनल यूसीबीएल, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश \$	15-04-2024	1,271	11-07-2024	1,51,522.19				4,930.01	1,46,592.18
60	सर्वोदय सीबीएल, मुंबई, महाराष्ट्र	15-04-2024	1,874	10-07-2024	2,67,184.50				50,912.42	2,16,272.08
61	श्री महालक्ष्मी यूसीसीबीएल, गोकक, कर्नाटक	27-09-2024	10,134	20-12-2024	8,82,059.09				1,16,036.81	7,66,022.28
62	दि अमानाथ सीबीएल, बेंगलुरु, कर्नाटक	12-06-2024	729	06-09-2024	1,10,895.31				18,334.62	92,560.69
63	दि कोणार्क यूसीबीएल, उल्हासनगर, महाराष्ट्र	23-04-2024	2,080	18-07-2024	1,31,819.11				2,500.00	1,29,319.11
64	दि शिरपुर एमसीबीएल, धुले, महाराष्ट्र \$	08-04-2024	4,529	04-07-2024	4,89,647.96				86,710.31	4,02,937.65
65	दि यशवंत सीबीएल, फलटण, महाराष्ट्र	29-05-2025	7,069	26-08-2025	10,69,630.37					10,69,630.37
66	इनोवेटिव सीबीएल, दिल्ली	04-07-2025	139	29-09-2025	14,684.76					14,684.76
67	दि इंडस्ट्रियल सीबीएल, गुवाहाटी, असम	04-07-2025	2,061	24-09-2025	4,19,171.57					4,19,171.57
68	दि भवानी एसबीएल, मुंबई, महाराष्ट्र &	04-07-2025	1,317	25-09-2025	1,71,412.55					1,71,412.55
69	इरिजालकुडा टाउन सीबीएल, त्रिशूर, केरल	30-07-2025	16,354	17-10-2025	46,20,716.54					46,20,716.54
70	सोनपेट एनएसबीएम, सोनपेट, महाराष्ट्र	30-07-2025	200	17-10-2025	29,804.65					29,804.65
71	लोकपावनी महिला एसबीएम, मांड्या, कर्नाटक	30-07-2025	417	17-10-2025	38,868.62					38,868.62
72	समर्थ एसबीएल, सोलापुर, महाराष्ट्र	07-10-2025	35,276	01-01-2026	39,73,254.58					39,73,254.58
73	समर्थ यूसीबीएल, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र	07-10-2025	524	01-01-2026	99,576.35					99,576.35
74	सद्भाव एनएसबीएम, छतरपुर, मध्य प्रदेश	07-10-2025	575	01-01-2026	96,564.33					96,564.33
75	दि बघाट यूसीबीएल, सोलन, हिमाचल प्रदेश	08-10-2025	8,188	01-01-2026	13,97,095.46					13,97,095.46
76	दि पुसद यूसीबीएल, पुसद, महाराष्ट्र	07-11-2025	9,203	03-02-2026	17,59,981.40					17,59,981.40
77	नासिक जिला महिला विकास एसबीएल, नासिक, महाराष्ट्र	09-12-2025	1,005	05-03-2026	1,91,152.00					1,91,152.00
78	लोकनेते आरडी (अप्पा) क्षीरसागर एसबीएल, निफाड, नासिक, महाराष्ट्र	16-12-2025	219	12-03-2026	25,297.74					25,297.74
79	दि गौहाटी सीबीएल, गुवाहाटी, असम	17-12-2025	2,190	12-03-2026	2,82,874.50					2,82,874.50
80	दि वलसाड महिला एनएसबीएल, वलसाड, गुजरात	18-12-2025	1,389	12-03-2026	1,27,582.86					1,27,582.86
कुल			4,94,140		7,15,25,109.23	1,86,060.00		42,85,733.00	3,43,17,898.10	4,14,92,944.13

⁵ डीआईसीजीसी (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 18(ए) के तहत दावों के भुगतान के बाद परिसमाप्त बैंक।

⁸ बैंक जिनका दूसरे बैंक में विलय हो गया है।

[^] बैंक पर लगाए गए एआईडी हटा दिए गए हैं।

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

परिशिष्ट सारिणी 8बी: 31 मार्च 2026 तक त्वरित निपटान योजना के तहत निपटाए गए बीमा दावे

(राशि ₹ हजार में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	स्वीकृति तिथि	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 5 - स्तंभ 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	अजमेर अर्बन को-ऑप बैंक लिमिटेड, राजस्थान (2016)	24-10-2016		3,18,602.37	3,18,602.37	0.00
2	राजेश्वर युवक विकास एसबीएल, सतारा, महाराष्ट्र (2018)	12-12-2018		2,946.90	-	2,946.90
3	श्री छत्रपति यूसीबीएल, पुणे, महाराष्ट्र (2018)	14-12-2018		27,601.00	-	27,601.00
4	गोकुल यूसीबीएल आंध्र प्रदेश/तेलंगाना (2019)	25-06-2019		13,579.00	-	13,579.00
5	भोपाल नागरिक एसबीएल, मध्य प्रदेश (2019)	25-06-2019		84,394.67	-	84,394.67
6	ब्रह्मावर्त कमर्शियल सीबीएल, उत्तर प्रदेश (2021)	05-10-2021	26,425	2,51,000.00	-	2,51,000.00
7	गाजियाबाद यूसीबीएल, उत्तर प्रदेश (2021)	01-02-2021		1,16,856.00	-	1,16,856.00
8	हरदोई यूसीबीएल, उत्तर प्रदेश (2021)	31-03-2021	11,918	42,022.68	-	42,022.68
9	वसंतदादा एनएसबीएल उस्मानाबाद, महाराष्ट्र (2021)	06-05-2021		3,28,300.00	-	3,28,300.00
10	भाग्योदय फ्रेंड्स यूसीबीएल, अमरावती, महाराष्ट्र (2021)	25-08-2021		80,463.93	-	80,463.93
11	डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर यूसीबीएल, लातूर, महाराष्ट्र (2021)	16-12-2021		16,885.96	-	16,885.96
कुल				12,82,652.51	3,18,602.37	9,64,050.14

5.

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

लेखापरीक्षक की स्वतंत्र रिपोर्ट

सेवा में,

निदेशक मंडल

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

1. अभिमत

हमने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम ("निगम") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2026 को निक्षेप बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि के तुलन पत्र तथा निगम की उक्त तीनों निधियों की उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व लेखे और नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं अन्य स्पष्टीकरण सूचना शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) अधिनियम, 2021 ("अधिनियम") द्वारा यथासंशोधित, द्वारा अपेक्षित जानकारी को आवश्यक तरीके से प्रदान करते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों और भारत में आम तौर पर स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च 2026 तक निगम की तीनों निधियों के मामलों और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके अधिशेष और उनके नकदी प्रवाह के संबंध में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

2. अभिमत का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व भाग में उन मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्वों का वर्णन किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता और साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार हम निगम से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

3. मामले का प्रभाव:

क. हम वित्तीय विवरणों के नोट सं. 7 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें निगम ने वर्ष के दौरान प्राप्त 9.08 करोड़ रुपये के सेवा कर रिफंड को अपनी आय के रूप में माना है। उक्त रिफंड अक्टूबर 2011 से मार्च 2015 की अवधि के लिए भुगतान किए गए सेवा कर से संबंधित है, जिसे संबंधित पिछले वर्षों में राजस्व खाते में डाला गया था। इस रिफंड को सेवा कर विभाग से प्राप्त रिफंड आदेश के आधार पर वर्ष के दौरान मान्यता दी गई है और इसे सामान्य निधि के राजस्व खाते में "विविध प्राप्तियों" के अंतर्गत हिसाब में लिया गया है।

ख. हम वित्तीय विवरणों की नोट सं. 8 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो विलय या विपंजीकृत किए गए बैंकों से संबंधित, वर्ष के दौरान 68.72 लाख रुपये के कुछ पुराने असमायोजित शेषों के बट्टे खाते डालने/प्रतिलेखन के संबंध में है। इसे निगम की स्वीकृत नीति के अनुसार हिसाब में लिया गया है और सामान्य निधि के राजस्व खाते में "विविध प्राप्तियों" के अंतर्गत माना गया है।



4. वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

अन्य सूचनाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व निगम के प्रबंधन और निदेशक मंडल का होता है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट में दी गई निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट शामिल है, परंतु इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी शामिल नहीं होती है और हम किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, यह देखना है कि अन्य जानकारियाँ वास्तव में वित्तीय विवरणों के या लेखा परीक्षा में हमें प्राप्त जानकारी के अनुरूप हैं या नहीं या वे वास्तव में गलत बयानी प्रतीत होती हैं। यदि, इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी के आधार पर हमने जो काम किया है, उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह अन्य जानकारी वास्तविक रूप से गलत बयानी है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

5. प्रबंधन तथा वित्तीय विवरणों के नियमन हेतु प्रभारियों के दायित्व

निगम का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम में उल्लिखित जानकारी के लिए उत्तरदायी है जोकि भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाह का सत्य और न्यायसंगत स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। इन जिम्मेदारियों में, निगम की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड रखना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उसका कार्यान्वयन करना; उचित एवं न्याय संगत निर्णय लेना और अनुमान लगाना; धोखाधड़ी अथवा त्रुटिवश होने वाली गलत बयानी से मुक्त वित्तीय विवरणों, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, जोकि लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यरत हैं, उनकी संरचना, कार्यान्वयन और रखरखाव, शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व, निगम की कार्यशील संस्था के रूप बने रहने की क्षमता का आकलन करना, कार्यशील संस्था से संबंधित मामलों का, जैसा भी लागू हो, प्रकटीकरण करना और लेखांकन के लिए तब तक कार्यशील संस्था आधार का प्रयोग करना है जब तक कि या तो प्रबंधन निगम के परिसमापन करने का या उसका परिचालन रोकने का निश्चय न कर ले या फिर इसके अलावा उसके पास यह करने के अतिरिक्त और कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निगम की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की देखरेख निदेशक मंडल का दायित्व है।

6. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण वास्तविक रूप से गलत बयानी से मुक्त हैं, फिर चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा मौजूद गलत बयानी का हमेशा पता लगा ले। गलत बयानी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और यह तब वास्तविक मानी जाती है यदि, इनसे एकल रूप से या सकल रूप से, वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान हम पेशेवर संशयात्मकता को बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त:

- हम वित्तीय विवरणों की वास्तविक गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों को पहचानते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, हम उन जोखिमों के प्रति अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की संरचना और उनको निष्पादित भी करते हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली वास्तविक गलत बयानी के पता न लगने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक बढ़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, मिथ्या निरूपण, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकते हैं।



लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

- जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हों ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की संरचना के लिए हम लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर भी अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है या नहीं।
- हम उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और निगम द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं।
- निगम द्वारा लेखांकन के लिए कार्यशील संस्था आधार के प्रयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि क्या उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई ऐसी वास्तविक अनिश्चितता है जो निगम की कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संशय उत्पन्न करती हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यह कि हमारा अभिमत संशोधित करने के लिए इस तरह का प्रकटीकरण अपर्याप्त है। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या परिस्थितियां निगम को कार्यशील संस्था बने रहने से रोक सकती हैं।
- हम वित्तीय विवरणों के प्रकटीकरण सहित समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का और यह कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार दर्शाते हैं कि प्रस्तुति निष्पक्ष हो, इसका मूल्यांकन करते हैं।

नियमन के प्रभारियों को हम, अन्य मामलों के साथ, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध व्यापकता और समयावधि के बारे में और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष की सूचना देते हैं।

नियमन के प्रभारियों को हम यह विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में और उन सभी संबंधों और अन्य ऐसे मामलों, जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले हैं और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय के बारे में बताने के लिए, प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

7. हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- क. मांगी गयी सारी जानकारी और स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुए हैं, जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक हैं।
- ख. हमारे विचार से हमारे द्वारा की गई निगम की लेखा बहियों की जांच से यह प्रकट होता है कि निगम द्वारा लेखा बहियाँ विधि की अपेक्षानुसार उपयुक्त रूप से अनुरक्षित की गई हैं।
- ग. रिपोर्ट में उल्लिखित तीनों निधियों के तुलन पत्र, राजस्व लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण, वित्तीय विवरण के उद्देश्य से अनुरक्षित लेखा बहियों के अनुरूप हैं।
- घ. हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का, जहां कहीं भी लागू हो, अनुपालन करता है।

कृते जैन चौधरी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआर नं.: 113267W

सिद्धार्थ जैन

सिद्धार्थ जैन

भागीदार

एम. नं. 104709

यूडीआईएन : 24104709 KEDJP9981

स्थान: मुंबई

दिनांक: 26.05.2026



6.

तुलन-पत्र और लेखे

निक्षेप बीमा और
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी
(विनियम 18 -

31 मार्च 2026 को कारोबार की समाप्ति

I. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ)

पिछला वर्ष		देयताएं	चालू वर्ष	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि
राशि	राशि		राशि	राशि
17,56,672.00	0.00	1. निधि : (वर्ष के अंत में शेष)	18,03,708.00	0.00
1,81,86,556.10	64,969.30	2. राजस्व खाते के अनुसार अधिशेष:	2,11,36,597.14	68,955.43
29,50,041.04	3,986.14	वर्ष के प्रारंभ में शेष	32,42,032.26	3,954.92
2,11,36,597.14	68,955.44	जोड़ें: राजस्व खाते से अंतरित	2,43,78,629.40	72,910.35
		वर्ष के अंत में शेष		
		3. (क) निवेश रिज़र्व		
0.00	0.00	वर्ष के प्रारंभ में शेष	0.00	0.00
0.00	0.00	जोड़ें: राजस्व खाते से अंतरित	3,62,882.12	0.00
0.00	0.00	वर्ष के अंत में शेष	3,62,882.12	0.00
		(ख) निवेश उच्चावचन रिज़र्व		
8,08,215.44	3,462.16	वर्ष के प्रारंभ में शेष	9,51,195.40	3,462.16
1,42,979.96	0.00	राजस्व खाते से अंतरित	89,210.54	0.00
9,51,195.40	3,462.16	वर्ष के अंत में शेष	10,40,405.94	3,462.16
66,398.99	0.00	4. सूचित और स्वीकृत परंतु अदा न किए गए दावे	99,715.01	0.00
1,21,160.42	0.00	5. सूचित परंतु स्वीकार न किए गए दावों से संबंधित अनुमानित देयताएं	0.00	0.00
0.00	0.00	6. भारतीय रिज़र्व बैंक से अग्रिम (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 26)	0.00	0.00
0.00	0.00	7. निक्षेप बीमा निधि/ऋण गारंटी निधि से अग्रिम (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 25ए)	0.00	0.00
0.00	0.00	8. निक्षेप बीमा निधि/ऋण गारंटी निधि से अग्रिम (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 27)	0.00	0.00
4,544.32	0.00	9. दावा न की गई बीमित जमाराशियां	5,733.37	0.00
0.00	0.00	10. विपंजीकृत बैंकों (जिन बैंकों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है) से संबंधित बीमित जमाराशियां	0.00	0.00
121.30	0.00	11. अन्य देयताएं		
10,39,458.09	1,353.05	(i) फुटकर लेनदार	7.71	0.00
92,444.90	0.00	(ii) आयकर के लिए प्रावधान	12,11,486.95	1,478.85
0.00	0.00	(iii) देय रिवर्स रेपो खाते के अंतर्गत वितरण योग्य प्रतिभूतियां	1,25,663.73	0.00
0.03	0.00	(iv) बैंकों को वापसी योग्य राशि	0.00	0.00
0.00	0.00	(v) भुगतान योग्य सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी	804.08	0.00
	0.00	(vi) जीएफ से देय/प्राप्ति योग्य अंतर-निधि	0.00	0.00
11,32,024.32	1,353.05		13,37,962.47	1,478.85
2,51,68,592.59	73,770.65	कुल	2,90,29,036.31	77,851.36

कृते जैन चौधरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण सं. एफआरएन. 113267डब्ल्यू

सीए सिद्धार्थ जैन
प्रबंधन भागीदार (एम सं. 104709)
मुंबई
26 मई 2026
UDIN :



26104709JZZUHQNG110

स्वामीनाथन जे
अध्यक्ष

डॉ. तरुण अग्रवाल
निदेशक

नीरज निगम
कार्यपालक निदेशक

प्रो. पार्थ रे
निदेशक

अनूप कुमार
मुख्य महाप्रबंधक

डॉ. अभिजीत फुकन
निदेशक

डॉ. मंगेश यादवराव सोरते
महाप्रबंधक

तुलन पत्र और लेखे

प्रत्यय गारंटी निगम

निगम अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित)

फॉर्म 'क')

की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

और ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)

पिछला वर्ष		आस्तियां	चालू वर्ष	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि
राशि	राशि		राशि	राशि
706.05	0.13	1. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशि	2,657.92	16.63
0.00	0.00	2. मार्गस्थ नकदी	0.00	0.00
0.00	0.00	3. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)	0.00	0.00
2,35,06,287.93	71,580.07	ट्रेजरी बिल	2,69,81,164.30	75,331.12
0.00	0.00	दिनांकित प्रतिभूतियां	107.52	0.00
		सीसीआईएल के पास जमा की गई दिनांकित प्रतिभूतियां		
2,35,06,287.93	71,580.07	अंकित मूल्य	2,69,81,271.82	75,331.12
2,30,89,532.79	70,535.08	बाज़ार मूल्य	2,65,36,285.10	74,081.38
2,41,85,858.04	74,026.01		2,66,18,389.70	75,377.98
4,25,061.53	1,010.16	4. निवेश पर उपचित ब्याज	4,89,621.05	1,329.06
0.00	0.00	5. निक्षेप बीमा निधि/ऋण गारंटी निधि के लिए अग्रिम (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 25 ए)	0.00	0.00
0.00	0.00	6. निक्षेप बीमा निधि/ऋण गारंटी निधि के लिए अग्रिम (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 27)	0.00	0.00
0.00	0.00	7. अन्य आस्तियां		
10,49,506.43	1,180.29	(i) फुटकर देनदार	0.00	0.00
		(ii) अग्रिम आयकर	12,10,845.53	1,174.55
92,520.29	0.00	(iii) रिवर्स रेपो आस्तियां/प्राप्य रिवर्स रेपो ब्याज	1,25,716.42	0.00
92,444.90	0.00	(iv) रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियां	1,25,663.72	0.00
135.79	0.00	(v) प्राप्य सेवा कर/सीजीएसटी/एसजीएसटी/आईजीएसटी	0.01	0.00
1,929.67	0.00	(vi) चुकाया गया विवादित सेवा कर (विरोध के अधीन)	1,929.67	0.00
0.00	0.00	(vii) आस्थगित कर आस्तियां	91,330.17	0.00
12,36,537.08	1,180.29		15,55,485.52	1,174.55
2,51,68,592.59	73,770.65	कुल	2,90,29,036.31	77,851.36

कृते जैन चौधरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण सं. एफआरएन. 113267डब्ल्यू

सीए सिद्धार्थ जैन
प्रबंधन भागीदार (एम सं. 104709)
मुंबई
26 मई 2026
UDIN :



2610470JZZUHQNG110

स्वामीनाथन जे
अध्यक्ष

डॉ. तरुण अग्रवाल
निदेशक

नीरज निगम
कार्यपालक निदेशक

प्रो. पार्थ रे
निदेशक

अनूप कुमार
मुख्य महाप्रबंधक

डॉ. अभिजीत फुकरे
निदेशक

डॉ. मंगेश यादवराव सोरते
महाप्रबंधक

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

निक्षेप बीमा और
(फॉर्म
31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष
I. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ)

पिछला वर्ष		व्यय	चालू वर्ष	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि
राशि	राशि		राशि	राशि
45,653.27	0.00	1. दावे:	1,76,239.79	0.00
32,289.76	0.00	(क) वर्ष के दौरान प्रदत्त	55,887.36	0.00
1,21,160.42	0.00	(ख) स्वीकृत परंतु अदा न किए गए		
0.00	0.00	(ग) सूचित परंतु स्वीकार न किए गए दावों से संबंधित अनुमानित देयताएं	0.00	0.00
0.00	0.00	वर्ष के अंत में	1,21,160.42	0.00
0.00	0.00	घटाएं: पिछले वर्ष के अंत में		
0.00	0.00	(घ) विपंजीकृत बैंकों के संबंध में बीमित जमाराशियां	0.00	0.00
0.00	0.00	वर्ष के अंत में	0.00	0.00
0.00	0.00	घटाएं: पिछले वर्ष के अंत में	0.00	0.00
(313.65)	0.00	(ड) घटाएं: पता न लगाए जाने योग्य जमाकर्ताओं के संबंध में प्रावधान का प्रतिलेखन		0.00
1,98,789.80	0.00	निवल दावे	1,10,966.73	0.00
0.00	0.00	2. निवेश रिज़र्व में क्रेडिट किए गए निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान	3,62,882.12	0.00
0.00	0.00	3. भारतीय रिज़र्व बैंक से अग्रिम पर ब्याज (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 26)	0.00	0.00
0.00	0.00	4. निक्षेप बीमा निधि/ऋण गारंटी निधि से अग्रिम पर ब्याज (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 25ए)	0.00	0.00
0.00	0.00	5. निक्षेप बीमा निधि/ऋण गारंटी निधि से अग्रिम पर ब्याज (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 27)	0.00	0.00
17,56,672.00	0.00	6. अवधि के अंत में निधि शेष (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)	18,03,708.00	0.00
41,30,183.52	5,339.19	नीचे लाया गया निवल अधिशेष	44,51,399.58	5,433.77
60,85,645.32	5,339.19	कुल	67,28,956.43	5,433.77
10,39,458.09	1,353.05	कराधान के लिए प्रावधान		
(2,295.57)	0.00	चालू वर्ष	12,11,486.95	1,478.85
0.00	0.00	पिछले वर्ष - कम (अधिक)	0.00	0.00
1,42,979.96	0.00	आस्थगित कर	(91,330.17)	0.00
29,50,041.04	3,986.14	निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आईएफआर)	89,210.54	0.00
41,30,183.52	5,339.19	तुलन पत्र में ले जाया गया शेष	32,42,032.26	3,954.92
			44,51,399.58	5,433.77

कृते जैन चौधरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण सं. एफआरएन. 113267डब्ल्यू

सीए सिद्धार्थ जैन
प्रबंधन भागीदार (एम सं. 104709)
मुंबई
26 मई 2026
UDIN :



26104709ZZUHQNG110

स्वामीनाथन जे
अध्यक्ष

डॉ. तरुण अग्रवाल
निदेशक

नीरज निगम
कार्यपालक निदेशक

प्रो. पार्थ रे
निदेशक

अनूप कुमार
मुख्य महाप्रबंधक

डॉ. अभिजीत फुकन
निदेशक

डॉ. मंगेश यादवराव सोरते
महाप्रबंधक

तुलन पत्र और लेखे

प्रत्यय गारंटी निगम
'ख')
के लिए राजस्व खाता
और ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)

पिछला वर्ष		आय	चालू वर्ष	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि
राशि	राशि		राशि	राशि
16,88,742.00	0.00	1. वर्ष के प्रारंभ में निधि शेष के द्वारा	17,56,672.00	0.00
26,76,355.63	0.00	2. निक्षेप बीमा प्रीमियम द्वारा (अतिदेय प्रीमियम पर ब्याज सहित)	29,94,669.48	0.00
1,30,908.36	0.00	3. भुगतान (निपटान) किए गए निक्षेप बीमा दावों / भुगतान किए गए गारंटी दावों के संबंध में वसूली द्वारा	1,10,905.90	0.00
15,80,193.31	5,339.19	4. निवेशों से आय द्वारा	18,35,813.20	5,569.61
(11,602.62)	0.00	(क) निवेशों पर ब्याज	17,243.37	(135.84)
12,848.65	0.00	(ख) प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन पर लाभ (हानि) (निवल)	13,652.48	0.00
15,81,439.34	5,339.19	ग) रिवर्स रेपो ब्याज आय खाता द्वारा	18,66,709.05	5,433.77
0.00	0.00	5. अन्य आय	0.00	0.00
8,199.99	0.00	(क) प्रतिलेखित निवेश के मूल्य में मूल्यहास के प्रावधान द्वारा	0.00	0.00
		(ख) कर वापसी पर प्राप्त ब्याज		
60,85,645.32	5,339.19	कुल	67,28,956.43	5,433.77
41,30,183.52	5,339.19	नीचे लाया गया निवल अधिशेष	44,51,399.58	5,433.77
41,30,183.52	5,339.19		44,51,399.58	5,433.77

कृते जैन चौधरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण सं. एफआरएन. 113267डब्ल्यू

सीए सिद्धार्थ जैन
प्रबंधन भागीदार (एम सं. 104709)
मुंबई
26 मई 2026
UDIN :



26104709ZZUHGNG10

स्वामीनाथन जे
अध्यक्ष

डॉ. तरुण अग्रवाल
निदेशक

नीरज निगम
कार्यपालक निदेशक

प्रो. पार्थ रे
निदेशक

अनूप कुमार
मुख्य महाप्रबंधक

डॉ. अभिजीत फुकन
निदेशक

डॉ. मंगेश यादवराव सोरते
महाप्रबंधक

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

निक्षेप बीमा और

(विनियम 18 -

31 मार्च 2026 को कारोबार की समाप्ति

II. सामान्य

(₹ लाख में)

पिछला वर्ष	देयताएं	चालू वर्ष
राशि		राशि
5,000.00	1. पूंजी: डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रावधानीकृत (भारिबैं की संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी)	5,000.00
72,798.77	2. रिज़र्व क) सामान्य रिज़र्व वर्ष के प्रारंभ में शेष	72,747.95
(50.82)	जोड़ें: राजस्व खाते से अंतरित अधिशेष/(घाटा)	1,648.23
72,747.95		74,396.18
39.19	ख) निवेश रिज़र्व वर्ष के प्रारंभ में शेष	0.00
(39.19)	जोड़ें: वर्ष के दौरान प्रदान की गई राशि	0.00
0.00		0.00
4,030.06	ग) निवेश उच्चावचन रिज़र्व वर्ष के प्रारंभ में शेष	4,030.06
0.00	राजस्व अधिशेष से अंतरित	0.00
4,030.06		4,030.06
1,109.18	3. चालू देयताएं और प्रावधान बकाया व्यय	362.37
62.27	फुटकर लेनदार	228.74
8.07	आयकर के लिए प्रावधान	627.11
22.51	आस्थगित कर	35.95
2.17	भुगतान योग्य सीजीएसटी और एसजीएसटी	5.31
1,204.20		1,259.48
82,982.21	कुल	84,685.72

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन चौधरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण सं. एफआरएन. 113267डब्ल्यू

सीए सिद्धार्थ जैन
प्रबंधन भागीदार (एम सं. 104709)
मुंबई
26 मई 2026

UDIN :



स्वामीनाथन जे
अध्यक्ष

डॉ. तरुण अग्रवाल
निदेशक

नीरज निगम
कार्यपालक निदेशक

प्रो. पार्थ रे
निदेशक

अनूप कुमार
मुख्य महाप्रबंधक

डॉ. अभिजीत फुकन
निदेशक

डॉ. मंगेश यादवराव सोरते
महाप्रबंधक

तुलन पत्र और लेखे

प्रत्यय गारंटी निगम
फॉर्म 'क'
की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
निधि (जीएफ)

(₹ लाख में)

पिछला वर्ष राशि	आस्तियां	चालू वर्ष राशि
	1. नकद	
0.00	(i) हाथ में	0.00
15.41	(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास	100.00
15.41		100.00
	2. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)	
0.00	ट्रेजरी बिल	0.00
60,098.32	दिनांकित प्रतिभूतियाँ	60,896.18
18,179.04	सीसीआईएल के पास जमा दिनांकित प्रतिभूतियाँ (अंकित मूल्य ₹18,900)	18,340.32
78,277.36		79,236.50
79,235.51	अंकित मूल्य	78,019.40
80,280.93	बाज़ार मूल्य	80,154.16
2,169.61	3. निवेशों पर उपचित ब्याज	1,959.61
	4. अन्य आस्तियां	
0.00	पूँजीकृत सॉफ्टवेयर आस्ति	473.57
36.53	फर्नीचर, फिक्सचर और उपस्कर (मूल्यहास काटकर)	28.08
0.00	लेखन सामग्री का स्टॉक	0.00
0.00	स्टाफ अग्रिम	1.79
2,035.00	सीसीआईएल के पास सीमांत जमा	2,065.00
313.28	अग्रिम आयकर / टीडीएस	479.92
110.99	प्राप्य सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी	266.50
7.48	फुटकर देनदार	0.01
16.55	परियोजना लागत	30.96
0.00	पूर्वदत्त व्यय	43.78
2,519.83		3,389.61
82,982.21	कुल	84,685.72

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन चौधरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण सं. एफआरएन. 113267डब्ल्यू

सीए सिद्धार्थ जैन
प्रबंधन भागीदार (एम सं. 104709)
मुंबई
26 मई 2026
UDIN :



26104709ZZUHQNG110

स्वामीनाथन जे
अध्यक्ष

डॉ. तरुण अग्रवाल
निदेशक

नीरज निगम
कार्यपालक निदेशक

प्रो. पार्थ रे
निदेशक

अनूप कुमार
मुख्य महाप्रबंधक

डॉ. अभिजीत फुकन
निदेशक

डॉ. मंगेश यादवराव सोरते
महाप्रबंधक

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

निक्षेप बीमा और
(फॉर्म
31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष
II. सामान्य

(₹ लाख में)

पिछला वर्ष राशि	व्यय	चालू वर्ष राशि
2,433.09	स्टाफ को भुगतान / प्रतिपूर्ति की लागत	2,727.62
1.50	निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क	6.36
0.00	निदेशकों/समिति के सदस्यों का यात्रा और अन्य व्यय	0.00
366.50	किराया, कर, बीमा, बिजली की व्यवस्था आदि	404.67
725.74	स्थापना, यात्रा और विराम भत्ते	718.89
44.60	मुद्रण, लेखन सामग्री और कंप्यूटर उपभोग्य सामग्री	32.62
136.65	डाक, तार और टेलीफोन	221.98
54.05	लेखापरीक्षकों का शुल्क	41.55
65.30	विधि प्रभार	110.50
3.00	विज्ञापन	5.07
0.00	निवेश रिज़र्व में जमा निवेशों के मूल्य पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	0.00
	विविध व्यय	
24.55	व्यावसायिक प्रभार	25.05
1,087.35	सेवा सविदा / अनुरक्षण	351.00
25.41	पुस्तकें, समाचार पत्र, आवधिक पत्रिकाएँ	26.77
0.00	पुस्तक अनुदान	0.00
0.26	कार्यालय परिसंपत्ति-जड़ वस्तु की मरम्मत	0.34
134.78	लेनदेन प्रभार-सीसीआईएल	186.12
369.92	अन्य	113.91
1,642.27		703.19
26.64	मूल्यहास	25.26
13.34	आईएसएस पर मूल्यहास	54.43
0.00	वर्ष के लिए व्यय की तुलना से अधिक आय के शेष को नीचे लाया गया	2,283.01
5,512.68	कुल	7,335.15
32.07	आय की तुलना से अधिक व्यय को नीचे लाया गया	0.00
	आयकर के लिए प्रावधान	
0.00	चालू वर्ष	621.34
0.00	पिछले वर्ष - कम (अधिक)	0.00
18.75	आस्थगित कर	13.44
0.00	निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आईएफआर)	0.00
	सामान्य रिज़र्व खाता	1,648.23
50.82	कुल	2,283.01

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

* महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और खातों पर नोट वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

कृते जैन चौधरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण सं. एफआरएन. 113267डब्ल्यू

सीए सिद्धार्थ जैन
प्रबंधन भागीदार (एम सं. 104709)
मुंबई
26 मई 2026
UDIN :



26104709ZZUHGNG110

स्वामीनाथन जे
अध्यक्ष

डॉ. तरुण अग्रवाल
निदेशक

नीरज निगम
कार्यपालक निदेशक

प्रो. पार्थ रे
निदेशक

अनूप कुमार
मुख्य महाप्रबंधक

डॉ. अभिजीत फुकरे
निदेशक

डॉ. मंगेश यादवराव सोरते
महाप्रबंधक

तुलन पत्र और लेखे

प्रत्यय गारंटी निगम
'ख')
के लिए राजस्व खाता
निधि (जीएफ)

		(₹ लाख में)
पिछला वर्ष राशि	आय	चालू वर्ष राशि
5,399.33	निवेशों से आय	5,520.81
42.34	(क) निवेशों पर ब्याज	1.99
5,441.67	(ख) निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ (हानि)	5,522.80
0.00	निक्षेप बीमा निधि / ऋण गारंटी निधि को अग्रिम राशि पर ब्याज	0.00
39.19	प्रतिलेखित निवेश के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान द्वारा	0.00
	विविध प्राप्तियाँ	
0.00	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज	0.00
(0.25)	जड़ वस्तु की बिक्री पर लाभ/हानि (निवल)	(0.08)
0.00	आयकर धनवापसी पर ब्याज	934.18
0.00	अन्य विविध प्राप्तियाँ	878.25
(0.25)		1,812.35
32.07	आय की तुलना से अधिक व्यय को नीचे लाया गया	0.00
5,512.68	कुल	7,335.15
0.00	वर्ष के लिए व्यय की तुलना में अधिक आय को नीचे लाया गया	2,283.01
50.82	सामान्य रिज़र्व खाता	0.00
50.82	कुल	2,283.01

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

* महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और खातों पर नोट वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

कृते जैन चौधरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण सं. एफआरएन. 113267डब्ल्यू

सीए सिद्धार्थ जैन
प्रबंधन भागीदार (एम सं. 104709)
मुंबई
26 मई 2026
UDIN :



2610470922Z0H9NG110

स्वामीनाथन जे
अध्यक्ष

डॉ. तरुण अग्रवाल
निदेशक

नीरज निगम
कार्यपालक निदेशक

प्रो. पार्थ रे
निदेशक

अनूप कुमार
मुख्य महाप्रबंधक

डॉ. अभिजीत फुकन
निदेशक

डॉ. मंगेश यादवराव सोरते
महाप्रबंधक

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

निक्षेप बीमा और
निक्षेप बीमा निधि और
31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि

(₹ लाख में)

31-03-2025 को समाप्त अवधि		विवरण	31-03-2026 को समाप्त अवधि	
राशि	राशि		राशि	राशि
डीआईएफ	सीजीएफ		डीआईएफ	सीजीएफ
41,30,183.52	5,339.19	परिचालनात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह व्यय की तुलना में अधिक आय	(क) 44,51,399.58	5,433.77
(15,93,041.96)	(5,339.19)	परिचालनों से निवल नकदी में व्यय की तुलना में अधिक आय के मिलान करने के लिए समायोजन :	(18,49,465.68)	(5,569.61)
11,602.62	0.00	निवेशों पर ब्याज	(17,243.37)	135.84
0.00	0.00	प्रतिभूतियों की बिक्री/ मोचन से लाभ/ (हानि)	0.00	0.00
0.00	0.00	निधि शेष में वृद्धि (बीमांकिक मूल्यांकन)	3,62,882.12	0.00
0.00	0.00	निवेश रिज़र्व में अंतरण	0.00	0.00
0.00	0.00	प्राप्त धनवापसी पर ब्याज	0.00	0.00
0.00	0.00	कर	0.00	0.00
67,930.00	0.00	निधि शेष में प्रावधान (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)	47,036.00	0.00
(15,13,509.34)	(5,339.19)	परिचालनात्मक आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन :	(ख) (14,56,790.93)	(5,433.77)
(10,44,120.31)	(1504.02)	आस्तियां :	(12,00,797.18)	(1347.32)
0.00	0.00	कमी/(वृद्धि)	0.00	0.00
(31.78)	0.00	अग्रिम आयकर/टीडीएस में वृद्धि	36.61	0.00
(1,33,396.46)	0.00	फुटकर देनदार	(66,315.79)	0.00
0.00	0.00	प्राप्य सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी	0.00	0.00
(11,77,548.55)	(1504.02)	अन्य आस्तियां	0.00	0.00
1,51,560.07	0.00	विवादित सेवा कर/भुगतान किया गया ब्याज खाता	(12,67,076.36)	(1347.32)
2,455.00	0.00	देयताएं:	(87,844.40)	0.00
14.72	0.00	(कमी)/वृद्धि	1,189.06	0.00
0.00	0.00	सूचित परंतु भुगतान न किए गए दावों से संबंधित अनुमानित देयताएं	(113.60)	0.00
(99.17)	0.00	दावा न की गई जमाराशियां	0.00	0.00
75,145.59	0.00	फुटकर लेनदार	0.00	0.00
0.00	0.00	फुटकर जमा खाता	0.00	0.00
(0.31)	0.00	सेवाकर देय खाता	0.00	0.00
2,29,075.90	0.00	रिवर्स रेपो खाते के तहत वितरणयोग्य प्रतिभूतियां	33,218.83	0.00
16,68,201.53	(1504.02)	भुगतान योग्य स्वच्छ भारत	0.00	0.00
15,15,896.40	5,278.35	भुगतान योग्य सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी	804.05	0.00
(11602.62)	0.00	परिचालनात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह: (क+ख+ग+घ)	(घ) (52,746.06)	0.00
0.00	0.00	निवेशात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	(ए) 16,74,786.23	(1347.32)
(31,89,139.40)	(3,790.58)	प्राप्त निवेश पर ब्याज	17,84,906.15	5,250.71
(16,84,845.62)	1487.77	प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन से लाभ/(हानि)	17243.37	(135.84)
0.00	0.00	सामान्य निधि में अंतरित	0.00	0.00
(16,644.09)	(16.25)	कमी/(वृद्धि)	(34,74,983.88)	(3,751.05)
17,350.14	16.38	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश में वृद्धि	(बी) (16,72,834.36)	1363.82
706.05	0.13	निवेशात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	(सी) 0.00	0.00
		वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	(ए+बी+सी)	1,951.87
		नकदी में निवल वृद्धि/कमी		16.50
		अवधि के प्रारंभ में नकदी शेष		706.05
		वर्ष के अंत में नकदी शेष		0.13
				2,657.92
				16.63

कृते जैन चौधरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण सं. एफआरएन. 113267डब्ल्यू

सीए सिद्धार्थ जैन
प्रबंधन भागीदार (एम सं. 104709)
मुंबई
26 मई 2026
UDIN :



स्वामीनाथन जे
अध्यक्ष

डॉ. तरुण अग्रवाल
निदेशक

78

नीरज निगम
कार्यपालक निदेशक

प्रो. पार्थ रे
निदेशक

अनूप कुमार
मुख्य महाप्रबंधक

डॉ. अभिजीत फुकन
निदेशक

डॉ. मंगेश यादवराव सोरते
महाप्रबंधक

26104709JZZUHQNG110

तुलन पत्र और लेखे

प्रत्यय गारंटी निगम
ऋण गारंटी निधि
के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(लाख में)

पिछला वर्ष 31 मार्च 2025	विवरण		31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि
राशि			राशि
(32.07)	परिचालनात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह व्यय की तुलना में अधिक आय	(क)	2,283.01
26.64	परिचालनों से निवल नकदी में व्यय की तुलना में अधिक आय के मिलान करने के लिए समायोजन :		
13.34	मूल्यहास		25.26
(5,399.33)	आईएसएस पर मूल्यहास		54.43
(42.34)	निवेशों पर ब्याज		(5,520.81)
(39.19)	प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन से लाभ/(हानि)		(1.99)
0.00	निवेश रिज़र्व में अंतरण		0.00
0.00	अधिक प्रावधान प्रतिलेखित		0.00
0.00	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज		0.00
0.25	जड़ वस्तु की बिक्री से लाभ/(हानि)		0.08
0.00	अन्य -विविध प्राप्तियाँ		878.24
0.00	आयकर		0.00
(5,440.63)	परिचालनात्मक आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन : आस्तियाँ: कमी (वृद्धि)	(ख)	(4,564.79)
0.00	लेखन सामग्री /अधिकारी लाउंज कूपन का स्टॉक		0.00
147.00	प्राप्य सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी		(199.28)
6.36	भारिबे आदि से प्राप्य स्टाफ व्यय/भत्ते हेतु अग्रिम		(1.79)
419.90	अग्रिम आयकर		(166.64)
(10.00)	सीसीआईएल के पास सीमांत जमा		(30.00)
0.00	स्टाफ अग्रिमों पर उपचित ब्याज		0.00
(7.48)	फुटकर देनदार		7.47
34.71	परियोजना लागत		(487.98)
590.49	देयताएं : वृद्धि (कमी)	(ग)	(878.22)
0.00	भारतीय रिज़र्व बैंक में		0.00
0.00	बकाया कर्मचारी लागत		0.00
531.75	बकाया व्यय		(746.81)
61.61	फुटकर लेनदार		166.47
(29.82)	अन्य जमा/टीडीएस		(2.31)
2.13	भुगतान योग्य सीजीएसटी और एसजीएसटी		3.14
565.67	परिचालनात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	(घ)	(579.51)
(4,316.54)	निवेशात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	(ए)	(3,739.51)
5,197.43	निवेशों से प्राप्त ब्याज		5,730.80
42.34	प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन से लाभ/(हानि)		1.99
0.00	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज		0.00
0.00	डीआईएफ से प्राप्त निधि		0.00
0.00	अन्य		(878.25)
(31.93)	कमी (वृद्धि) अचल आस्तियाँ		(71.30)
0.00	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश :		
0.00	ट्रेजरी बिल		0.00
(890.73)	दिनांकित प्रतिभूतियाँ		(797.86)
0.00	सीसीआईएल के पास जमा दिनांकित प्रतिभूतियाँ		(161.28)
4,317.11	निवेशात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	(बी)	3,824.10
0.00	वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	(सी)	0.00
0.57	नकदी में निवल वृद्धि	(ए+बी+सी)	84.59
0.00	वर्ष के प्रारंभ में नकदी शेष		0.00
14.84	हाथ में		15.41
15.41	भारिबे के पास		
	वर्ष के अंत में नकदी शेष		100.00

नोट: निवेशों के समकक्ष नकद राशि अलग करने योग्य नहीं है, अतः इसे नकदी शेष में समाविष्ट नहीं किया गया है।

कृते जैन चौधरी एंड कंपनी
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
 पंजीकरण सं. एफआरएन. 113267डब्ल्यू

सीए सिद्धार्थ जैन
 प्रबंधन भागीदार (एम सं. 104709)
 मुंबई
 26 मई 2026
 UDIN :



स्वामीनाथन जे
 अध्यक्ष

डॉ. तरुण अग्रवाल
 निदेशक

79

नीरज निगम
 कार्यपालक निदेशक

प्रो. पार्थ रे
 निदेशक

अनूप कुमार
 मुख्य महाप्रबंधक

डॉ. अभिजीत फुकन
 निदेशक

डॉ. मंगेश यादवराव सोरते
 महाप्रबंधक

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. परिचय:

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) की स्थापना डीआईसीजीसी अधिनियम के तहत की गई है, जो संसद का एक अधिनियम है और यह भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी कंपनी है। यह कंपनी अधिनियम के तहत कोई कंपनी नहीं है। डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अनुसार सम्पूर्ण पूंजी आरबीआई द्वारा पूर्णतः अभिदत्त की जाती है। डीआईसीजीसी के कार्य 'निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961' (डीआईसीजीसी अधिनियम) और उक्त अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किए गए 'निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961' के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं।

2. लेखांकन का आधार:

वार्षिक लेखे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 18 के तहत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार एवं निर्धारित किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

ए. 31 मार्च को कारोबार समाप्ति पर तुलन पत्र -

ए.1. निक्षेप बीमा निधि और ऋण गारंटी निधि और

ए.2. सामान्य निधि

बी. 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता -

बी.1. निक्षेप बीमा निधि और ऋण गारंटी निधि

बी.2. सामान्य निधि

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयोग की गई लेखांकन नीतियाँ, सभी महत्वपूर्ण पक्षों की दृष्टि से, भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस) और देश में सामान्यतः प्रचलित प्रथाओं के अनुरूप हैं। जब तक अन्यथा रूप से न कहा जाए निगम में उपचय आधारित लेखांकन पद्धति और पारंपरिक ऐतिहासिक लागत का अनुपालन किया जाता है। वित्तीय विवरण चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं। लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों पर सुसंगत रूप से लागू किया जाता है।

3. अनुमानों का उपयोग:

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को अनुमान और

पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है, जो आस्तियों, देयताओं, व्यय, आय की रिपोर्ट की गई राशि को और उस तारीख के वित्तीय विवरणों के, विशेष रूप से निक्षेप बीमा के तहत दावों से संबंधित, आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। दावों से संबंधित देयताओं का अनुमान अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। प्रबंधन मानता है कि यह अनुमान तर्कसंगत और यथोचित है। यद्यपि, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को वर्तमान और भविष्य की अवधियों में संभावित रूप से मान्यता दी जाती है।

4. राजस्व एवं दावों का निर्धारण:

जब तक अन्यथा रूप से न कहा जाए, आय और व्यय की मदें उपचय आधार पर हिसाब में ली जाती हैं।

(i) प्रीमियम:

(क) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 19 के अनुसार निक्षेप बीमा प्रीमियम लिया जाता है।

(ख) यदि किसी बीमाकृत बैंक से लगातार दो प्रीमियम भुगतान में चूक होती है तो आय संकलन की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए प्राप्त रसीदों के आधार पर प्रीमियम आय की गणना की जाती है। ऐसे बीमाकृत बैंकों के लिए पहले से गणना किए गए अप्राप्य प्रीमियम आय, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया जाता है।

(ग) प्रीमियम भुगतान में देरी के लिए दण्डात्मक ब्याज की गणना वास्तविक रसीदों के आधार पर की जाती है।

(ii) निक्षेप बीमा दावे

(क) वर्ष के अंत में निधि शेषों के प्रति देयता के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(ख) बैंक के विपंजीकरण पर बीमाकृत जमाराशि की सीमा तक आकस्मिक देयता (उल्टे होने के कारण) बनती है। इसके अतिरिक्त, डीआईसीजीसी संशोधन अधिनियम, 2021 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेश/निषेध के तहत रखे गए बीमाकृत बैंकों के लिए भी ऐसा ही किया जाएगा।

(ग) परिसमाप्त बैंकों के संबंध में, जहां निगम डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 16 के अनुसार दावे के निपटान के लिए उत्तरदायी है, ऊपर निर्दिष्ट पैरा 3.(ii)(ख) में बनाई गई आकस्मिक देयता को रिवर्स कर दिया जाता है और मुख्य दावों के रूप में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जमा देयता के अनुसार

क्रिस्टलीकृत देयता के प्रावधान को निगम के बही खातों में लिया जाता है और डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 19 के अनुसार, निगम द्वारा वास्तविक दावे का सम्पूर्ण निपटान होने तक अथवा परिसमापन प्रक्रिया समाप्त हो जाने तक के लिए, इनमें से जो भी पहले हो, यह प्रावधान रखा जाता है।

(घ) डीआईसीजीसी संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 18ए के तहत बीमाकृत बैंक को किए गए अंतरिम भुगतान निदेशक मंडल द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर वसूल किए जा सकते हैं। बैंक द्वारा 45वें दिन तक प्रस्तुत जमाकर्ताओं की सूची के अनुसार देयता का प्रावधान तब तक रखा जाएगा जब तक कि डीआईसीजीसी अधिनियम, 2021 की धारा 18ए के संदर्भ में निगम द्वारा वास्तविक दावे का पूरी तरह से निर्वहन नहीं हो जाता है अथवा निदेश / विलय / समामेलन के अंत तक, जो भी पहले हो।

(ङ) पाए न गए जमाकर्ताओं या आसानी से न उपलब्ध जमाकर्ताओं के संबंध में डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 20 के अनुसार, जब तक कि दावे का भुगतान नहीं हो जाता या परिसमापन प्रक्रिया का अंत नहीं हो जाता या परिसमापन के 10 वर्ष पूरे होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अलग से प्रावधान किया जाता है। 6 अप्रैल 2018 को सम्पन्न निगम के निदेशक मंडल की 248वीं बैठक में दी गई मंजूरी के अनुसार, 10 वर्ष से पहले परिसमाप्त बैंकों के जमाकर्ताओं के संबंध में अज्ञात (खाता संख्या - 1070200) और अनुपलब्ध (खाता संख्या - 1060100) खाताशीर्षों के तहत प्रावधान को रिवर्स किया गया है और बाद में (यदि दावे प्राप्त हों) राईट बैंक की गई राशि के लिए निगरानी और भुगतान करने हेतु एक अलग आकस्मिक देयता खाते में रखा गया है। यह अभ्यास 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए परिसमाप्त बैंकों के लिए प्रतिवर्ष किया जाना है।

(iii) चुकौतियाँ

निपटाए गए अथवा अदा किए गए निक्षेप बीमा दावों के संबंध में प्रत्यासन (सबरोगेशन) अधिकारों के जरिए की गई वसूली को उसी वर्ष हिसाब में लिया जाता है जिसमें वह प्राप्त हुई है। इसी प्रकार निपटाए गए दावों और बाद में अपात्र पाए गए दावों से संबंधित वसूली को वसूली / समायोजन के समय ही हिसाब में लिया जाता है। डीआईसीजीसी संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 18ए के तहत भुगतान किए गए दावों के संबंध में पुनर्भुगतान की प्राप्ति बोर्ड द्वारा विवेकपूर्ण मानदंडों को ध्यान में रखते हुए बीमाकृत बैंकों की क्षमता पर विचार करते हुए तय की गई समय सीमा पर निर्भर करेगी और इसे स्थगित (डीआईसीजीसी संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 21 (3) के अनुसार) किया जा सकता है।

पुनर्भुगतान में निर्धारित समयावधि से अधिक देरी के मामले में, निगम को चुकाई जाने वाली राशि के लिए प्रति वर्ष रेपो दर से अधिकतम दो प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज निगम द्वारा (डीआईसीजीसी संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 21 (4) के अनुसार) लिया जाएगा।

(iv) निवेश से आय

(क) निवेश संबंधी ब्याज को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

(ख) निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ / हानि को लेन-देन के निपटान की तारीख को ही हिसाब में लिया जाता है।

(v) अन्य आय

विविध जमा खाता और बयाना जमा खाता सहित कुछ पारगमन खातों में तीन से अधिक लगातार लेखा वर्षों के लिए अदावाकृत और बकाया शेष राशि की समीक्षा की जाती है और उसे आय में लिखा जाता है। इससे संबंधित दावे, यदि कोई हो तो, भुगतान के वर्ष में उस पर विचार किया जाता है तथा उसे आय के विरुद्ध प्रभारित किया जाता है।

5. निवेश:

(i) सभी निवेश चालू निवेश हैं। सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारित औसत लागत या बाजार मूल्य, इनमें से जो कम हो, पर किया जाता है। मूल्यांकन के प्रयोजन से, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फिमडा) द्वारा निर्धारित दरों को बाजार दरों के रूप में माना जाता है। ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन वाहक लागत के आधार पर किया जाता है।

(ii) श्रेणी के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास, यदि कोई हो तो, उसे लाभ और हानि खाते में शामिल किया जाता है। श्रेणी के अंतर्गत शुद्ध मूल्यवृद्धि (एप्रीसिएशन), यदि कोई हो तो, उसे नजरंदाज कर दिया जाता है।

(iii) प्रतिभूतियों के मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधान को तुलन-पत्र में निवेशों से नहीं घटाया जाता है, बल्कि ऐसे प्रावधान को लेखा विवरण के निर्धारित फॉर्मेट के अनुरूप निवेश आरक्षित खाते (इन्वेस्टमेंट रिजर्व एकाउंट) में संचयन के रूप में रखा जाता है।

(iv) भविष्य में पोर्टफोलियो के मूल्य में होने वाले हास के कारण उत्पन्न बाजार जोखिम को पूरा करने हेतु निवेश उच्चावचन रिजर्व (आइएफआर) रखा जाता है। तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार निवेश पोर्टफोलियो के बाजार जोखिम के आधार पर निवेश उच्चावचन रिजर्व (आइएफआर) की पर्याप्तता निर्धारित की जाती है। यदि बाजार जोखिम से अतिरिक्त निवेश उच्चावचन रिजर्व (आइएफआर) है तो, उसे बनाए रखा जाता है तथा आगे ले जाया

जाता है। जब भी निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आइएफआर) अपेक्षित मात्रा से कम हो जाता है तो निधि अधिशेष / सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित करने से पहले व्यय की तुलना में अधिक आय के विनियोग के रूप में निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आइएफआर) में क्रेडिट किया जाता है।

- (v) प्रतिभूतियों का अंतर निधि अंतरण, अंतरण की तारीख के अनुसार बही मूल्य पर किया जाता है।
- (vi) रेपो और रिवर्स रेपो संबंधी लेन-देन को सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद के करार के साथ संपार्श्विक उधार / उधार संचालन के रूप में माना जाता है। रेपो के अंतर्गत बिक्री की गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया जाता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। इसके साथ ही, लागत और राजस्व को ब्याज व्यय / आय, जैसा भी मामला हो, में हिसाब में लाया जाता है।

6. अचल आस्तियाँ:

- (i) अचल आस्तियों को लागत में से संचित मूल्यहास को कम कर के दिखाया जाता है। लागत में खरीद मूल्य तथा अपने भावी प्रयोग के लिए आस्ति को अपनी कार्यकारी स्थिति में लाने के लिए कोई भी लागत शामिल है। अमूर्त आस्तियों को लागत में से परिशोधन घटाकर दर्ज किया जाता है। लागत में ऐसी आस्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया भुगतान शामिल होता है।
- (ii) (क) कंप्यूटरों, माइक्रोप्रोसेसरों, सॉफ्टवेयर (₹1 लाख और उससे अधिक की लागत वाले), मोटर वाहनों, फर्नीचर आदि पर मूल्यहास निम्नलिखित दरों पर मूल्यहास की सीधी रेखा पद्धति पर उपलब्ध किया गया है।

आस्ति की श्रेणी	मूल्यहास की दर
कंप्यूटर, माइक्रोप्रोसेसर, सॉफ्टवेयर आदि	33.33% प्रति वर्ष (3 वर्ष)
मोटर वाहन, फर्नीचर आदि	20% प्रति वर्ष (5 वर्ष)

- (ii) (ख) मूल्यहास की गणना मासिक आनुपातिक आधार पर की जाती है तथा इसे अचल आस्तियों के तिमाही अंत शेष पर दर्ज किया जाता है। आस्तियों के परिवर्धन/विलोपन के मामले में, मूल्यहास की गणना मासिक आनुपातिक आधार पर की जाती है, जिसमें ऐसी आस्तियों के परिवर्धन/विलोपन का माह भी शामिल होता है।

- (iii) अधिग्रहण के वर्ष में लाभ और हानि खाते में निम्नलिखित को प्रभारित किया जाता है:

क. लैपटॉप, आदि जैसी आसानी से पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों, जिनकी लागत ₹10,000 से अधिक है।

ख. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अलग-अलग मदें जिनकी कीमत ₹1 लाख से कम है।

ग. अचल आस्तियाँ, जिनकी लागत ₹1 लाख से कम हो।

उपर्युक्त के अलावा, अन्य सभी पूंजीकृत हैं और मूल्यहास की गणना लागू दर पर मासिक आनुपातिक आधार पर की जाती है।

- (iv) बाद के व्यय पर मूल्यहास:

(क) किसी विद्यमान अचल आस्ति पर किया गया अनुवर्ती व्यय, जिसका लेखा पुस्तकों में पूर्णतः मूल्यहास नहीं किया गया है, मूल आस्ति के शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यहासित किया जाता है।

(ख) किसी विद्यमान अचल आस्ति के आधुनिकीकरण/ परिवर्धन /ओवर-हॉलिंग पर किया गया अनुवर्ती व्यय, जिसका लेखा पुस्तकों में पहले ही पूर्ण मूल्यहास हो चुका है, को पहले पूंजीकृत किया जाता है तथा उसके बाद उस वर्ष में पूर्ण मूल्यहास किया जाता है जिसमें व्यय किया गया है।

7. पट्टे:

पट्टे के अधीन प्राप्त की गई ऐसी आस्तियाँ जहाँ जोखिमों और स्वामित्व के लाभों का एक महत्वपूर्ण अंश पट्टेदार (लैसर) के पास है, उन्हें आपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और पट्टा किरायों को उपचय आधार पर लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

8. कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ / लागत:

कर्मचारियों के संबंध में व्यय जैसे कि वेतन, भत्ते, क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी निधि में अंशदान भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ की गई व्यवस्था के अनुसार किया जा रहा है क्योंकि निगम का स्टाफ भारतीय रिज़र्व बैंक से प्रतिनियुक्ति पर है।

9. आय पर कराधान:

चालू कर तथा आस्थगित कर व्यय में शामिल हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार कर प्राधिकारियों को भुगतान की जाने वाली संभावित राशि पर चालू कर का आकलन किया जाता है। आस्थगित कर कर-योग्य आय तथा लेखा आय/ व्यय के अंतर पर कर प्रभाव है जो एक समयावधि में शुरू होकर आगामी एक या आने वाले वर्षों में रिवर्सल में सक्षम है। आस्थगित कर को समय के अंतराल की दूरदर्शिता के आधार पर माना

जाता है। तुलन पत्र की तारीख पर आगे बढ़ाए गए मूल्य हेतु आस्थगित करों की समीक्षा की जाती है।

10. आस्तियों की दुर्बलता:

जब भी किसी घटना या परिस्थिति में परिवर्तन के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि किसी आस्ति की रख रखाव राशि (कैरीइंग एमाउंट) की वसूली नहीं हो सकती है तो दुर्बलता के प्रयोजन से अचल आस्तियों और अमूर्त आस्तियों की समीक्षा की जाती है। आस्ति की रख रखाव राशि की उसके अनुमानित वर्तमान वसूली योग्य मूल्य और उपयोग में मूल्य से तुलना करके रखी हुई और प्रयोगरत आस्तियों की मूल्य वसूली संबंधी योग्यता की माप की जाती है। यदि ऐसी आस्तियाँ दुर्बल होती हैं तो इस दुर्बलता का अनुमान यह माप कर लगाया जाता है कि आस्ति की रखाव राशि आस्ति के अनुमानित वर्तमान वसूली योग्य मूल्य या उपयोग मूल्य की तुलना में कितनी अधिक है।

11. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ:

- आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 29, प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के अनुरूप, पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व प्रकट होने पर ही निगम प्रावधान की व्यवस्था करता है। यह संभव है कि ऐसे दायित्वों के निपटान करने और इनसे संबंधित राशि के विश्वस्त अनुमान की गणना करते समय आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह अपेक्षित हो।
- प्रावधान उनके वर्तमान मूल्यानुसार नहीं निकाले जाते हैं और तुलनपत्र की तारीख को दायित्वों के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर तय किए जाते हैं।
- प्रतिपूर्ति की राशि प्राप्त होना वास्तविक रूप से सुनिश्चित होने पर ही निपटान हेतु अपेक्षित व्यय के संबंध में प्रत्याशित प्रतिपूर्ति हेतु प्रावधान का अनुमान किया जाता है।
- आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है।
- आकस्मिक देयता संभावित देयता है जो भविष्य की अनिश्चित घटना के परिणाम के आधार पर उत्पन्न हो सकती है। यदि आकस्मिकता संभव है और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है तो आकस्मिक देयता को लेखा अभिलेख में रिकॉर्ड किया जाता है।

12. संबंधित पार्टी:

आईसीएआई द्वारा जारी एएस-18 के अनुसार, संबंधित पक्षों, जो लेखांकन मानक (एएस) 18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार “राज्य-नियंत्रित उद्यम” हैं,

के संबंध में कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है। राज्य-नियंत्रित उद्यम वह उद्यम है जो केन्द्र सरकार और/या किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है।

खातों के बारे में टिप्पणियाँ

1. निम्नलिखित आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया :

क. सेवा कर:

स्पष्टीकरण टिप्पणियाँ:

01 अक्टूबर 2006 से 30 सितंबर 2011 तक (₹5,367.42 करोड़) :

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) की गतिविधियों को ‘सामान्य बीमा व्यवसाय’ की श्रेणी में रखते हुए सेवा कर विभाग ने 01 अक्टूबर 2006 से 30 सितंबर 2011 की अवधि के लिए दिनांक 10 जनवरी 2013 के आदेश के अनुसार ₹5,367.42 करोड़ (उक्त राशि पर ब्याज और दंड सहित) के सेवा कर की मांग की है। निगम ने उक्त आदेश के विरुद्ध 8 अप्रैल 2013 को सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सीईएसटीएटी) के समक्ष अपील दायर की। सीईएसटीएटी ने 11 मार्च 2015 के आदेश में 20 सितंबर 2011 से पहले की अवधि के लिए ₹5,367.42 करोड़ की संपूर्ण मांग को रद्द करके निगम को राहत प्रदान की है। तथापि सीईएसटीएटी ने यह भी माना कि निगम की गतिविधियां “सामान्य बीमा व्यवसाय” की श्रेणी में आती हैं और निगम सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। सेवा कर विभाग ने ₹5,367.42 करोड़ की मांग को रद्द करने वाले सीईएसटीएटी आदेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है। निगम ने 20 जुलाई 2016 को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक जवाबी शपथ पत्र दायर किया है और यह मामला विचाराधीन है। निगम ने 09 सितंबर 2015 को माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील भी दायर की है जिसमें “सामान्य बीमा व्यवसाय” के तहत गतिविधियों के वर्गीकरण की पुष्टि को चुनौती दी गई है।

इस बीच, सेवा कर विभाग ने 01 अप्रैल 2011 से 30 सितंबर 2011 की अवधि के लिए धारा 78 (जो धोखाधड़ी, जानबूझकर की गई गलत बयानी, तथ्यों को छिपाने या मिलीभगत के मामलों में अर्थदण्ड लगाने का प्रावधान करता है) के बजाय धारा 76 (जो सेवा कर का भुगतान न करने पर अर्थदण्ड लगाने का प्रावधान करता है) के तहत ₹283 करोड़ की राशि का अर्थदण्ड लगाए जाने के लिए सीईएसटीएटी से संपर्क किया, जिसे सीईएसटीएटी द्वारा 27 अप्रैल 2017 के आदेश के माध्यम से इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि दिनांक 11 मार्च 2015 के अपने

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

पूर्व आदेश में योग्यता के आधार पर निगम के पक्ष में निर्णय लिया जा चुका है। सेवा कर विभाग ने उक्त आदेश के विरुद्ध भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है, जिसे 2016 की सिविल अपील

न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

ख. दावे:

संख्या 3340-3342 के साथ चिह्नित किया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है और उपर्युक्त अपीलों की स्थिति यथावत है। यह मामला अभी भी माननीय सर्वोच्च

(₹ लाख में)

आकस्मिक देयता किससे संबंधित है	लेखा कोड	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
क) पंजीकरण रद्द किए गए बैंक *	1080002	5,654.51	18,723.81
ख) अप्राप्य जमाकर्ता	1080006	17,667.42	17,689.59
ग) अज्ञात जमाकर्ता	1080005	9,990.42	10,147.13
घ) एआईडी के अधीन बैंक	1080003	11,454.52	0.00

*बोटाड पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के लिए तैयार की गई आकस्मिक देयता (₹ 13.20 करोड़) को सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि इसे गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया था और इसके लिए डीआईसीजीसी देयता लागू नहीं है।

(₹ लाख में)

किसके संबंध में प्रावधानों का रिवर्सल	लेखा कोड	वित्त वर्ष 2026 के दौरान	वित्त वर्ष 2025 के दौरान
क) अप्राप्य जमाकर्ता	1080006	0.00	313.65
ख) अज्ञात जमाकर्ता	1080005	6.66	990.63

2. डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 18 का संशोधन:

डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 में संशोधन के विषय में 01 सितंबर 2021 से अधिनियम में एक नई धारा 18ए जोड़ी गई है, जिसमें डीआईसीजीसी ऐसे बीमित बैंकों के जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जिनके संबंध में कोई निर्देश जारी किया गया है या बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के किसी भी प्रावधान के तहत कोई निषेध या आदेश या योजना बनाई गई है और इस तरह के निर्देश, निषेध, आदेश या योजना में ऐसे बैंक के जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि तक पहुंचने से प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। तदनुसार, डीआईसीजीसी ने वर्ष 2025-26 के दौरान 24 बैंकों के संबंध में ₹1,45,982.94 लाख (वर्ष 2024-25 के दौरान 18 बैंकों के संबंध में ₹33,082.22 लाख)

का भुगतान किया है।

3. निवेश उच्चावचन रिज़र्व:

निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आईएफआर) बाज़ार जोखिम से बचाव के लिए अनुरक्षित किया जाता है। लेखांकन नीति के अनुसार बाज़ार जोखिम से अधिक रखे गए आईएफआर को बरकरार रखा जाता है और आगे ले जाया जाता है। 31 मार्च 2026 को ₹10,47,898.16 लाख आईएफआर अनुरक्षित रखा गया था (31 मार्च 2025 को यह ₹9,58,687.62 था)।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ अंतर्दिवसीय चलनिधि व्यवस्था:

तीनों निधियों से संबंधित निवेशों में शामिल ₹2500 करोड़ के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निगम को प्रदान की गई अंतर्दिवसीय चलनिधि (आईडीएल) सुविधा हेतु चिन्हित किया गया है।

तुलन पत्र और लेखे

5. रिपो लेन-देन (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार)

अंकित मूल्य के अनुसार (₹ लाख में)

प्रकटीकरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधि-कतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार
I. रिपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
1) सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
2) निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
II. रिवर्स रिपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियाँ				
1) सरकारी प्रतिभूतियाँ	12,212.00	17,17,893.00	2,81,825.13	1,32,821.00
2) निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00

6. आयकर:

निगम, निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए प्रासंगिक, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 की धारा 115बीए में दिए गए 22% की दर से आयकर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग जारी रखेगा।

कर व्यय में चालू और आस्थगित कर शामिल हैं।

चालू कर:

चालू कर, आयकर अधिनियम, 1961 और आय संगणना और प्रकटीकरण मानकों (आईसीडीएस) के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई अवधि के लिए कर योग्य आय (कर हानि) के संबंध में भुगतान के लिए निर्धारित आयकर की राशि (वसूली योग्य) है।

आस्थगित कर:

वर्ष के लिए बहीखाते और कर लाभों के बीच समय अंतराल के लिए

आस्थगित कर का हिसाब उन कर दरों और कानूनों का प्रयोग करके लगाया जाता है, जिन्हें तुलन पत्र की तारीख के अनुसार मूलभूत रूप से अधिनियमित किया गया है। समय अंतराल से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियों की इस सीमा तक पहचान की जाती है कि भविष्य में इनके वसूल होने की उचित निश्चितता हो। आस्थगित कर आस्तियों की प्रत्येक तुलन पत्र तारीख पर समीक्षा की जाती है और इसे वह राशि दर्शाने के लिए उचित रूप से समायोजित किया जाता है, जिसका वसूल होना उचित/वस्तुतः निश्चित हो।

प्रावधान:

करों के लिए प्रावधान -

चालू कर - ₹12,13,587 लाख

आस्थगित कर आस्ति (डीआईएफ) - ₹91,330.17 लाख

आस्थगित कर देयता (जीएफ) - ₹13.44 लाख

समय अंतराल से उत्पन्न होने वाले आस्थगित कर आस्ति और आस्थगित कर देयता के घटक निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ में)

विवरण	मार्च 2025 तक	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए गतिविधि	मार्च 2026 तक
आस्थगित कर आस्ति (डीआईएफ)			
निवेश के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान	0.00	9,13,30,17,142.00	9,13,30,17,142.00
आस्थगित कर देयता (जीएफ)			
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	(22,50,828.00)	13,44,037.00	(35,94,865.00)

7. सेवा कर रिफंड:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, 'निगम' को सेवा कर विभाग से अक्टूबर 2011 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्य में स्थित बैंकों से संबंधित प्रीमियम प्रेषण पर भुगतान किए गए सेवा कर के संबंध में ₹9.08 करोड़ का सेवा कर रिफंड प्राप्त हुआ। उक्त सेवा कर संबंधित वर्षों में राजस्व खाते में नामे किया गया था। तदुपरांत, यह निर्धारित किया गया कि ऐसी सेवाएँ तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू वित्त अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत सेवा कर के दायरे में नहीं आती थीं। तदनुसार, सेवा कर विभाग में रिफंड आवेदन दायर किए गए थे, और निगम को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ₹9.08 करोड़ की रिफंड राशि प्राप्त हुई है, जिसे वित्त वर्ष 2025-26 के सामान्य निधि के वित्तीय विवरणों में "विविध प्राप्तियाँ" के अंतर्गत मान्यता दी गई है।

8. शेषराशियों को बट्टे खाते डालना/प्रतिलेखन:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, निगम ने अपने लेखा-बहियों में दिखाई देने वाले कुछ ऐतिहासिक शेषों, को बट्टे खाते में डाल दिया है/प्रतिलेखित किया है, जिनका मिलान नहीं हुआ था। ये मुख्य रूप से उन बैंकों से संबंधित हैं जिनका बाद में विलय हो गया या जिन्हें विपंजीकृत कर दिया गया है। इस प्रकार बट्टे खाते में डालना/प्रतिलेखन निगम की

स्वीकृत नीति के अनुसार किया गया है। ₹ 68.72 लाख को सामान्य निधि के राजस्व खाते में मान्यता दी गई है और "विविध प्राप्तियों" के रूप में दिखाया गया है।

9. बीमांकिक मूल्यांकन:

31 मार्च 2026 तक बीमांकिक मूल्यांकन की गणना के लिए जोखिम डिफॉल्ट संभाव्यता और हानि अनुपात दृष्टिकोण का उपयोग किया गया था।

10. संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण:

प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक:

श्री अर्णब कुमार चौधरी, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 08 अक्टूबर 2025 तक निगम के मामलों का प्रभार संभाला। आज की तारीख में, श्री नीरज निगम, कार्यपालक निदेशक, निगम के मामलों का प्रभार संभालते हैं। उपर्युक्त प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों ने भारतीय रिज़र्व बैंक से वेतन और अनुलाभ प्राप्त किए हैं।

11. चालू पूंजीगत कार्य:

निक्षेप बीमा की बढ़ती आवश्यकताओं और उभरते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, डीआईसीजीसी के लिए एक न्यू इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन सिस्टम (सम्यक) की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें अत्याधुनिक कार्यक्षमताएं हों, ताकि अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ स्वयं को सरेखित करने के लिए निगम के विज्ञान को पूरा किया जा सके। यह एप्लीकेशन, नियमित परिचालन संबंधी प्रबंधन के अलावा, परिचालन कार्यों के आद्योपांत स्वाचालन, डेटा एनालिटिक्स की व्यवस्था करता है। इस प्रौद्योगिकी छलांग ने प्रक्रियाओं को काफी हद तक सुव्यवस्थित किया है और परिचालन दक्षता में सुधार किया है।

वित्त वर्ष 2025-26 की प्रमुख गतिविधियां:

• परिचालनगत

- आईओडी/बीआरसी और यूएएम मॉड्यूल: 13 जून 2025 को लाइव किए गए।
 - सीएसडी/आरएमसी मॉड्यूल: 13 मार्च 2026 को कार्यान्वित।
 - आरबीपीआर मॉड्यूल: 27 मार्च 2026 से लाइव।
- वित्त-संबंधी: वित्त वर्ष 2025-26 में कुल खर्च ₹5.42 करोड़ था (पूँजीकृत: ₹5.28 करोड़; कार्य-प्रगति पर: ₹0.14 करोड़)।

तुलन पत्र और लेखे

12. पट्टे:

पट्टे के अधीन प्राप्त की गई ऐसी आस्तियाँ जहाँ जोखिमों और स्वामित्व के लाभों का एक महत्वपूर्ण अंश पट्टेदार (लैसर) के पास है, उन्हें आपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और भारतीय रिज़र्व बैंक को दिए जाने वाले पट्टा किराए को प्रोद्धवन आधार पर लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

13. मूल्यहास:

मूल्यहास की गणना मासिक आनुपातिक आधार पर की जाती है तथा इसे अचल आस्तियों के तिमाही अंत शेष पर दर्ज किया जाता है। आस्तियों के परिवर्धन/विलोपन के मामले में, मूल्यहास की गणना मासिक आनुपातिक आधार पर की जाती है, जिसमें ऐसी आस्तियों के परिवर्धन/विलोपन का माह भी शामिल होता है:

(राशि ₹ में)

आस्तियां	31 मार्च 2025 तक प्रारंभिक शेष	परिवर्धन	विलोपन	मूल्यहास	31 मार्च 2026 तक अंत शेष
फर्नीचर, फिक्सचर और उपकरण	3,02,607	-	-	1,14,099	1,88,508
कंप्यूटर हार्डवेयर	33,50,627	17,04,800	28,012	24,08,536	26,18,879
अमूर्त आस्तियां	0.00	5,27,99,026	-	54,42,620	4,73,56,406
कुल	36,53,234	5,45,03,826	28,012	79,65,255	5,01,63,793

14. खण्ड वार रिपोर्ट:

वर्तमान में निगम बैंको को उनकी श्रेणी पर ध्यान दिए बिना प्रमुख रूप से उन्हें एक समान दर पर निक्षेप बीमा उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है। इस प्रकार, प्रबंधन की राय में, व्यवसाय अथवा भौगोलिक रूप से कोई

भिन्न-भिन्न रिपोर्ट योग्य खण्ड नहीं है।

15. वर्तमान वर्ष के आँकड़ों से तुलना करने योग्य बनाने के लिए, पिछले वर्ष के आँकड़ों में, आवश्यकतानुसार सुधार /उनका पुनर्वर्गीकरण / उन्हें पुनर्व्यवस्थित किया गया है।